वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मंडल की बैठकों के कार्यवाही विवरण

(42 से 56)

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

प्रबन्ध मण्डल की 42 वीं बैठक (आपातकालीन) दिनांक 22-12-1997 (सोमवार) को कोटा खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, कॉमर्स कॉलेज परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में सायंकाल 3.30 बजे सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित आमंत्रित उपस्थित हुऐं :-

1. प्रो. बी.एस. शर्मा — अध्यक्ष
   कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

2. प्रो. जनार्दन झा, — सदस्य
   सम कुलपति, ई.गॉ.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली।

3. प्रो. एच.एस. महला, — सदस्य
   प्रो. ग्रामीण विकास, ह.मा.रा.लो.प्र. संस्थान, जयपुर।

4. डॉ. आर.बी. व्यास, — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, को.खु.वि.वि., कोटा।

5. प्रो. पी.के. शर्मा, — सदस्य
   निदेशक, (संकाय), को.खु.वि.वि., कोटा

6. डॉ. (श्रीमती) अमृत बालिया, — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., जयपुर।

7. श्री एम.सी. शर्मा, — सचिव
   कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा — प्रबन्ध मण्डल

डॉ. आदर्श किशोर सक्सैना, प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर की इस बैठक में उपस्थिति संभव नहीं हो सकी एवं प्रो. जी.डी. शर्मा, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने व्यस्तता के कारण अपनी उपस्थिति के लिऐ क्षमा मॉगी।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति के लिऐ आभार व्यक्त किया। तद्उपरान्त कार्यसूची के अनुसार

लगातार---2

प्रबन्ध मण्डल ने विचार प्रारम्भ किया और निम्नलिखित निर्णय लिऐ गऐ:-

(1) कार्यसूची विवरण पैरा 2 के मुताबिक कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष चयन समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित शील्ड लिफाफे रखे। इस समय श्री एम.सी. शर्मा, कुलसचिव एवं सचिव, प्रबन्ध मण्डल, कोटा खुला विश्वविद्यालय ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि उन्हें इस चर्चा के दौरान बाहर जाने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि वे कुलसचिव पद के लिऐ अभ्यर्थी है। अध्यक्ष महोदय ने श्री एम.सी. शर्मा का निवेदन स्वीकार किया और एम.सी. शर्मा चर्चा के दौरान बाहर चले गऐ। तदउपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की अनुमति के आधार पर लिफाफों को निम्नलिखित क्रम में खोला।

क: दिनांक 19-12-1997 को सहायक कुलसचिव पद के लिऐ चयन समिति की सिफारिशों के लिफाफे क्रमश: एक पद सामान्य, एक पद अनुसूचित जाति तथा एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के खोले गऐ और इसी क्रम में इन तीनों पदों से सम्बन्धित चयन समिति के कार्यवाही विवरण को पढ़कर सदस्यों को सुनाया जो अनुलग्नक :क: :ख: :ग: के रूप में सन्लग्न है। सहायक कुलसचिवों के तीन पदों के लिऐ अभिशंषाऐं इस प्रकार है:-

क्र.सं.	पद	अभिशंषीत	अन्य
1.	सहायक कुलसचिव सामान्य एक पद	Sh. Lallu Ram Sharma ~~श्री लल्लूराम शर्मा~~	~~वेतन स्थीरीकरण~~ नियमानुसार
2.	सहायक कुलसचिव अनुसूचित जाति एक पद	~~श्री चन्द्रभान पीपल~~ Sh. Chandra Bhan Paipal	—do—
3.	सहायक कुलसचिव अ.पि.वर्ग एक पद	~~श्री सुरेशचन्द्र शर्मा~~ Shri Suresh Chand Sharma	—do—

सर्व सम्मति से उपर्युक्त क्रम में प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की अभिशंषाओ की पुष्टि की और आदेश दिऐ कि अग्रिम कार्यवाही की जावे

लगातार----3

।ख। दिनांक 20-12-1997 को मध्यान्ह पूर्व सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिऐ चयन समिति की अभिशंषाओ का लिफाफा खोला गया और चयन समिति के कार्यवाही विवरण को अध्यक्ष जी ने पढ़कर सुनाया।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

पद	अभिशंषा	अन्य
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष अ.पि.वर्ग एक पद	कोई भी योग्य नही पाया गया।	----------

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषा की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिऐ।

।ग। दिनांक 20-12-1997 को मध्यान्ह उपरान्त कुलसचिव के पद के लिऐ अभिसंषा। चयन समिति की अभिशंषा का लिफाफा खोला गया और अध्यक्ष जी ने कुलसचिव चयन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्यों को पढ़कर सुनाया। अभिशंषा का विवरण निम्नलिखित है:-

कुलसचिव

पद	अभिशंषा	अन्य
कुलसचिव एक पद	Shri M.C. SHARMA श्री मोहन लाल शर्मा छोगा लाल शर्मा	वेतन स्थायीकरण नियमानुसार

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने कुलसचिव के चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषा का अनुमोदन किया और अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिऐ। तदउपरान्त श्री एम.सी. शर्मा जी को बैठक में वापिस बुला लिया।

<।2।> तदउपरान्त दिनांक 28-10-1996 को सम्पन्न हुई चयन समिति में उप कुलसचिव <सामान्य> की नियुक्ति के लिऐ अभिशंषा से सम्बन्धित

लगातार---4

लिफाफा कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की अनुमति से शील्ड खोला और चयन समिति की सिफारिशों को पढ़कर सुनाया। चयन समिति की अभिशंषा इस प्रकार है:-

---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से इसका अनुमोदन किया और आदेश दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(13) प्रबन्ध मण्डल ने अन्य नियुक्तियों सम्बन्धी विशिष्ठ मुद्दों पर भी विचार किया विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह उचित समझा कि विश्वविद्यालय के हित, कार्य की सुगमता एवं परिस्थितियों को देखते हुऐ चुनावों की घोषणा के पूर्व यदि कोई समिति की बैठक हो जाती है तो अग्रिम कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिऐ। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से कुलपति जी को अधिकृत किया कि यदि वित्त अधिकारी या अन्य चयन समिति की सिफारिशे उपलब्ध है और यदि वे सिफारिशे सर्वसम्मति की सिफारिशे हो तो अभिशंषा के अनुसार नियुक्ति सम्बन्धी निश्चय लेने के लिऐ कुलपति जी को पूर्णतया अधिकृत किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही का विवरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखा जाए।

(14) प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति के दो सदस्यों के मनोनयन के बारे में यह निर्णय लिया कि डॉ. आर.वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐ, कोटा खुला विश्वविद्यालय का पुनः मनोनयन कर दिया जाए और प्रो. एम.वी. माथुर के स्थान पर कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है कि वे एक अनुभवी कुशल प्रशासन एवं वित्त के अच्छे जानकार का मनोनयन कर दे और प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक इसे सूचनार्थ प्रेषित कर दे।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(एम.सी. शर्मा) डॉ. (श्रीमती) अमृत वालिया (प्रो. पी.के. शर्मा)

(डॉ. आर.वी. व्यास) (डॉ. एच.एस. महला) (प्रो. जनार्दन झा)

(प्रो. बी.एस. शर्मा)

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक दिनांक 21.02.98 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक शनिवार दिनांक 21.02.98 को प्रातः 11.30 बजे समिति कक्ष, कुलपति सचिवालय, विश्वविद्यालय परिसर कोटा में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	– अध्यक्ष
2.	प्रो. जी.डी. शर्मा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली	– सदस्य
3.	प्रो. जनार्दन झा सम कुलपति, इ.गां.रा.मु.विश्वविद्यालय नई दिल्ली	– सदस्य
4.	डा. आर. वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	– सदस्य
5.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, संकाय कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	– सदस्य
6.	डा. ॥श्रीमति॥.अमृत वालिया निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	– सदस्य
7.	श्री एम.सी. शर्मा कुलसचिव कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	– सचिव

निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति बैठक में सम्भव नहीं हो सकी -

1. डॉ. आदर्श किशोर सक्सेना
   प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
   राज. सरकार, जयपुर
2. श्री अनिल बैरथ
   शासन सचिव, उच्च शिक्षा
   राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रो. एच.एस. महला
   प्रोफेसर ग्रामीण साख
   हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान
   जयपुर

प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक के सदस्यों का स्वागत किया एवं सूचित किया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उनका कार्यकाल जो 6.2.98 को समाप्त हो रहा था छः माह के लिये बढ़ा दिया है, इस पर समस्त सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि तत्पश्चात् कुलाधिपति से मिलकर इस हेतु आभार प्रकट करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि इस छः माह की अवधि में विश्वविद्यालय के विकास को और अधिक गतिशील बनाकर दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की नवीनतम योजनाओं को कार्यरूप देकर विश्वविद्यालय को प्रगति के पथ पर और अधिक अग्रसर करने का प्रयास करेंगे।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को Audio Video Studio की प्रगति के बारे में सूचित करते हुए बतलाया कि Audio Video Studio के भवन निर्माण का कार्य 90 % सम्पन्न हो चुका है। E.M.P.C. ने Studio के लिये 78.00 लाख के उपकरणों हेतु क्रय आदेश जारी कर दिया है, जिनके मार्च के महीने में आने की संभावना है E.M.P.C. ने इस हेतु भवन निरीक्षण की एक टीम दिनांक 28-29 जनवरी, 98 को कोटा भेजी थी। इस टीम ने भवन निर्माण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा भवन में A.C. एवं Electric कार्य के सुचारु रूप से देखरेख हेतु एवं उपकरणों के स्थापित करने की दृष्टि से एक Engineer का मार्च 98से कोटा में भेजने का तय किया है जिससे यह सारा कार्य 31.3.98 तक सम्पन्न करा कर अप्रेल माह में उपकरणों को यथास्थान स्थापित किया जा सके।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सूचित किया कि M.P.D. भवन के दो हॉल लगभग तैयार हो चुके हैं। एवं दो हॉलों में से एक को M.P.D. के लिये उपयोग में दिया जायेगा। दूसरा हॉल जब तक Library भवन नहीं बन जाता तब तक Library के रूप में उपयोग में लिया जायेगा।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि राज्य सरकार ने State Plan वर्ष 1997-98 में पूर्व में स्वीकृत योजना राशि 80.00 लाख को घटा कर 50.00 लाख कर दिया। इससे योजनान्तर्गत कुछ कार्य का क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा वर्ष 1998-99 के योजनान्तर्गत 130.00 लाख के बजट प्रस्तावों में कटौती कर केवल 80.00 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस तरह योजना के प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा भारी कटौती की गई है।

अध्यक्ष महोदयन ने यह भी सूचित किया कि इन योजनान्तर्गत कटौतियों के बावजूद कुछ उत्साहवर्धक बात यह है कि राज्य सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने वर्ष 1997-98 में Computerization के मद में 42.00 लाख की विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित योजना को स्वीकृत करने की सहमति दर्शाई है तथा इस हेतु दिनांक 26.2.98 को बैठक आयोजित की है। आशा है कि इस मद में कुछ राशि योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय को प्राप्त होगी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से वित्तीय कठिनाई के कारण पुस्तकालय भवन हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। अत उन्होंने बतलाया कि विश्वविद्यालय IGNOU - DEC से अनुरोध करेगा कि जिस तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु अनुदान देता है उसी तरह DEC भी कोटा खुला विश्वविद्यालय को पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु अनुदान देने की व्यवस्था करे जिससे कोटा खुला विश्वविद्यालय भी पुस्तकालय भवन का निर्माण करा सकें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को CMC द्वारा Computer Net-Work के कार्य की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि CMC ने अधिकतर कार्य सम्पन्न कर लिया है। प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय ने Kota Engineering College से सम्पर्क कर यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों को Computer प्रशिक्षण की व्यवस्था की है

इसके उपरांत डॉ. आर. वी. व्यास, निदेशक, क्षे. सेवाएँ, अपने व्यक्तिगत कार्य होने के कारण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक से उठ कर चले गये, तदुपरान्त कार्यसूची अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-1

प्रबन्ध मण्डल की 41 वीं बैठक दिनांक 18.10.97 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना ।

--- ⌘ ---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 41 वीं बैठक दिनांक 18.10.97 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की ।

– ⌘ ⌘ ⌘ –

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-2

(A) प्रबन्ध मण्डल की 41 वीं बैठक दिनांक 18.10.97 मे लिए गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन ।

(B) प्रबन्ध मण्डल की 42 वीं (आपातकालीन) बैठक में लिए गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन ।

--- ⌘ ---

प्रबन्ध मण्डल की 41 वीं एवं 42 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त कर पुष्टि की ।

– ⌘ ⌘ ⌘ –

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-3

प्रबन्ध मण्डल की 42 वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 22.12.97 में लिए गये निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय की वित्त समिति में मनोनयन अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- ※ ---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल की 42 वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 22.12.97 में लिए गये निर्णय के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता के मनोनयन का अनुमोदन किया।

- ※ ※ ※ -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-4

श्री एम.सी. शर्मा का कुलसचिव के पद पर वेतन निर्धारण अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- ※ ---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से श्री एम.सी. शर्मा का कुलसचिव के पद पर वेतन निर्धारण का अनुमोदन किया।

- ※ ※ ※ -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-5

श्रीमति उमा शर्मा, आचार्य को असाधारण अवकाश की अवधि में वृद्धि किये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- ※ ---

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति महोदय द्वारा श्रीमति उमा शर्मा के असाधारण अवकाश अवधि में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने को अनुमोदित किया।

- ※ ※ ※ -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-6

निदेशक, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद को अनुसूचित जाति के बजाय सामान्य श्रेणी से भरे जाने की महामहिम कुलाधिपति महोदय की अनुमति अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- ※ ---

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया।

— ※ ※ ※ —

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-7

श्री जे.एम. भटनागर, विशेषाधिकारी, श्री बी.एम. भार्गव, उप कुलसचिव एवं श्री एस.एल. न्याती, सहायक लेखाधिकारी की पुनर्नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- ※ ---

प्रबन्ध मण्डल ने तीनों अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति अवधि बढ़ाने के आदेशों को अनुमोदन किया। श्री बी.एम. भार्गव का 16.02.98 से 31.03.98 तक की अवधि की पुनर्नियुक्ति का भी अनुमोदन किया।

— ※※※ —

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-8

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं पर कुछ कर्मचारियों को अनुभव में छूट देते हुए पदोन्नति दी गई है जो अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

तदर्थ पदोन्नतियों के हेतु दी गई छूट को अनुमोदित करते हुए प्रबन्ध मण्डल ने नियमित पदोन्नतियाँ राज्य सरकार के नई Roster प्रणाली के अनुरूप ही करने के निर्देश दिये।

- * * * -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-9

मुद्रण सलाहकार समिति की 9 वीं बैठक दिनांक 5.11.97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने 9 वीं मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5.11.97 के कार्यवाही विवरण पर अनुमोदन प्रदान किया।

- * * * -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-10

प्रोड्यूसर स्टूडियो पद की योग्यताओं में परिवर्तन कर इस विश्वविद्यालय में भी दूरदर्शन मैनुअल के अनुरूप ही योग्यताएँ रखे जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

--- * ---

प्रोड्यूसर स्टूडियो के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता EMRC या CEC के अनुरूप या P.G. 55 % ही रखे तथा शेष को अनुमोदित किया।

- * * * -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-11

कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार पद की योग्यताएँ एवं अनुभव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- ⌘ ---

प्रबन्ध मण्डल ने कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार की निर्धारित की गई योग्यताओं को अनुमोदित किया।

— ⌘ ⌘ ⌘ —

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-12

विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की पुर्नसंरचना एवं निदेशक पद के लिए योग्यताओं एवं अनुभव के लिए गठित समिति की अभिशंषाए अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- ⌘ ---

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की पुनर्संरचना एवं निदेशक पद की योग्यताए तथा अनुभव के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत निदेशक विज्ञान एवं तकनीकी के पद हेतु अभिशंषित योग्यताओं और अनुभव को संशोधन के साथ प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया।

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	1. Ph.D. with 1st Class at Bachelor's or Master's Degree in Electrical / Electronics / Computer Engineering.
अनुभव	2. Atleast 10 years experience in teaching or industry or institute, out of which 5 years must be at the level of Reader or equivalent in an institute of higher learnining.

— ⌘ ⌘ ⌘ —

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-13

प्रो. एस.एन. दुबे, सेवा निवृत्त निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी को पेंशन दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने प्रो. एस.एन. दुबे, सेवानिवृत्त निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी की "नेड्" की सेवा अवधि की पेंशन हेतु माने जाने का सेवा में टूट की अवधि को यात्रा काल माने जाने का एवं "नेड्" की सेवा के समय के UPF की राशि प्रो. दुबे द्वारा मय ब्याज के जमा कराए जाने के बारे में माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया। प्रो. दुबे को पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन आदि के बारे में जारी समस्त आदेशों की प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुष्टि की एवं अनुमोदन प्रदान किया।

- *** -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-14

ई.एम.पी.सी. को स्टूडियो उपकरणों की खरीद एवं स्टूडियो निर्माण के बारे में रु. 18.00 लाख और अग्रिम दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने इसे अनुमोदित किया।

- *** -

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-15

कर्मचारी कल्याण सहायता कोष के संशोधित नियम अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष के नियमों में संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा अभिशंसित संशोधित नियम जो केवल अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए बनाये हैं को अनुमोदित किया। और इन नियमों को शैक्षणिक कर्मचारियों पर भी इसी रूप में लागू करने का निर्णय लिया।

- *** -

कार्यसूची बिन्दु संख्या 43-16

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक या परीक्षा सम्बन्धी प्रकरणों के जांच कार्य हेतु नियुक्त जाँच अधिकारी को दिये जाने वाले टी.ए. एवं मानदेय का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने इसे अनुमोदित किया।

- * * * -

कार्यसूची बिन्दु संख्या 43-17

बी.एड. वर्ष 1992-93 बैच के विद्यार्थियों को बिना प्रवेश आवेदन पत्रों के परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी मामले की जांच के बारे में मामला अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने इसे अनुमोदित किया।

- * * * -

कार्यसूची बिन्दु संख्या 43-18

विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर चयन हेतु समितियों के गठन का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने निम्न पदों हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित चयन समितियों के गठन को अनुमोदन प्रदान किया :-

Constitution of Selection Committees

Professor Quorum 5 (out of which two shall be expert)	1. V.C. - Chairman 2. Chancellor's Nominee 3. State Govt.'s Nominee 4. BOM's Member to be nominated by State Govt. 5. (i) Head of Deptt. concerned if he is Professor otherwise senior most professor in the deptt. (ii) Three experts not connected with the University concerned out of panel of names recommended by the Academic Council.

***

Asso. Professor & Asstt. Professor (i) Quorum for Asso. Prof. 5 (out of which 2 shall be expert) (ii) Quorum for Asstt. Prof. 5 (out of which one shall be expert)	1. V.C. - Chairman 2. Chancellor's Nominee 3. State Govt.'s Nominee 4. BOM's Member to be nominated by State Govt. 5. (i) Head of Deptt. concerned if he is Professor otherwise senior most professor in the deptt. (ii) Two experts not connected with the University concerned out of panel of names recommended by the Academic Council.

***

Registrar, Dy. Registrar F.O. & C.E. Asstt. Registrar, Secretary to V.C., & other equivalent post not below Asstt. Registrar Quorum 4 including 1 expert	1. V.C. - Chairman 2. Chancellor's Nominee 3. State Govt.'s Nominee 4. BOM's Member to be nominated by State Govt. 5. Two experts not connected with the University concerned to be nominated by the V.C.

Librarian Quorum 5 including 2 experts	1. V.C. - Chairman 2. Chancellor's Nominee 3. State Govt.'s Nominee 4. BOM's Member to be nominated by State Govt. 5. 3 experts not connected with the University concerned having special knowledge of library science and library adminsitration to be nominated by the V.C. out of panel of names recommended by the BOM.
	***
Dy. Librarian, Asstt. Librarian or Jr. Technician in the scale not lower than that of lecturer Quorum 4 including 2 experts	1. V.C. - Chairman 2. Chancellor's Nominee 3. State Govt.'s Nominee 4. BOM's Member to be nominatec by State Govt. 5. 2 experts not connected with the University concerned having special knowledge of library science and library adminsitration to be nominated by the V.C. out of panel of names approved by the BOM.
	***
Director Quorum 4 including 2 experts	1. V.C. - Chairman 2. One nominee of Chancellor 3. One Nominee of State Govt. 4. One nominee of BOM. 5. Threee experts to be nominated by the V.C. and approved by the BOM. Note : For Regional Directors, the V.C. is authorised to invite Director, R.S., K.O.U. as special invitee.

इसी के साथ The Rajasthan University's Teachers' & Officers' (Selection for appointment) Act 1974 की धारा 3(3), 5(2), 5(3), 7, 8 के एवं First schedule के नीचे दिये हुए Explanations के प्रावधानों को यथानुसार ही इस विश्वविद्यालय में लागू माने जाने की भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इन प्रावधानों के आवश्यक अनुच्छेदों का तरतीबवार विवरण निम्नलिखित है :-

3(3). Nothing herein contained shall apply to the appointment of a teacher of an officer as a stop-gap arrangement for a period not exceeding one year or to the appointment of a part-time teacher or of a teacher or an officer in the pay scale lower than that of Lecturer or Asstt. Registrar respectively.

5(2). Constitution of Selection Committees.

The eminent educationists nominated under clause (ii) and clause (iii) of sub-section (1) and the member of the Syndicate nominated under clause (iv) of the said sub-section shall be members of every selection committee constituted during the course of one year from the date of his nomination :

Provided that the member of a Selection Committee nominated under clause (ii), (ii) or (iv) of sub-section (1) shall continue to be the member of every Selection Committee even after the expiry of his term until a fresh nomination is made by the Chancellor or, as the case may be, by the State Government subject, however, that fresh nomination of such member for Selection Committee shall be made within a period not exceeding three months from the date of expiry of his term.

5(3). No person shall be eligible to be nominated as an expert on any selection committee in any one year if he has been a member of any two selection committees during the course of the same year.

7. Dis-qualification for sitting as member in selection committees

A person shall be dis-qualified from sitting as a member of any selection committee and from taking part in any selection under this Act if he is personally interested in a candidate seeking selection to the post of a teacher or an officer in any University.

8. Vacancy or defect not to invalidate selections

Subject to the provisions as to the requirement of quorum, no act, proceeding or selection made by a selection committee shall be questioned on the ground of the existence of any vacancy or defect in the nomination of a member of such committee.

Explanations – I. The expression "expert or experts not connected with the University concerned", wherever used in the Schedule, shall mean such experts who are neither in the employment of the University concerned nor are members of the Senate, Board of Management, Syndicate or the Academic Council of such University at the time when the selection committee is constituted.

II. Three or, as the case may be, two experts to be nominated by the Vice-Chancellor of the University concerned for the selection of the teachers shall be chosen by him on the advice of a committee consisting of a member of the Rajasthan Public Service Commission to be nominated by the State Government after consultation with the Chairman of the said Commission who will be the Chairman of the Committee, the eminent educationist nominated under clause (iii) of sub-section (1) of Section 5 and the member of the Syndicate nominated under clause (iv) of the said sub-section of the said section and said committee shall from out of the panel of names recommended by the Academic Council recommended to the Vice-Chancellor of the University concerned names of atleast twelve experts for each selection committee which shall be in order of priority.

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-19

राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन रोस्टर अवलोकनार्थ एवं विश्वविद्यालय में इसके क्रियान्वयन के बारे में मार्गदर्शनार्थ एवं आदेशार्थ

--- ✂ ---

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक F-15(24)DOP/A-II/75 (65/97) दिनांक एवं प.15(24) कार्मिक/क-II/75 (68/97) दिनांक 25.11.97 के द्वारा जारी रोस्टर के बारे में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प-3 (6) शिक्षा-4/95 दिनांक 17.2.98 के अनुसरण में नवीन रोस्टर को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया एवं इसको क्रियान्वयन करने के आदेश प्रदान किये।

– ⋈ –

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-20

विश्वविद्यालय में भटनागर समिति द्वारा कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त समय में किये कार्यों हेतु देय मानदेय के नियमों में संशोधन का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- ✂ ---

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त अतिरिक्त समय में कार्य के मानदेय की अधिकतम सीमा एक माह से बढ़ा कर दो माह के वेतन के 70 % तक कर देने का निर्णय लिया।

– ⋈ –

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-21

विश्वविद्यालय में वर्तमान में अधिकारियों को देय S.T.D. सुविधा को राज्य सरकार की बजट निर्णायक समिति के निर्णयानुसार काटने का मामला अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

--- ✂ ---

विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि STD की सुविधा कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, सचिव कुलपति एवं समस्त निदेशकों के निवास पर उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु दूरभाष किराया तथा 1500 Call प्रति दो माह तक का व्ययभार ही विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा इस सीमा से अधिक का दूरभाष काल का व्ययभार संबन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से वहन करेगा। विश्वविद्यालय में वर्तमान में जिन अधिकारियों को कार्यालय से B.F.C. के निर्णयानुसार STD सुविधा दी हुई है उसे जारी रखी जावे।

टेबल ऐजेण्डा

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-22

क्षेत्रीय सेवा विभाग में कार्यरत ग्रुप-ए स्टाफ को "अन्य शैक्षणिक" माने जाने एवं निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र का पदनाम क्षेत्रीय निदेशक किये जाने एवं जोनल निदेशकों के बारे में डा. आर.वी. व्यास, निदेशक क्षेत्रीय सेवाओं एवं सदस्य प्रबन्ध मण्डल से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

--- ⌘ ---

निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं की अनुपस्थिति के कारण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने इस बिन्दु पर चर्चा को डेफर किया।

— ⌘ ⌘ ⌘ —

टेबल ऐजेण्डा

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-23

डा. आर.एल. शर्मा, उप कुलसचिव के बारे में श्री आर.एन. सक्सैना, जाँच अधिकारी द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

--- ⌘ ---

इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त एक अन्य जाँच कमेटी प्रो. जनार्दन झा की अध्यक्षता में बनाने का निर्णय लिया जो समस्त प्रकरण की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन कर कर सख्ती निर्धारण हेतु अभिशंषा प्रस्तुत करेगी। तदनुसार कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महादेय को अधिकृत किया गया।

— ⌘ ⌘ ⌘ —

टेबल ऐजेण्डा

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-24

श्री भूपेन्द्र जैन, श्री राम बिलास मीणा, श्री मनमोहन श्रीवास्तव, श्री मनमोहन बैरवा एवं श्री धनेन्द्र झा के प्रकरण में जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ ।

--- * ---

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण की प्राप्त रिपोर्ट पर कुलपति महोदय विधिक राय लेंगे, तथा उन्हें राय प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही करने को अधिकृत किया गया ।

- * * * -

टेबल ऐजेण्डा

कार्य सूची बिन्दु संख्या 43-25

विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए देश में एवं विदेश में आयोजित कान्फ्रेन्सेज / सेमीनारों / सिम्पोजिया आदि में भाग लेने हेतु ट्रेवल ग्रान्ट की योजना अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

--- * ---

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

- * * * -

टेबल ऐजेण्डा
कार्यसूची बिन्दु संख्या 43-26

विश्वविद्यालय के भारतीय परम्परा एवं संस्कृति विभाग में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य पदों हेतु अनिवार्य योग्यताओं के साथ ही कुछ वांछित योग्यताओं का निर्धारण का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- ✱ ---

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

– ✱ ✱ ✱ –

टेबल ऐजेण्डा
कार्यसूची बिन्दु संख्या 43-27

डा. के.के. गौतम, पूर्व निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वयं के निवास के विद्युत एवं जल के बिलों की राशि कार्यालय के बिलों के साथ ही कार्यालय से ही भुगतान किये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

--- ✱ ---

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सूचित किया कि डा. के.के. गौतम, पूर्व निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र कोटा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें IGNOU में जोनल डाइरेक्टर के पद पर Join करने हेतु कार्यमुक्त करने के लिए निवेदन किया है। उन्हें इस बारे में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, तत्पश्चात निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं ने सूचित किया कि डा. के.के. गौतम जब क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर के निदेशक पद पर कार्यरत थे तब वे कार्यालय के ऊपर प्रथम मंजिल पर रह रहे थे तब उन्होंने विद्युत एवं जल के सम्मिलित मीटर होने के फलस्वरूप उसका भुगतान विश्वविद्यालय मद से किया। अतः उनसे इस सम्बन्ध में वसूली की जाये। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है और एक A.A.O. को इस कार्य पर लगाया गया है। जांच उपरान्त जो भी वसूली राशि तय होगी डा. के.के. गौतम से ली जाएगी। सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि उनसे देय राशि की वसूली कर कार्यमुक्त किया जावें।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मंडल की 44वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 11.5.1998 दोपहर 3.00 बजे का कार्यवाही विवरण :

xxxxxxxxxxx

प्रबन्ध मंडल की 44वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 11.5.1998 को कोटा खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दोपहर 3.00 बजे सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्नांकित आमंत्रित उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. बी. एस. शर्मा कुलपति, कोटा खुला वि. वि., कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो. जनार्दन झा सम-कुलपति, इग्नो, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डा. जी. डी. शर्मा सचिव, वि. वि. अनुदान आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रो. पी. के. शर्मा प्रोफेसर, प्रबन्ध, कोटा खुला वि. वि., कोटा	सदस्य
5.	डा. (श्रीमती) अमृत वालिया निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को. खु. वि. वि., जयपुर	सदस्य
6.	श्री एम. सी. शर्मा कुलसचिव, कोटा खुला वि. वि., कोटा	सचिव प्रबन्ध मण्डल

डा. आदर्श किशोर सक्सेना, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, श्री अनिल वेश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, डा. आर. वी. व्यास, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा एंव प्रो. एच. एस. महला, प्रोफेसर ग्रामीण साख ह. च. मा. लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की इस बैठक में उपस्थिति सम्भव नहीं हो सकी ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया और सभी सदस्यों को कार्य विवरण की प्रतियां उपलब्ध करायी। तदउपरान्त कार्य सूची विवरण के विवेचन के अनुसार बिन्दुवार प्रबन्ध मंडल ने विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

लगातार...2

विशिष्ठ पदों की समीक्षा, पुनः आवंटन, उन्नयन एवं नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण विचारार्थ एवं आदेशार्थ

§क§ दिनांक 6.5.1998, 8.5.1998 एवं 11.5.1998 को सम्पन्न हुई चयन समितियों की अभिशंषाओं पर विचार :-

कार्य सूची के अनुसार कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष उपरोक्त तिथियों को सम्पन्न हुई चयन समितियों की अभिशंषाओं से सम्बन्धित सील्ड लिफाफे रखे। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की अनुमति के आधार पर लिफाफों को खोला जिनमें चयन समिति की अभिशंषाएँ निम्नानुसार थी :-

§।§ दिनांक 6.5.98 को प्रातः 11 बजे निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाओं को पढकर सदस्यों को सुनाई गई जो अनुलग्नंक-। के रूप में संलग्न है और निम्नानुसार है :-

अभिशंषा एवं टिप्पणी -

Shri Badri lal Mathur be appointed and in the pre-revised pay scale, he be given two increments.

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने उक्त चयन समिति की अभिशंषाओं की पुष्ठि की और आदेश दिया कि अग्रिम कार्यवाई की जावे।

§।।§ दिनांक 6.5.98 को दोपहर 2.30 बजे सहायक प्रोडेक्सन अधिकारी पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाओं का सील बंद लिफाफा खोला गया और चयन समिति के कार्यवाही विवरण को अध्यक्ष महोदय ने पढकर सुनाया जो अनुलग्नक-2 पर है और निम्नानुसार है :-

अभिशंषा एवं विवरण -

Sh. Ashok Kr. Dadhich be appointed as Asstt. Production officer. And Shri Yogendra Goyal be kept in Reserve. Salary as per rules.

लगातार-- 3

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषा की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिये।

§III§ दिनांक 8.5.98 को प्रातः 11.00 बजे सह आचार्य, भारतीय परम्परा एवं संस्कृति के पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाए पढ़कर सदस्यों को सुनाई गई जो अनुलग्नक -3 पर है और निम्नानुसार है :-

अभिशंषा एवं विवरण -

The Post should be advertised again as the Selection committee could not recommend any body

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषाएँ की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिये।

§IV§ दिनांक 8.5.98 को दोपहर 2.30 बजे सह आचार्य, इतिहास के पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाएँ पढकर सदस्यों को सुनाई गई जो अनुलग्नक -4 पर है और निम्नानुसार है -

अभिशंषा एवं विवरण -

Dr. BRIJ KISHORE SHARMA be appointed as Associate Professor of History and Dr (Mrs) Kamlesh Sharma be kept in Reserve Salary fixation as per Rules

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषा की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिये ।

लगातार-- 4

§V§ दिनांक 9.5.98 को प्रातः 10.30 बजे आचार्य, राजनीति विज्ञान के पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाऐं पढ़कर सदस्यों को सुनाई गई जो अनुलग्नक-5 पर है और निम्नानुसार है -

अभिशंषा एवं विवरण -

the University should re-advertise the post

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपयुक्त अभिशंषा की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के लिए आदेश दिये।

§VI§ दिनांक 11.5.98 को प्रातः 10.30 बजे सहायक आचार्य, हिन्दी §अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित §पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाए पढ़कर सदस्यों को सुनाई गई जो अनुलग्नक -6 पर है और निम्नानुसार है -

अभिशंषा एवं विवरण -

The selection committee did not recommend any one suitable and future advertisement may be given in more important Hindi News papers.

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषा की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के लिए आदेश दिये।

§VII§ दिनांक 11.5.98 को दोपहर 12 बजे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए हुए साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाऐं पढ़कर सदस्यों को सुनाई गई जो अनुलग्नक -7 पर है और निम्नानुसार है -

अभिशंषा एवं विवरण -

Shri Bhupendra Kumar Singh be appointed as Asstt. Librarian. Salary etc as per rules

लगातार- 5

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने चयन समिति की उपर्युक्त अभिशंषा की पुष्टि की और अग्रिम कार्यवाही के लिए आदेश दिये।

(ख) तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के कारण कुछ विषयों में सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का पुनः आवंटन

विश्वविद्यालय के तकनीकी पाठ्यक्रम चालू करने की योजना एवं एम. एड. चालू होने जाने के फलस्वरूप पदों के पुनःआवंटन के बारे में प्रबन्ध मण्डल ने कार्यसूची विवरण में दिये गये विवेचन एवं प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और पदो के पुनःआवंटन के बारे में निम्ननिर्णय लिये-

पद का नाम	पद का मूल आवंटन	अब पुनःआवंटन
सह आचार्य	भौतिक शास्त्र	अभियांत्रिकी
सह आचार्य	रसायन शास्त्र	शिक्षा
सहायक - आचार्य	भोजन एवं पोषण	अभियांत्रिकी

प्रबन्ध मण्डल ने इन पदों को शीघ्र भरने हेतु भी आदेश दिये।

(ग) क्षेत्रीय निदेशकों से दो सम्भागीय निदेशकों के उन्नयित पदों को भरने की प्रक्रिया बाबत -

कार्यसूची विवरण में इस पद के लिए दिये गये विवेचन एवं प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने विचार विमर्श किया और निम्न निर्णय लिए -

(I) इन पदों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा बनायी गई योग्यताओं एवं कार्य विशिष्ठताओं को ही कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा भी अपना लिया जावे।

(II) वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय निदेशकों में से ही इन उन्नयित सम्भागीय निदेशकों के दोनो पदों को प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में अनुमोदित चयन समिति के अनुसार चयन समिति गाठत करने हेतु प्रबन्ध मण्डल ने आदेश दिये।

उपर्युक्त निश्चय वर्तमान में दो जोनल निदेशकों से ही सम्बंधित है। भविष्य के लिए नीतिगत करने हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों की कार्य-विधि, पंजीकरण या अन्य संरचनात्मक विकास के आधार पर उन्नयन हो उसके लिए एक विशिष्ट दल गठित कर उसकी अभिशंसाओं के आधार पर प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख विचारार्थ रखा जावे।

आसन को धन्यवाद के सोथ बैठक समाप्त हुई।

(G. D. SHARMA) (J. Jha) (P. K. SHARMA)

कुलसचिव एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल

(A. WALIA)

(B. S. SHARMA)

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

प्रबन्ध मण्डल की 45 वीं बैठक दिनांक 25-07-1998 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 45 वीं बैठक शनिवार दिनांक 25.7.98 को प्रातः 11.00 बजे कुलपति निवास, विश्वविद्यालय परिसर, कोटा में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. बी.एस. शर्मा — अध्यक्ष
   कुलपति,
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।

2. प्रो. जी.डी. शर्मा — सदस्य
   सचिव
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

3. प्रो. जनार्दन डा — सदस्य
   सम कुलपति,
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली ।

4. प्रो. एच.एस. महला — सदस्य
   प्रोफेसर, ग्रामीण साख
   हरिश्चन्द्र लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।

5. डा. आर.बी. व्यास — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ,
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

6.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, (मैनेजमेंट) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य
7.	डा. आर. सी. मीणा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र कोटा खुला विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
8.	श्री जे. एम. भटनागर विशेषाधिकारी (समन्वय एवं विकास) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	विशेष आमंत्रित
9.	प्रो. बी.एल. माथुर प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा	विशेष आमंत्रित
10.	श्री बी.एम. भार्गव वित्त अधिकारी, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	विशेष आमंत्रित
11.	श्री एम.सी. शर्मा कुलसचिव कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सचिव

निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति बैठक में सम्भव नहीं हो सकी –

1.	डा. आदर्श किशोर सक्सेना प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राज. सरकार, जयपुर।
2.	श्री सुनिल बैरथ शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर।

प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की 45 वीं बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुए बतलाया कि विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षान्त समारोह तथा शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र भवन के लोकार्पण समारोह 1.8.98 को करने का निश्चय किया गया था। इस हेतु प्रस्तावित मुख्य अतिथि से सम्पर्क किया गया तो मुख्य अतिथि ने 7.8.98 से पहले आने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तत्पश्चात महामहिम कुलाधिपति महोदय से सम्पर्क करने पर उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों समारोह इकट्ठे न करें तथा 1.8.98 को केवल शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र का लोकार्पण ही रखें तथा द्वितीय दीक्षान्त समारोह बाद में किसी भी तिथि को कर लेवें। अतः इस सम्बन्ध में 16.7.98 को महामहिम कुलाधिपति से वार्तानुसार शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र के लोकार्पण समारोह को 1.8.98 को करने का निश्चय किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों को सम्मिलित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया है।

अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1998-99 के बजट में पांच पद स्वीकृत किये हैं तथा पूर्व में दो पद स्वीकृत है। ये सारे पद तकनीकी पद हैं। इन पदों पर कोई तकनीकी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। हालांकि पूर्व में स्वीकृत पदों को विज्ञापित भी किया गया था किन्तु कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण पद रिक्त पड़े हुए है। अतः इस सम्बन्ध में "दूरस्थ शिक्षा परिषद" नई दिल्ली से सम्पर्क किया गया तथा उसके साथ मिलकर शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र के प्रबन्ध की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था करीब एक वर्ष तक रहेगी।

भवन निर्माण के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि अब तक "भवन निर्माण समिति" की योजनानुसार विश्वविद्यालय परिसर में केवल मात्र पुस्तकालय भवन को छोड़कर शेष सभी भवन करीब-करीब पूर्ण होने की स्थिति में है। अतिथि गृह पोस्ट आफिस एवं बैंक भवन पूर्ण रूप से तैयार है तथा शीघ्र ही बैंक स्थानान्तरित किया जायेगा तथा डाकघर भी शीघ्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है। अतिथि गृह भवन हेतु शीघ्र ही वांछित फर्नीचर इत्यादि क्रय करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। इनके अलावा दो भवन हाल तैयार किये जा रहे है जो पूर्ण होने की स्थिति में है। इन्हें पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग हेतु बनाया गया है। परन्तु यह भवन पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग की वर्तमान आवश्यकता से अधिक होने के फलस्वरूप केवल एक भवन हाल ही इस विभाग हेतु उपयोग में लिया जायेगा। तथा भविष्य में जैसे

जैसे आवश्यकता होगी उसका उपयोग किया जायेगा। पुस्तकालय हेतु वर्तमान में कोई भवन नहीं है तथा न तो राज्य सरकार से इस हेतु इस वर्ष कोई अनुदान प्राप्त होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में 9 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में पुस्तकालय भवन के योजना प्रस्ताव 4.23 करोड के बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये थे। राज्य सरकार ने उसमें कटोती करवाकर 2.61 करोड के प्रस्तावों पर सहमति जताई थी। किन्तु बी.एफ.सी. वर्ष 1998-99 में पुस्तकालय भवन हेतु प्रावधान को 9 वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के लिये रखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में पाठ्य सामग्री विभाग के लिये निर्माणाधीन दो भवनों - हालों में से एक भवन-हाल में पुस्तकालय को स्थापित किये जाने की योजना है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार ने 9 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत् जिन पदों की सहमति प्रकट की थी उनमें से केवल 5 पद हेतु तथा दो पदों को उन्नयन की ही बी.एफ.सी. 98-99 में स्वीकृति दी। शेष पदों की कटौती कर दी है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा परिषद से वर्ष 1997-98 में 92.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय Matching Share के आधार पर अपने स्त्रोतों से लगभग 1.00 करोड राशि विकास हेतु व्यय का प्रावधान रख सकता है इसी आधार पर दूरस्थ शिक्षा परिषद से उपरोक्त अनुदान प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि गत डेढ वर्ष से दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कुछ नीतिगत बदलाव आया है तथा वर्तमान में यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार की उच्च शिक्षा नीति में एक पूरक (Complementary) की भूमिका वहन करने की योजना के अन्तर्गत 5 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार कर प्रारम्भ किये है। इससे राज्य सरकार के महाविद्यालयों पर पारम्परिक पाठ्यक्रमों का दबाव कम होगा। इसके अलावा कोटा खुला विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा के 4 स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की योजना तैयार की है जिसे इसी वर्ष से प्रारम्भ करने की योजना है। इस सम्बध में एक तकनीकी विशेषज्ञ दल बनाया गया है जिसमें इन पाठ्यक्रमों को तैयार करवाकर एवं अनुमोदित करवाकर Planning Board तथा Academic Council द्वारा अनुमोदित करवाकर प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सूचित किया कि कुलपति के रूप में उनका कार्यकाल 6.2.98 को समाप्त हो गया था जिसे छः माह के लिए बढाया

गया है जो 6.8.98 को समाप्त होगा। इस साढे तीन वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा प्रबन्ध मण्डल की बैठकों के सदस्यों से जो उन्हें सक्रिय सहयोग एवं समय समय पर सुझाव मिलें उसकी सराहना की तथा यह भी कहा कि उनके सहयोग के फलस्वरूप ही उन्हें विश्वविद्यालय को फरवरी, 95 की स्थिति से उबारकर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर एक सुदृढ आधार देने में सफलता मिली है। अब यह विश्वविद्यालय गर्व से कह सकता है कि यह विश्वविद्यालय किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में कम नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने पुनः सदस्यों का आभार व्यक्त कर कार्य सूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या: 45.1

प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक दिनांक 21-02-98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 43 वीं बैठक दिनांक 21.2.98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या: 45.2

प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक दिनांक 21-02-98 एवं 44 वीं बैठक दिनांक 11-05-98 में लिए गए निर्णयों की पालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं एवं 44 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या : 45.3

वित्त समिति की 24 वीं बैठक दिनांक 24-06-1998 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की 24 वीं बैठक दिनांक 24-06-1998 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.4

योजना मण्डल की 5 वीं बैठक दिनांक 13-07-1998 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से योजना मण्डल की 5 वीं बैठक दिनांक 13-07-1998 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या : 45.5

विद्या परिषद की 18 वीं (विशेष) बैठक दिनांक 15-07-98 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 18 वीं ः विशेषः बैठक दिनांक 15-07-1998 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या : 45.6

विश्वविद्यालय कार के दिनांक 07-03-1998 को भयंकर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें बैठे श्री एम.सी. शर्मा, कुलसचिव एवं श्री कमल कुमार गौड वरिष्ठ लिपिक को चोटें लगने पर कर्मचारी कल्याण कोष से क्रमश रु. 5000/- एवं रु. 10,000/-वित्तीय सहायता दिऐ जाने के निर्णय पर विशेष अनुमति हेतु प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

अध्यक्ष महोदय के द्वारा दुर्घटना का विस्तृत विवरण देने के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से माननीय कुलपति के आदेश संख्या 2805 दिनांक 9.3.98 के द्वारा मानवीय आधार पर श्री एम.सी. शर्मा, कुलसचिव एवं श्री कमल कुमार गोड, वरिष्ठ लिपिक को क्रमशः रु. 5,000/- एवं रु. 10,000/- की आर्थिक सहायता देने के उपरोक्त आदेश का अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या : 45.7

कुछ अध्यापकों/अधिकारियों को असाधारण अवकाश स्वीकृति, वरिष्ठ वेतनमान दिऐ जाने, पुनर्नियुक्ति सेवा अवधि में वृद्धि किऐ गऐ मामले अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से माननीय कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या : 45.8

श्री मोहनलाल वशिष्ट स्कालर नं. 10307 एवं श्री ओम प्रकाश शर्मा , स्कालर नं. 10375 द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम वर्ष 1997 में प्रवेश हेतु गलत तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण इनका प्रवेश आदेश क्रमांक 488-94 दिनांक 16-5-98 द्वारा प्रवेश निरस्त एवं फीस जब्ती के आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से आदेश संख्या 488-94 दिनांक 16.5.98 के द्वारा सर्व श्री मोहनलाल वशिष्ट एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा के प्रवेश को निरस्त कर शुल्क जब्त करने की पुष्टि की ।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.9

दिनांक 16-5-98 को हुऐ उपकुलसचिव पदों के साक्षात्कार पर चयन समिति की अभिसंषाऐं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 16-5-98 को उपकुलसचिव के तीन अनारक्षित तथा एक पद अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के साक्षात्कार पर चयन समिति की अभिशषाओं के सील्ड बन्द लिफाफे प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख रखे । सदस्यों की अनुमति के आधार पर उन्हें खोला गया ।

चयन समिति में निम्न सदस्य उपस्थित थे -

1. डा. एस.डी. मिश्रा, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ।
2. प्रो. ः श्रीमतिः शीलकान्ता आसोपा, राज्यपाल की प्रतिनिधि ।
3. श्री के.जे.एस. प्रसाद राव, विशेषज्ञ ।
4. श्री जे.एल. गेहला, विशेषज्ञ ।

अनारक्षित वर्ग में 27 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था, जिनमें से साक्षात्कार में 24 अभ्यार्थी उपस्थित हुए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) में 6 अभ्यार्थियों को बुलाया गया था जिनमें से 5 अभ्यार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे।

चयन समिति की अभिशंषाए निम्नानुसार है :-

1. उप कुलसचिव के तीन अनारक्षित पदों के दिनांक 16.5.98 के साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाए पढ़ कर सुनाई गई जो निम्नानुसार है -

अभिशंषा एवं विवरण

"On the basis of the examination of relevant records and performance of the Candidates in the interview, the Selection Committee recommends that the following be appointed as Dy. Registrar" -

1. Shri H.L. Dhakar
2. Shri Radha Rasik Sharan
3. Smt. (Dr.) Kamlesh Joshi

And it reserves in order of merit -

1. Shri G.S. Gupta
2. Shri Deepak Saxena

2. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित उप कुलसचिव के एक पद हेतु दिनांक 16.5.98 के साक्षात्कार की चयन समिति की अभिशंषाए निम्नानुसार है :-

"On the basis of the examination of relevant records and performance of the Candidates in the interview, the Selection Committee recommends that the post be advertised again."

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त दोनों अभिशंषाओं को प्रस्तुत करते समय प्रबन्ध मण्डल को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि अनारक्षित वर्ग में क्रम संख्या 3 पर चयनित श्रीमति (डॉ.) कमलेश जोशी ने कुछ समय पूर्व उपकुलसचिव पद पर नियुक्ति हेतु

राजस्थान उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध वाद दायर किया था। जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिये थे। बाद में विश्वविद्यालय ने निषेधाज्ञा को निरस्त करवा कर साक्षात्कार करवाए तथा श्रीमति जोशी ने भी वाद वापिस लेने हेतु विश्वविद्यालय के अधिवक्ता को सूचित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है इस प्रकार वह वाद समाप्त हो जायेगा। अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिये कि डा. कमलेश जोशी के नियुक्ति आदेश में यह शर्त जोड़ी जावे कि

This order is subject to confirmation of withdrawal of her case from Rajasthan High Court.

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से दिनांक 16.5.98 को हुए उपकुलसचिव पदों के साक्षात्कार पर चयन समिति की उपरोक्त अभिशंषाओं का अनुमोदन कर उन पर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.10

कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु पूर्व में निर्धारित योग्यताओं का अनिवार्य एवं वांछित योग्यताओं में वर्गीकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 43 वीं बैठक दिनांक 21-2-98 के बिन्दु संख्या 43.11 के क्रम में कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु निम्न अनिवार्य एवं वांछित योग्यता का अनुमोदन किया -

कनिष्ठ लेखाकार

अनिवार्य योग्यताएँ।	स्नातक उपाधि	
वांछित योग्यताएँ।	(1)	लेखा एवं वित्त सम्बन्धी कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव
	(11)	वाणिज्य स्नातकों को वरियता

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.11

श्री एस.के. सक्सैना स्थायी अधिवक्ता को देय मासिक मानदेय में वृद्धि का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विस्तृत चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से श्री एस.के. सक्सैना, विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता के मासिक मानदेय को 1500/- से बढ़ाकर रु. 2500/- प्रतिमाह करने का अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.12

सुरक्षा ऐजेन्सी मैसर्स जोगमाया सिक्यूरिटी सर्विसेज की कार्यविधि दिनांक 31-3-99 तक बढ़ाने का आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कार्यालय आदेश सं. 412 दिनांक 6.5.98 के द्वारा मैसर्स जोगमाया सिक्यूरिटी सर्विसेज की कार्यविधि दिनांक 31.3.99 तक बढ़ाने की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.13

डॉ. के.के. गौतम, पूर्व निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के विरूद्ध नल एवं बिजली की बकाया राशि के बारे में लेखा शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक दिनांक 21.2.98 के बिन्दु संख्या 43-27 के अनुसरण में डॉ. के.के. गौतम ने कार्यमुक्त होने से पहले विश्वविद्यालय में नल एवं बिजली व्यय के मद में रूपये 30,000/- जमा करवाये थे जो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अवधि नल एव बिजली के कुल व्यय रू. 59,749 का लगभग 50 प्रतिशत है। अतः प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से डा. के.के. गौतम के विरूद्ध नल व बिजली के मद में रू. 30000/- की राशि ही लिए जाने का आदेश दिया तथा उनके द्वारा इस राशि को कार्यमुक्त होने से पूर्व जमा कराने का अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.14

नवीन वेतनमान 1998 के क्रम में अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण एवं तदनुसार दिऐ गऐ ऐरियर राशि के नकद भुगतान का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नवीन वेतनमान 1998 कर्मचारियों को 1.9.96 से देने के आदेश की एवं तदानुसार दिये गये ऐरियर राशि के दिनांक 1.1.97 से नगद दिये जाने के आदेश की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.15

श्रीमती रजनी भारद्वाज, कनिष्ठ लिपिक को तीसरी बार मातृत्व अवकाश स्वीकृति का मामला अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए श्रीमति रजनी भारद्वाज, कनिष्ठ लिपिक को तीसरी बार मातृत्व अवकाश देने का अनुमोदन किया तथा यह भी निर्देश दिये कि इसे परिपाटी न माना जावे एवं भविष्य में केवल नियमानुसार ही मातृत्व अवकाश देय होगा।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.16

विश्वविद्यालय में शोध डिग्री हेतु पूर्व में अनुमोदित अध्यादेश के बदले में नया ड्राफ्ट अध्यादेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से डॉ. आर.सी. मेहरोत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय में शोध डिग्री हेतु अध्यादेश का अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.17

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का संविधान अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस संबंध में पूर्व में अन्य संघों के लिए गठित समिति को परीक्षण एवं अभिशंषा हेतु प्रस्तुत किया जावे।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.18

ऐसोशिऐशन ऑफ कॉमनवेल्थ में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व का प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस बिन्दु पर निर्णय स्थगित किया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.19

वर्ष 1996 के बी.एड. के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्रों के फर्जी पाये जाने के कारण उनके प्रवेश/परीक्षा/परीक्षा परिणाम/डिग्री निरस्त किऐ गऐ है जो अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से इस मामले में गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 3.6.98 एवं 6.7.98 का अनुमोदन कर निम्न बी.एड. छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा निरस्त कर शुल्क जब्त करने के आदेश दिये -

क्रम सं.	एनोलर सं.	विद्यार्थी का नाम
1.	960309875	बाबू बाई
2.	10067	हनुमान सहाय यादव
3.	10125	जलसिंह मीणा
4.	10162	कालूराम यादव
5.	10351	दिनेश शर्मा
6.	10515	रमेश चन्द्र शर्मा
7.	10618	सविता अग्रवाल
8.	10695	सोगानी लाल मीणा
9.	310738	सुरेन्द्र सिंह चन्द्रवरी
10.	10811	विष्णु कुमार शर्मा
11.	10832	रामस्वरूप मीणा

एवं

1.	960309904	बनवारी लाल जांगिड
2.	10442	राजेन्द्र कुमार विश्नोई
3.	9876	बाबू लाल
4.	9990	धर्मपाल गुर्जर
5.	10441	राजेन्द्र कुमार मिलवार
6.	13337	राम खिलाडी सैनी
7.	10131	जयराम मीणा
8.	10321	मोतीलाल पिंगोलिया
9.	10335	नन्द किशोर रैगर
10.	10429	राधा पाराशर
11.	10665	शिवचरण मीणा
12.	9886	बाबूलाल महावर

13.	10766	तृप्ता शर्मा
14.	9998	दिनेश कुमार सैन
15.	9994	धर्मपाल मौर्य
16.	10483	रामकिशोर मीणा
17.	10641	शंकर लाल मीणा
18.	960310615	सत्येन्द्र नारायण शर्मा

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-20

आसन की अनुमति से अन्य बिन्दु ।

निल ।

टेबिल ऐजेण्डा

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-21

जोनल डाइरेक्टर के उन्नयित पदों के बारे में विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) के लिए निर्धारित निम्न योग्यताओं एवं अनुभव को ही कोटा खुला विश्वविद्यालय में जोनल डाइरेक्टर के उन्नयित पदों हेतु अनुमोदन कर उन्हें सीधे चयन के माध्यम से भरने का आदेश दिया।

Qualification & Experience :-

[a] Good academic record with a doctoral degree or equivalent published work.

[b] At least ten years experience in teaching and / or educational administration at a senior supervisory level, educational planning and management or formulation and implementation of educational development programmes, including at least 5 years experience in the distance education system in management, monitoring and evaluation of students support services and conduct of staff development programmes.

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-22

ड्राफ्ट एकाउन्टस कोड में संशोधन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति की 21 वी बैठक में अनुमोदित एकाउन्टस कोड को सर्वसम्मति से निम्न संशोधन कर अनुमोदित करते हुए आदेश दिया कि श्री जे.एम. भटनागर, आई.ए.एस. (सेवा निवृत) की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को भी इस एकाउन्टस कोड का भाग मान लिया जावे।

Entry No. XU of item No. 27 of Delegation of Financial powers at page 177 of the draft Accounts-Code shall be substituted as under –

(XU)	
Monetary incentive for extra work performed on holidays or beyond office hours limited to 70% of the basic pay upto one month in a Financial year.	In view of the quantity of work as proposed by Head of the Unit as per rate given in Bhatnagar committee report.

(Full power)

N.B. No such allowance is payable to any officer above the rank of Section Officer.

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये कि लेखा कोड की तरह ही एक प्रशासनिक नियमों का भी कोड तैयार कराया जावें और जब तक प्रशासनिक नियमों का कोड बने तब तक सेवा सम्बन्धी, नियुक्ति सम्बन्धि एवं अन्य आवश्यक नियमों के प्रावधान जो विश्वविद्यालय के नियमों में नहीं है उनके बारे में राजस्थान सरकार के नियमों में वर्णित प्रावधान को ही विश्वविद्यालय कर्मियों पर लागू माना जावें।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-23

वित्त अधिकारी नियुक्ति का सम्पूर्ण प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से वित्त अधिकारी की नियुक्ति के सम्पूर्ण प्रकरण को नोट करते हुए इसका अनुमोदन किया। एवं उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर करने हेतु दो पैनल एडवोकेट्स के साथ ही साथ एक अन्य वकील श्री निर्मल मालू को लगाये जाने की एवं उन्हें फीस बतौर रु. 5,500/- देने के निर्णय की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-24

विश्वविद्यालय के आडीटर द्वारा दिया गया पत्र एवं उस पर की गई कार्यवाही अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मेसर्स आर.एस. गांग एण्ड क. के द्वारा विश्वविद्यालय अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखा रिपोर्ट तथा तुलन पत्र तैयार न करने के कारणों पर प्रकाश डाला। प्रबन्ध मण्डल ने इस मामले में वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नोट ॥टिप्पणी॥ पर भी विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मेसर्स आर.एस. गांग एण्ड क. को विश्वविद्यालय के अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र तैयार करने हेतु दिया गया कार्य तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावें तथा कुलपति को अधिकृत किया कि यह कार्य किसी अन्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सौंपा जावें। यह भी सर्वसम्मति से तय किया गया कि विश्वविद्यालय में नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का Conduct improfessional एवं निन्दनीय है। इन्हें इस सम्बन्ध में बोर्ड के Displeasure से अवगत कराया जावें। Association of Chartered Accountants को भी प्रतिलिपि भेजी जावें।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-25

संकाय छात्रावास एवं संकाय भवन के नाम परिवर्तन का मामला अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संकाय छात्रावास भवन एवं संकाय भवनों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः विश्वविद्यालय अतिथि गृह एवं कवि सूर्यमल्ल मिश्रण भवन करने का अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-26

विभिन्न नवीन स्वीकृत विडियो प्रोड्यूसर (स्टूडियो) एडीटर (स्टूडियो) तकनीकी सहायक (स्टूडियो) एवं सहायक केमरा मेन के पदो हेतु योग्यताओं का निर्धारण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से स्टूडियो हेतु स्वीकृत विभिन्न पदो हेतु निम्न योग्यताओं का अनुमोदन किया -

Video Producer (Studio)

Qualification

Essential

1. Post graduate degree in any discipline with atleast 55% marks or equivalent.

2. Atleast 5 years experience in the field on Audio/Video Programme Production as a Production Asstt / Script Writer / Transmission Executive / Video Editor preferably in a broad casting organisation or Educational Institute.

Desirable :

Post Graduate degree in Mass Communication or Diploma in Direction from FTII Pune or equivalent.

Editor (Studio)

Qualificaton :

1. Matriculation or equivalent.
2. Degree / Diploma in film Editing from a recognised institution.
3. Should have passed examination equivalent to Middle School standard with local language relevant to the vacancy as one of the subjects (not applicable if the language relevant to the vacancy in the mother tounge which he has had schooling in Primary and Secondary Schools.)

Technical Asstt. (Studio)

Essential Qualification :

1. Diploma in Electrical Engineering / Electronics or sound from a recognised institution.
2. Two years experience of maintenance of TV / Sound equipments or in Audio / Video recording.

Desirable Qualification :

1. Knowledge of Radio & TV Engineering.

Asstt. Camera Man

Essential Qualification :

1. Diploma in cinematography from FTII or equivalent.
2. Two years experience of working with film / Video camera.

Desirable Qualification :

1. Bachelor's degree.
2. Experience of working in Television.
3. Good knowledge of Broadcasting system in India & abroad.

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-27

प्रवेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को आरक्षण दिये जाने बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-28

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु नियुक्तियों में आरक्षण बाबत सचिव राज्यपाल महोदय से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया तथा विश्वविद्यालय में तदनुसार नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-29

डिफाल्टर्स को दिसम्बर 98 की परीक्षाओं में शामिल होने देने का अंतिम अवसर दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस प्रकरण में विस्तृत विवेचना का अवलोकन कर प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी.जे.एम.सी., डी.एल.एल., बी.एड., डी.आई.एम., और सी.सी.पी. डिफाल्टर्स छात्रों को अन्तिम अवसर दिसम्बर 1998 की परीक्षा में प्रदान किया जावे।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-30

काम में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं के डिस्पोसल का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने पिछली परीक्षाओं में काम ली गई उत्तर पुस्तिकाओं को डिस्पोजल ः निपटानः करने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-31

विश्वविद्यालय के स्टूडियों भवन एवं अतिथि गृह के लोकार्पण का मामला अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-32

दान दाताओं से विद्यार्थियों को देने हेतु दान स्वरूप स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देने हेतु दान दाताओं से विश्वविद्यालय द्वारा दान राशि प्राप्त करने का अनुमोदन किया तथा यह भी निर्णय किया कि इस हेतु कम से कम रुपये 6,501/- ः छः हजार पांच सौ एक मात्र ः प्रति स्वर्ण पदक की दान राशि ली जावे। तथा स्वर्ण पदक हेतु स्पेसिफिकेशन का भी अनुमोदन किया जिसमें दान दाता का नाम स्वर्ण पदक के पृष्ठ भाग पर अंकित होगा।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-33

दिनांक 24.7.98 को सम्पन्न मुद्रण सलाहकार समिति की 10 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से मुद्रण सलाहकार समिति की 10 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 45-34

एजूकेशन मीडिया प्रोडक्शन सेन्टर के लोकार्पण से संबंधित मुद्रण कार्य हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 21.7.98 की अभिशंषा।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र ॥ई.एम.पी.सी.॥ के लोकार्पण हेतु कुलपति महोदय के आदेश संख्या एफ-2/कोखुवि/ कुस/ लोका/98/गोप/ 001 दिनांक 18.7.98 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.7.98 द्वारा प्रस्तुत अभिशंषाओं का अनुमोदन किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया कि परीक्षा नियंत्रक डॉ. के.के. रॉय दिनांक 31/8/98 को सेवा निवृत होने वाले है। अतः इस पद हेतु जब तक कोई नियमानुसार चयनित व्यक्ति की नियुक्ति न हो जाये तब तक तदर्थ व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह से निदेशक, पाठ्य सामग्री के पद हेतु भी चयनित व्यक्ति की नियुक्ति तक कोई तदर्थ व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कुलपति महोदय को परीक्षा नियंत्रक के रिक्त होने वाले पद पर तथा निदेशक, पाठ्य सामग्री के पद हेतु तदर्थ व्यवस्था करने को अधिकृत किया।

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति के 3 वर्ष 6 माह के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय की प्रगति की प्रशंसा करते हुए निम्न उद्गार प्रकट किये -

डा. जी.डी. शर्मा ने कोटा खुला विश्वविद्यालय के गत साढे तीन वर्षों में विकास एवं प्रगति की चर्चा करते हुए प्रो. बी.एस. शर्मा के अथक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रो. बी.एस. शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जिस तीव्र गति से विश्वविद्यालय के 4-5 वर्षों के बैकलॉग को समाप्त किया वह वास्तव में सराहनीय है जिससे विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा अर्जित कर आज सुदृढ आधार प्राप्त कर दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सका है। डा. जी.डी. शर्मा ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों से आग्रह किया कि कुलपति प्रो. बी.एस. शर्मा के कोटा खुला विश्वविद्यालय के विकास में प्रशंसनीय योगदान को प्रबन्ध मण्डल रिकार्ड करें तथा उन्हें प्रबन्ध मण्डल की ओर से इस आशय को प्रगट करते हुए पत्र भी प्रेषित करें। जिस का सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।

प्रो. जनार्दन डा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रो. बी.एस. शर्मा से उनका काफी लम्बे समय से सम्बन्ध रहा है और वे इसी वजह से कोटा खुला विश्वविद्यालय की बैठकों में निरन्तर सम्मिलित होते रहे है तथा उन्होंने कहा कि प्रो. बी.एस. शर्मा के कार्यभार ग्रहण के समय इस विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। प्रो. शर्मा ने अपने अथक प्रयासों से स्थिति में सुधार किया अब विश्वविद्यालय काफी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कोटा खुला विश्वविद्यालय की इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से तुलना करते हुए कहा कि परिसर तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में कोटा खुला विश्विवद्यालय ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से भी अच्छी प्रगति की है, यहाँ भवन निर्माण तीव्र गति से हुआ है तथा अच्छी क्वालिटी का है जो वास्तव में सराहनीय है।

प्रो. एच.एस. महला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गत दो-तीन वर्षों में विश्वविद्यालय ने काफी प्रगति की है उन्होंने यह भी कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे कि राज्य सरकार इनको तीन वर्ष का एक ओर कार्यकाल प्रदान करें जिससे विश्वविद्यालय ओर उत्रोत्तर प्रगति कर सकें अन्यथा उन्होंने सन्देह प्रकट किया की विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा का प्रोफेसर बी.एस. शर्मा के केलिबर का कोई अन्य कुलपति नेतृत्व हेतु उपलब्ध होगा।

प्रो. पी.के. शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वे विश्वविद्यालय में आने से पूर्व प्रो. बी.एस. शर्मा को मैनेजमेन्ट (प्रबन्धन) के एक राष्ट्रीय स्तर के विद्वान के रूप में ही जानते थे किन्तु यहाँ उनके सम्पर्क में आने पर उन्होंने प्रो. बी.एस. शर्मा को एक उच्च कोटि का प्रशासक पाया जो किसी संस्थान की गिरती हुई स्थिति को अपने प्रशासकीय क्षमता से प्रगति में बदल सकते है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहाँ से जाने के बाद भी प्रो. बी.एस. शर्मा का इस विश्वविद्यालय को सहयोग हमेशा मिलता रहेगा।

डॉ. आर.बी. व्यास ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि उनका कुलपति प्रो. बी.एस. शर्मा के साथ काफी अरसे से सम्पर्क रहा है तथा कोटा खुला विश्वविद्यालय में गत 3 वर्षों से उनके साथ है। इन तीन वर्षों में विश्वविद्यालय की स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा विश्वविद्यालय में बहुमुखी विकास हुआ है। इनके कार्यकाल में तीव्रगति से परिसर निर्माण, भवन निर्माण तथा नये पाठ्यक्रमों का विकास वास्तव में सराहनीय कार्य है। अन्त में उन्होंने कुलपति प्रो. बी. एस. शर्मा की लम्बी आयु एवं सुखद भविष्य की कामना की।

प्रो. बी. एल. माथुर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कोटा खुला विश्वविद्यालय के स्थापित होने के साथ ही उनका इस विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रहा है। प्रो. बी.एस. शर्मा के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉ. शर्मा के आने के बाद स्थिति में अच्छा सुधार हुआ है तथा अब कुल मिलाकर एक अच्छे विकासशील विश्वविद्यालय की इमेज बनी है। इस विश्वविद्यालय ने अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर अभियान्त्रिकी शिक्षा में तथा उसके प्रति सोच में परिवर्तन ला दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस विश्वविद्यालय में जल्दी से जल्दी आने को तत्पर है। अन्त में उन्होंने प्रो. बी.एस. शर्मा के लम्बी आयु एवं सुखद भविष्य की कामना की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 46 वीं बैठक दिनांक 02 नवम्बर 1998 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 46 वीं बैठक सोमवार दिनांक 2 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे कुलपति सचिवालय, विश्वविद्यालय परिसर, कोटा में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो. जी.डी. शर्मा सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रो. जनार्दन झा सम कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रो. वी.पी. दीक्षित 2/5 मालवीय नगर जयपुर, राजस्थान	सदस्य
5.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, (मैनेजमेंट) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य
6.	डा. आर. सी. मीणा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र कोटा खुला विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
7.	श्री जे. एम. भटनागर विशेषाधिकारी (समन्वय एवं विकास) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	विशेष आमंत्रित

8. डॉ. के.के. रॉय — विशेष आमन्त्रित
परीक्षा नियन्त्रक
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

9. श्री एम.सी. शर्मा — सचिव
कुलसचिव
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।

निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति बैठक में सम्भव नहीं हो सकी –

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
राज. सरकार, जयपुर ।

2. शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राज. सरकार, जयपुर ।

3. डॉ. आर.बी. व्यास
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया तथा विशेष रूप से प्रो. दीक्षित का स्वागत करते हुए सदस्यों को बतलाया कि प्रो. एच.एस. महला का कार्यकाल समाप्त होने पर राज्य सरकार ने उनके स्थान पर प्रो. दीक्षित को कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में नामित किया है। अध्यक्ष ने हर्ष व्यक्त किया कि प्रो. दीक्षित के शिक्षा के क्षेत्र में लम्बे अनुभव का विश्वविद्यालय को लाभ मिलेगा तथा इनके क्रियात्मक सहयोग से विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने प्रो. महला, निवृतमान सदस्य, प्रबन्ध मण्डल के द्वारा उनके कार्यकाल में क्रियात्मक सहयोग तथा उनके अनुभव से विश्विवद्यालय को प्राप्त लाभ एवं मार्ग दर्शन एवं उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यक्ष महोदय ने यह भी आशा व्यक्त की कि प्रो. महला का विश्वविद्यालय के प्रति स्नेह, सद्भाव पूर्ववत बना रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया कि प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 25.7.98 की बैठक के पश्चात उनका कार्यकाल 6.8.98 को समाप्त हो रहा था जिसे महामहिम कुलाधिपति महोदय ने 3 माह के लिए बढ़ा कर 6.11.98 कर दिया था

और यह अवधि अब 6.11.98 से 3 माह के लिए और बढ़ायी गई है इससे उन्हें प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय में कार्य करने का 3 माह का और अवसर मिलेगा जिसके लिए उन्होंने महामहिम कुलाधिपती महोदय का आभार प्रदर्शित किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया कि जैसा कि आप लोगों को विदित है कि विश्वविद्यालय श्रव्य-दृश्य स्टूडियों के निर्माण में लगा हुआ था। यह हर्ष की बात है कि यह स्टूडियों तैयार हो गया तथा इसका नाम शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र रखा गया है एवं दिनांक 1.8.98 को महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा इसका विधिवत् लोकार्पण कर दिया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया कि इस स्टूडियों हेतु राज्य सरकार ने जो पद स्वीकृत किये है उन्हें विज्ञापित कर दिया गया है तथा विज्ञापन के उत्तर में बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए है अतः चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात इन पदों पर साक्षात्कार कर विधिवत नियुक्ति प्रदान की जावेगी। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया कि श्रव्य-दृश्य स्टूडियों हेतु जो पद राज्य सरकार ने स्वीकृत किये है उन पदों की योग्यताएँ इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अनुरूप रखी गई है किन्तु उनके वेतनमान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान है। दूरस्थ शिक्षा परिषद पदों का अनुदान नहीं देती है और इस तरह जो वेतनमान राज्य सरकार द्वारा इन पदों हेतु स्वीकृत है वे इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं यू.जी.सी. द्वारा उन पदों हेतु स्वीकृत वेतनमानों से कम ही है तथापि विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के अनुरूप विज्ञापित कर चुका है एवं नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने बी.एड. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल को सूचित करते हुए बतलाया कि प्रबन्ध मण्डल की 36 वीं बैठक बी.एड. की मान्यता के सम्बन्ध में विशेष बैठक के रूप में जयपुर में आयोजित की गई थी जिसमें इस मामले को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया था जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा प्रचार करने से जो क्षति हुई थी उस पर विस्तृत चर्चा की गई थी तथा तब निम्न तीन निर्णय लिये गये थे :-

1. विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के खिलाफ दूरस्थ शिक्षा परिषद की सलाह से कानूनी कार्यवाही करना,
2. कुलपति महोदय को कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया था,
3. कुलपति महोदय को इसलिए भी अधिकृत किया गया था कि वे बिना कानूनी कार्यवाही के यदि बातचित से इस समस्या का हल निकलता हो तो तदानुरूप कार्यवाही की जावे।

तदानुसार इस सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद से सम्पर्क किया गया एवं उनकी ओर से भी किये गये प्रयासों के फलस्वरु यू.जी.सी. – डी.ई.सी. – एन.सी.टी.ई. की संयुक्त समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता यू.जी.सी. चेयरपरसन के द्वारा की गई। इस समिति ने एक टीम खुला विश्वविद्यालयों में भेजी जिसने उनके दिये पाठ्यक्रम का अवलोकन एवं मूल्यांकन कर उसे चलाने हेतु संयुक्त समिति को अभिशंसाएँ प्रस्तुत की। इन अभिशंसाओं को दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त होने पर कोटा खुला विश्वविद्यालय ने उनकी पालना रिपोर्ट तैयार कर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद व प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अनुमोदित किया। तत्पश्चात यह पालना रिपोर्ट यू.जी.सी. चेयरपरसन को इस आश्वासन के साथ प्रस्तुत की गई कि यह पाठ्यक्रम पालना रिपोर्ट के अनुरुप चलाया जावेगा। इसके पश्चात यू.जी.सी. चेयरपरसन ने तदानुरुप कार्य करने की स्वीकृति दी तथा यह भी निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में कोई भी समस्या हो तो अध्यक्ष दूरस्थ शिक्षा परिषद एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से सम्पर्क कर तदानुसार समस्या का समाधान किया जावें। इस उत्तर के लिए हमें एक वर्ष तक इन्तजार करना पडा इसके पश्चात विश्वविद्यालय में बी.एड. प्रवेश हेतु विज्ञापन दिया किन्तु उसके तुरन्त बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। इस सम्बन्ध में जब दूरस्थ शिक्षा परिषद से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने अपने पूर्व निर्देशों के विपरित यह सूचित किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावें। तदानुसार माह सितम्बर, 1998 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को यथोचित शुल्क जमा करा कर मान्यता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह सूचित किया है कि मान्यता लेने से पहले विश्वविद्यालय भूतलक्षी प्रभाव से ॥रिट्रोएक्टिवली॥ बी.एड. छात्रों को शुल्क वापिस करें तथा उनके प्रवेश निरस्त करें तब ही मान्यता की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष दूरस्थ शिक्षा परिषद ने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों का अनुसरण करने को कहा।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की अनुमति से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.1

प्रबन्ध मण्डल की 45 वीं बैठक दिनांक 25.07.98 कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से 45 वीं बैठक दिनांक 25.07.98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी की।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.2

प्रबन्ध मण्डल की 45 वीं बैठक दिनांक 25.7.98 के कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों पर क्रियान्विति विवरण अवलोकनार्थ।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 45 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.3

विद्या परिषद की 19 वीं बैठक दिनांक 28.10.98 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 19 वीं बैठक दिनांक 28.10.98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी की।

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.4

मुद्रण सलाहकार समिति में कुलसचिव को ही सदस्य सचिव रखने का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति में सदस्य सचिव के पद पर कुलसचिव को रखने के कुलपति महोदय के आदेश की पुष्टी की।

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.5

विश्वविद्यालय में सेवानिवृत श्री जे.एम. भटनागर, विशेषाधिकारी, श्री बी.एम. भार्गव, वित्त अधिकारी एवं श्री सोहन लाल न्याती, सहायक लेखाधिकारी की पुनर्नियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

(अ) श्री जे.एम. भटनागर (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.), विशेषाधिकारी (विकास एवं समन्वय) की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 4.9.98 से चार माह तक आदेश क्रमांक प.2/कोखुवि/स्था/ अशै/13(4)/98/1266 दिनांक 3.9.98 द्वारा बढ़ाये जाने के आदेश की प्रबन्ध मण्डल ने पुष्टी की।

(ब) श्री बी.एम. भार्गव, सेवानिवृत उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी जिनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 1.4.98 से आगामी आदेश तक बढ़ायी गई थी, की 62 वर्ष की आयु जो दिनांक 7.10.98 को पूर्ण कर रहे है, को इसके पश्चात भी पूर्व में दिये गये आदेशों के तहत 62 वर्ष की आयु के बाद भी विश्वविद्यालय सेवा में रखने के कुलपति के निर्णय की पुष्टी की।

(स) श्री सोहन लाल न्याति, (सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी) की 3 माह के लिए पुनर्नियुक्ति के आदेश संख्या प.2/कोखुवि/ स्था/ अशै/37(2)/98/1351 दिनांक 6.10.98 की पुष्टी की।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.6

माननीय कुलपति महोदय द्वारा धारा 8(4) में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए श्री बी.एल. जैन, सेवानिवृत रीडर की विशेषाधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर पुन:नियुक्ति अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने श्री बी.एल. जैन, सेवानिवृत रीडर (अभियांत्रिकी) को कुलपति महोदय द्वारा विशेषाधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर 6 माह के लिए पुर्ननियुक्ति के आदेश क्रमांक प.2/कोखुवि/स्था/अशै/98/1330 दिनांक 24.9.98 की पुष्टी की।

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.7

प्रबन्ध मण्डल की 45 वी बैठक के निर्णय के क्रम में परीक्षा नियन्त्रक के पद पर डा. के.के. राय, सेवानिवृत परीक्षा नियंत्रक की पुनर्नियुक्ति का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने डॉ. के.के. रॉय, सेवानिवृत परीक्षा नियंत्रक के सेवा निवृती के पश्चात 6 माह के लिए पुर्ननियुक्ती की माननीय कुलपति महोदय के आदेश क्रमाक 1254-60 दिनांक 3.9.98 की पुष्टी की।

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.8

विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों हेतु योग्यताएं एवं वेतनमान निर्धारण का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(अ) प्रोड्यूसर पद हेतु ई.एम.आर.सी. जोधपुर के अनुरूप रखे जाने का मामला।

(ब) सहायक आचार्य (अभियांत्रिकी) के पद की योग्यताएं ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुरूप रखे जाने का मामला।

(स) एडिटर स्टूडियों पद की वेतन श्रृंखला परिवर्तन का मामला।

(द) सह आचार्य (अभियांत्रिकी) का पद नाम इंजिनियर इंचार्ज / सह आचार्य, मॉस कम्यूनिकेशन एवं विडियों प्रोडक्शन रखने एवं इस पद की योग्यताएँ ई.एम.आर.सी. इग्नों, न्यू देहली के अनुरूप रखने का मामला।

--- x ---

(अ) प्रोड्यूसर पद हेतु शैक्षिणक योग्यता EMRC या CEC के अनुरूप या P.G. - 55% ही रखे तथा शेष अनुमोदित किया। इसी क्रम में EMRC जोधपुर में प्रोड्यूसर पद हेतु निर्धारित निम्न योग्यताओं को ही इस विश्वविद्यालय में रखा गया है -

Master's Degree in any subject or Bachelor's Degree in Engineering with 3 years experience in Video Production or direction preferably in Educational T.V. or P.G. Diploma in Direction from FTII or equivalent qualification or Master in Communication and 2 years experience in Video Production preferably in Education

(ब) सहायक आचार्य (अभियांत्रिकी) के पद हेतु ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्डों के अनुरूप ही निम्न योग्यताओं की पुष्टी की –

Qualification for Asstt. Professor Engineering (Civil / Electronics and Communication)

Essential

First Class Bachelor's degree in apropriate branch of Engineering & Technology.

Desirable

1. P.G. Diploma in relevant subject.
2. Teaching or professional experience.

(स) एडीटर स्टूडियों के पद का वेतनमान जो राज्य सरकार ने रु. 2200-4000 (संशोधित 8000 - 13500) निर्धारित किया था, को स्टूडियों के अन्य पदों की स्थिति एवं कार्यक्षेत्र और EMPC में इस पद के वेतनमान को मददेनजर रखते हुए इस विश्वविद्यालय में इस पद के लिए उक्त वेतन श्रृंखला के बजाय रु. 2000 - 3200 (संशोधित 6500 - 10500) की वेतन श्रृंखला में रखने के कुलपति महोदय के आदेश की पुष्टि की।

(द) प्रबन्ध मण्डल की पूर्व 44 वीं (आपातकालीन बैठक में सह आचार्य (भौतिक शास्त्र) के पद को सह आचार्य (अभियांत्रिकी) में परिवर्तित करने के निर्णय को अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप इसका नामकरण निम्नानुसार परिवर्तित करने के कुलपति महोदय के आदेश की पुष्टी की " इंजीनियर इंचार्ज / सह आचार्य मॉस कम्यूनिकेशन एवं विडियो प्रोडक्शन"

इस पद हेतु योग्यताएँ EMPC, IGNOU, New Delhi के अनुरूप ही अनमोदित की गई।

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.9

विश्वविद्यालय में स्टूडियों एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग के सम्बन्ध में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का गठन विचारार्थ एवं विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिनियमों में निहित विशिष्ट प्रावधानों का प्रयोग विचारार्थ।

— x —

विश्वविद्यालय में स्टूडियों एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में विभिन्न पदों के नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया

1. विडियो प्रोड्यूसर (स्टूडियो) 2. एडीटर (स्टूडियो)	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. कुलाधिपति का नामित 3. राज्य सरकार का नामित 4. राज्य सरकार द्वारा नामित प्रबन्ध मण्डल का सदस्य 5. वि.वि. से असबद्ध कुलपति द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ
1. तकनीकी सहायक (स्टूडियो) 2. सहायक केमरामेन	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी 3. कुलपति द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ सदस्य

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.10

विश्वविद्यालय की दुर्घटना ग्रस्त कार एनई - आर.जे.-20-सी- 6155 का दुर्घटनाग्रस्त क्षतिपूर्ति लाभ सम्बन्धि न्यू इण्डिया एन्श्योरेन्स के पत्र के अनुसार कार्यवाही प्रकरण की सूचना एवं भविष्य में उत्तरदायित्व के आधार पर क्षति पूर्ति प्रकरण आदेशार्थ।

---x---

विश्वविद्यालय कार दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रस्तुत विवरण तथा बीमा कम्पनी से बीमा राशि प्राप्त करने की कार्यवाही की पुष्टी की गई। यह भी निर्देश दिया गया कि स्थायी अधिवक्ता की राय अनुसार Consumer Court में शीघ्र दावा प्रस्तुत किया जावें।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.11

प्रो. बी.एस. शर्मा, कुलपति महोदय का भविष्य निधि में अंशदान बाबत् मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि क्योंकि प्रो. बी.एस. शर्मा, कुलपति महोदय को ग्रेच्युटी देने का कोई प्रावधान नहीं है अतः जो ग्रेच्युटी का अंशदान भविष्य निधि से काटकर ग्रेच्युटी में जमा किया गया है, उसे भविष्य निधि में जमाकर प्रो. बी.एस. शर्मा को भविष्य निधि की राशि के साथ लौटा दिया जावें। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की सूचना राज्य सरकार को भी दे दी जावें।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.12

विदेश भ्रमण समिति की अभिशंषाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने विदेश भ्रमण समिति अभिशंसाओं का अनुमोदन करते हुए कुलपति महोदय द्वारा निम्न को विदेश भ्रमण अनुदान स्वीकृत करने के आदेश की पुष्टी की -

1. प्रो. जी.एस.एल. देवडा, आई.टी.सी., को.खु.वि., कोटा।
2. प्रो. पी.के. साहू, शिक्षा, को.खु.वि., कोटा।
3. डॉ. याकूब अली खान, सहायक आचार्य, को.खु.वि., कोटा।
4. डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, को.खु.वि., कोटा।

- xxx -

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.13

दिनांक 15.10.98 को स्टूडियों के बारे में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

- x -

प्रबन्ध मण्डल ने ऑडियो-विडियों स्टडियों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की बैठक दिनांक 15.10.98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी की।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.14

प्रवेश के अयोग्य घोषित छात्रों को शुल्क लौटाने का मामला विचारार्थ।

- x -

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि जो छात्र प्रवेश के अयोग्य पाये जायेंगे उनका शुल्क नहीं लौटाया जायेगा। इसके अलावा जो छात्र योग्य होने के बावजूद प्रवेश हेतु जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है, उनके भी प्रवेश रद्द कर पाठ्यक्रम शुल्क नहीं लौटाया जावें। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों से स्पष्टीकरण मांगा जावें कि उनके द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण क्यों न उनका प्रवेश रद्द कर शुल्क जब्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कि जाये तथा उनको उत्तर देने का 15 दिवस का समय दिया जावें और उत्तर न आने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर समस्त पाठ्यक्रम शुल्क जब्त किया जावें।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.15

To confirm the payment of Rs. 34,14,752.00 made to M/s. C.M.C. Ltd., New Delhi for COMPUTER NETWORKING in Kota Open University, Kota.

- x -

प्रबन्ध मण्डल ने सी.एम.सी. लि. नई दिल्ली को कम्प्यूटर नेटवर्किंग का कार्य सम्पन्न करने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत रु. 34,14,752/- के भुगतान को अनुमोदित किया तथा उनके साथ सम्पन्न अनुबन्ध में शर्त संख्या 5.2 जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणीकरण की शर्त है उसको निरस्त करते हुए भुगतान के आदेश दिये।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.16

बी.एड. पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्ति प्रक्रिया तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न नई परिस्थितियाँ विचारार्थ।

– x –

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बी.एड. पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता पर प्रश्न चिन्ह के सन्दर्भ में सम्पूर्ण स्थिति परिस्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निम्नानुसार निर्णय लिये :–

1. कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है कि वे सम्पूर्ण तथ्यों सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से सम्पर्क करें व उनसे अनुरोध करें कि मान्यता के प्रकरण को अपने प्रभाव का प्रयोग करके शीघ्र ही निपटाने का श्रम करें क्योंकि यह समस्या केवल कोटा खुला विश्वविद्यालय की ही नहीं है बल्कि अन्य ओपन विश्वविद्यालयों की है एवं इस समस्या के कारण पूर्ण एक वर्ष बिना किसी कारण व्यर्थ हो गया है और सम्बन्धित छात्रों एवं सामान्य जन में असन्तोष एवं आक्रोश है।

2. कुलपति महोदय, दूरस्थ शिक्षा परिषद के अध्यक्ष से भी सम्पर्क कर उन्हें वर्तमान परिस्थिति से अवगत करा कर निवेदन करें कि हमारा विश्वविद्यालय तो आपके दूरस्थ शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों की पालना में ही अब तक कार्य कर रहा है। अतः इस मामले को सुलझाने में आपका सक्रिय सहयोग वांछनीय है।

– 13 –

3. कुलपति महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष से भी सम्पर्क कर उन्हें वर्तमान गम्भीर परिस्थिति से अवगत करवा कर निवेदन करें कि आपके प्रक्रियानुसार बी.एड. मान्यता हेतु क्षेत्रीय अधिकारी गण को मय शुल्क आवेदन पत्र भेज दिया गया है अतः आप कृपया शीघ्र ही इस प्रकरण को सुलझा कर मान्यता की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का श्रम करें।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो 1996 के प्रवेशार्थीयों की फीस लौटाने व राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति करने की जो मंशा जाहिर की है, उस सन्दर्भ में निर्णय लिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया जावें कि फीस लौटाने आदि तथा अन्य व्यवस्थाओं सम्बन्धी नियमों पर NCTE का दखल उचित नहीं है तथा राज्य सरकार से संख्या निर्धारित करवाने का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि शिक्षा सचिव का पत्र प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि कोटा खुला विश्वविद्यालय तो सेवारत अध्यापकों को बी.एड. में प्रवेश देता है। अतः यहाँ रोजगारी / बेरोजगारी का प्रश्न निहित नहीं है। यहाँ तो Skill Upgradation का प्रश्न निहित है। इसमें कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ती।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देशित किया कि NCTE को स्पष्ट किया जावे कि उस संस्था का कार्य क्षेत्र गुणवत्ता व मानकता तक ही है। फीस कितनी व कब ली जाये यह स्पष्ट ही प्रशासनिक मामला है जिसके निर्धारण का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को है।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.17

To consider and decide regarding the preparation of a Code of Service Rules and other Administrative procedures governing the employees and other aspects of University administration.

- x -

ध्यातव्य है कि श्री जे.एम. भटनागर, विशेषाधिकारी बैठक के इस बिन्दु पर विचार विमर्श के दौरान उपस्थित नहीं रहे। प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के सेवा नियमों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में नियम तैयार करने हेतु श्री जे.एम. भटनागर, आई.ए.एस. सेवानिवृत को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। श्री भटनागर वर्तमान में पुर्ननियुक्ति पर विश्वविद्यालय में विशेषाधिकारी ः विकास एंव समन्वयः के पद पर कार्यरत है। जिनका कार्यकाल दिनांक 4.1.99 को समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में उक्त तिथि तक वे विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कार्य में व्यस्त रहेंगे। अतः यह कार्य उनके द्वारा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात ही सम्पन्न किया जा सकेगा। अतः कुलसचिव महोदय, श्री जे.एम. भटनागर से शीघ्र अतिशीघ्र सम्पर्क करके वे निम्नानुसार दी गई शर्तों एवं सुविधाओं को बताते हुए उनकी सहमति इस कार्य को सम्पादित करते हेतु प्राप्त करें। यदि वे इस कार्य को करने हेतु अपनी सहमति दे देते है तो नियमानुसार सेवा शर्तों पर श्री जे.एम. भटनागर को प्रशासनिक कोड तैयार करने हेतु नियुक्ति दे दी जावें। इस कार्य के सन्दर्भ में प्रस्तुत शर्तें एवं सुविधाएँ निम्नानुसार होंगी :-

Following infrastructural facilities will be provided to him :

a] Office accommodation in the University office. Telephone facility will also be provided.

b] Co-ordinating Officers / nodal officers may be appointed.

c] For secretarial assistance upto the maximum limit of Rs. 10,000/- be given extra, subject to the production of vouchers duly verified.

d] Rs. 15,000/- may be given for appointing retired officer @ Rs. 2500/- per month, limited to six months, to be paid monthly on certification.

e] T.A. for visiting University be reimbursed on production of claims, subject to maximum limit of Rs. 13,000/-. Accommodation in the University guest house may also be provided free of charge.

-15-

f] A remuneration of Rs. 75,000/- will be paid for preparing the "Draft Service Rules". The terms of payment of remuneration are as under :-

i] Rs. 20,000/- as advance at the time of start of work.

ii] Rs. 45,000/- on submission of draft.

iii] Rs. 10,000/- on finalisation of draft.

The terms & conditions seem to be reasonable and we may offer the same to Mr. J.M. Bhatnagar. If he consents to work on such terms with or without minor modification, the work may be assigned to him and requested to complete the same within a time frame of six months.

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.18

वरिष्ठ लिपिक के एक पद को प्रोग्रामर कम आपरेटर के पद में परिवर्तित कर श्री जफर उल्ला खाँ को प्रोग्रामर कम आपरेटर की वेतन श्रृंखला दिये जाने का मामला ।

- x -

श्री जफर उल्ला खान, प्रोग्रामर कम आपरेटर के वेतन स्थिरीकरण के मामले पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह महसूस किया कि श्री जफर उल्ला खान की प्रारम्भिक नियुक्ति प्रोग्रामर कम आपरेटर के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित, प्रसारण एवं अन्य अर्हताओं की अनुपालना करते हुए दिनांक 6.4.89 को नियमानुसार चयन समिति की अभिशंसाओं के अधीन 1120-2050 की वेतन श्रृंखला में की गई है जो पूर्णतः नियमानुकूल है । श्री जफर उल्ला खान के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.91 द्वारा 2000-3200 की वेतन श्रृंखला में स्थिर किया गया व श्री खान ने इस वेतन श्रृंखला में 15.12.94 तक कार्य किया परन्तु 16.12.94 को कुलसचिव ने अपने आदेश संख्या 10236 दिनांक 16.12.94 के द्वारा श्री खान को पदावनत कर दिया जिसकी 1200-2050 की वेतन श्रृंखला में स्थिरीकरण कर दिया जिसकी स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा नहीं ली गई जो पूर्णतः न्यायोचित एवं नियमानुकूल नहीं है ।

-16-

हाल ही में श्री खान द्वारा अपने प्रतिनिधित्व के साथ D.B. Special Appeal 499/98 दिनांक 28.7.98 की प्रति प्रस्तुत करने पर पता चला कि श्री खान के वेतन स्थिरीकरण के मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय शीघ्र अति शीघ्र इस प्रकरण को समाप्त करें। उच्च न्यायालय डी.बी. के अपने आदेश में यह भी उल्लेखित किया है कि विश्वविद्यालय श्री खान के हक के विपरित कोई आदेश परिवर्तित करता है तो उसे न्यायालय में पुनः आने का अधिकार होगा। अतः उपरोक्त स्थिति एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के लेटेस्ट निर्णय के आधार पर कुलसचिव के आदेश संख्या 10236 दिनांक 16.12.94 को निरस्त करते हुए यह निर्णय देता है कि श्री खान के प्रोग्रामर कम आपरेटर के पद पर 2000 - 3200 (पूर्व संशोधित) में भूतलक्षिय प्रभाव से स्थिरीकरण कर दिया जाये। तदानुसार प्रस्ताव बी.एफ.सी. में भी प्रेषित किया जावे।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.19

दैनिक वेतन / स्थिर वेतन पर कार्यरत रहे ब.अ.क. को नियुक्ति तिथि से वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं उस पर महंगाई भत्ता दिये जाने के मामले में एवं दैनिक वेतन / स्थिर वेतन पर कार्यरत रहे कनिष्ठ लिपिकों को जिन्हें वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता दिया जा चुका है उन्हें प्रथम नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान हेतु अवधि की गणना के मामले में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ।

- x -

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दैनिक वेतन / स्थिर वेतन पर कार्य कर चुके ब.अ. कर्मचारीयों को नियुक्ति तिथि से वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देय नहीं है।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.20

विश्वविद्यालय में आडिटर की ः चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ः की नियुक्ति।

- x -

प्रबन्ध मण्डल ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में गठित समिति की अभिशंसाओं की पुष्टि करते हुए कुलपति महोदय द्वारा श्री सोमानी एण्ड कम्पनी को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रुप में नियुक्ति के आदेश संख्या 5426 - 47 दिनांक 31.10.98 की पुष्टी की।

-xxx-

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.21

To record, report and confirm the expenditure incurred in the visit of the Vice-Chancellor in participating the Association of Commonwealth Universities, General Conference, Ottawa-Hull, Canada during 16-21 August, 1998.

- x -

पूर्व में Association of Commonwealth Unviersities द्वारा आयोजित माल्टा कॉन्फ्रेन्स जो कि 24 - 29 मार्च 1998 को आयोजित हुई, के सन्दर्भ में दूरस्थ शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र क्रमांक UC/N/1/95 दिनांक 26.2.96 द्वारा अनअसाइनड ग्रान्ट में से कुलपति महोदय को पूर्ण खर्चे की राशि प्रदत्त की गई थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी यह व्यवस्था प्रचलित है कि कुलपतियों के पूर्ण खर्चे का संधारण आयोग के फण्ड से किया जाता है। सिद्धान्तः प्राध्यापकों के लिए 50 % एवं कुलपति के लिए 100 % राशि का भुगतान दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा देय होता है। ओटावा कॉन्फ्रेन्स के सन्दर्भ में ऐसोसियेशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीस द्वारा प्राप्त आमन्त्रण पत्र में कॉन्फ्रेन्स फीस, होटल एकोमोडेशन सब्सीडी, यात्रा सब्सीडी जिसका की योग 80,030/- होता है ऐसोसियेशन ऑफ यूनिवर्सिटीस द्वारा वहन करने की पेशकश की गई थी। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा परिषद से केवल मात्र 75,194/- रुपये स्वीकृत करने की मांग की गई थी जो कि उनके पत्र दिनांक 10.8.98 से प्राप्त हुई।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा 50 % व्यय वहन करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अतः प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत उनकी एसोसियेशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटिस की जनरल कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने हेतु ओटावा, कनाडा की यात्रा दिनांक 16-21 अगस्त, 1998 के खर्चे का अवलोकन कर खर्चे की पुष्टी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के अंतर्गत ही अनअसाइनड ग्रान्ट से लिया जाता है। जिसकी सूचना DEC को पूर्व में दी जा चुकी है। अतः प्रबन्ध मण्डल ने चाहा कि इसकी सूचना मद विवरण अनुसार DEC को दे दी जावे।

कार्य सूची बिन्दु संख्या : 46.22

विश्वविद्यालय की ओर से स्थायी अधिवक्ता / पेनल अधिवक्ताओं के माध्यम से स्थानीय न्यायालयों / उच्च न्यायालय में केविएट दर्ज करवाने पर देय फीस का मामला।

– × –

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता / पेनल अधिवक्ता को स्थानीय / उच्च न्यायालय में केविएट दर्ज कराने हेतु देय फीस एवं विश्वविद्यालय की ओर से एतदर्थ प्रार्थना पत्र लगाने व पैरवी करने की राशि रु. 500/– निर्धारित की। केविएट हेतु अन्य विविध वास्तविक खर्चों का भी इस फीस के अतिरिक्त भुगतान किये जाने का भी निर्णय लिया गया। केविएट हेतु पूर्व में भी रु. 500/– की दर से किये गये भुगतान को भी अनुमोदित किया जाता है।

–×××–

अन्त में आसन को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

– 19 –

प्रबन्ध मण्डल की 47 वीं (आपातकालीन) बैठक का कार्यवाही विवरण
दिनांक 23 दिसम्बर, 1998 प्रात: 11.30 बजे,
कोटा खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, वाणिज्य महाविद्यालय परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।

-: कार्यवाही विवरण :-

प्रबन्ध मण्डल की 47 वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 23.12.1998 को प्रात: 11.30 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो. जनार्दन झा सम-कुलपति, इ.गॉ.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली	सदस्य
3.	प्रो. वी.पी. दीक्षित मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य
4.	प्रो. बी.एल. माथुर निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी, को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य
5.	प्रो. एल.एन. गुप्ता प्रोफेसर, अर्थशास्त्र एवं निदेशक संकाय, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य
6.	डॉ. आर.सी. मीणा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., जोधपुर	सदस्य
7.	श्री एम.सी. शर्मा कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सचिव

लगातार---2

डॉ. जी.डी. शर्मा, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, प्रमुख शासन सचिव (वित्त) राजस्थान सरकार एवं शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की 47 वीं (आपातकालीन) बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं विशेष रूप से नये सदस्य प्रो. बी.एल. माथुर तथा प्रो. एल.एन. गुप्ता का स्वागत करते हुए अन्य सदस्यों से परिचय करवाया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि क्रमशः प्रो. बी.एल. माथुर एवं प्रो. एल.एन. गुप्ता का मनोनयन डॉ. आर.वी. व्यास एवं प्रो. पी.के. शर्मा की अवधि समाप्त होने पर कुलपति द्वारा हुआ है। प्रो. बी.एल. माथुर कोटा खुला विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के निदेशक है तथा प्रो. एल.एन. गुप्ता अर्थशास्त्र के आचार्य एवं शैक्षिक निदेशक है। सर्वसम्मति से डॉ. आर.वी. व्यास एवं प्रो. पी.के. शर्मा जिन की सदस्य के रूप में अवधि समाप्त हो गई है उनके विशिष्ट योगदान की चर्चा करते हुए सराहना की।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को इस बात से भी अवगत कराया कि यह आपातकालीन बैठक किन कारणों से की जा रही है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बताया कि उनका कुलपति कार्यकाल जो दिनांक 06 फरवरी, 1998 को समाप्त हो गया था उसे एक बार 06 माह के लिए, दूसरी बार 03 माह के लिए तथा तीसरी बार पुनः 03 माह के लिए बढ़ाया गया है जो दिनांक 06-02-1999 को समाप्त होने वाला है । कुलपति महोदय ने इस सन्दर्भ में सदस्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि नये कुलपति की नियुक्ति की प्रकिया कुलाधिपति महोदय के स्तर पर प्रारम्भ हो चुकी है। चयन समिति की बैठक दिनांक 14-11-1998 को सम्पन्न हो चुकी है। अभिशंषाऐं भी कुलाधिपति जी के विचारार्थ प्रस्तुत की जा चुकी है। संभवतः राज्य सरकार से मंत्रणा उपरान्त नियुक्ति निकट भविष्य में हो सकती है। ऐसी स्थिति में कुलपति महोदय ने सदस्यों के सम्मुख अपना मत रखते हुए यह बताया कि नीतिगत मामलों में विशेषकर स्थायी नियुक्तियों के सम्बन्ध में नैतिक आधार पर उनके द्वारा कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे है जिन से सम्बन्धित

लगातार---3

नीति निर्णय एवं नियुक्तियाँ होना अति आवश्यक है। जो भी होना है कुलपति जी द्वारा निर्णय न होकर प्रबन्ध मण्डल के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही करनी चाहिए ; विशेषकर शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्रके सन्दर्भ में । क्योंकि इस पर भारी विनियोग हुआ है और इसे बंद भी नहीं रखा जा सकता है।

कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि शैक्षिक एवं प्रबन्धकीय दृष्टि से कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं और कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम एवं राजस्थान विश्वविद्यालयी अध्यापक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम **1974** के प्रावधानों की अनुपालना में कुछ तकनीकी रुकावटें आ रही हैं। इस में राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों में से एक सदस्य का चयन समिति में मनोनयन होना है जो नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय ने जो प्रयत्न किये है उनमें सफलता नहीं मिल रही है। कुलपति जी ने सदस्यों को यह भी बताया कि हाल ही में एक नई स्थिति कुलसचिव के पद को लेकर हो गई है क्योंकि वर्तमान कुलसचिव ने अपनी अस्वस्थता के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए अनुरोध किया है। साथ ही प्रवेश सम्बन्धी कार्य की भी अनिश्चितताऐं है विशेषकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.एड. मान्यता के प्रकरण को लेकर।

उपर्युक्त परिस्थितियाँ नीतिगत मामलों से सम्बन्धित है। उनमें प्रबन्ध मण्डल के दिशा निर्देशानुसार ही कार्यवाही करना उचित है। कुलपति जी ने सदस्यों को यह पुनः अवगत कराया कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस बैठक का आयोजन आवश्यक था।

तदउपरान्त प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने कुलपति महोदय के मत जिसका आधार नैतिक है सराहाया और कार्यसूची के अनुसार बिन्दुओ पर चर्चा प्रारम्भ की।

(अ) प्रबन्ध मण्डल सदस्यों में से विश्वविद्यालय की चयन समिति में राज्य सरकार द्वारा सदस्य मनोनयन के प्रकरण में किये जा रहे विलम्ब के बारे में वस्तुस्थिति अवलोकनार्थ।

उपर्युक्त विषय में प्रबन्ध मण्डल ने मय विवरण में दी गई पूरी सूचना

लगातार--4

का अवलोकन किया तथा इसके साथ संलग्नित समस्त पत्रावली भी जाँची गई। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध मण्डल के गठन सम्बन्धी प्रारम्भ से अब तक की जो सूचनाऐं थी वो भी ली गई।

मद विवरण, पत्रावली एवं सूचनाओ को लेकर विस्तृत चर्चा की और उस के उपरान्त विश्वविद्यालय को जो कठिनाई हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गऐ:-

(i) राज्य सरकार द्वारा चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों में से एक को नामित करने की प्रक्रिया में विशेषकर विश्वविद्यालयी अध्यापकों एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम **1974** में प्रदत प्रावधानों की अनुपालना हेतु राज्य सरकार से जो विश्वविद्यालय ने पत्र व्यवहार किया है और अपना मत जाहिर किया है। जो कि विश्वविद्यालय की ओर से नियमानुसार अपनी स्थिति राज्य सरकार के सम्मुख रखी गई है।

(ii) इस सन्दर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने अधिनियम का अवलोकन एवं पत्रावली के आधार पर यह निर्णय लेना उचित समझा कि **1974** के अधिनयम के प्रावधानों की अनुपालना हेतु प्रबन्ध मण्डल के गठन में परिवर्तन पर राज्य सरकार जोर देना उचित नहीं है और यदि फिर भी सरकार प्रबन्ध मण्डल के गठन में परिवर्तन करना चाहती है तो उसकी प्रक्रिया अलग है जो पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं हो सकती । राज्य सरकार को प्रबन्ध मण्डल के वर्तमान सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को चयन समिति में नामित करने के लिए आग्रह किया जाए ताकि चयन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ करने में हो रही रुकावट दूर हो सके। और इन सभी तथ्यों को आवश्यक हो तो कुलाधिपति महोदय को भी अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें । कुलाधिपति महोदय यदि आदेश दे तो कुलपति समन्वय समिति की बैठक में भी रखा जाए।

(iii) प्रबन्ध मण्डल ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को प्रबन्ध मण्डल के गठन में परिवर्तन के लिए स्टेचूट संशोधन के लिए भी मना नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने यह सही निर्णय लिया है क्योंकि प्रबन्धमण्डल को गठन की यदि प्रारम्भिक प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए तो ये भी सोचना उचित होगा की इस सम्बन्ध में राज्य सरकार

आगामी—5

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पुरानी किन-किन शर्तों को माना है। इस चीज को ध्यान में नहीं रखने से विश्वविद्यालय का हित नहीं होगा और भविष्य में कई नई अडचने आ सकती है। इसे अलग मद के रूप में जैसा कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार को लिख चुका है प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख लाना उचित है।

(ब) स्टडियों के पदों को भरने के क्रम में मामला अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

इस सम्बन्ध में कुलपति जी ने मद विवरण को ध्यान में रखते हुए तथ्यों को प्रस्तुत किया और प्रबन्ध मण्डल का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि शैक्षिक माध्य उत्पादन केन्द्र जो इस विश्वविद्यालय में बना है एक अद्वितीय कदम है और उसका उपयोग शीघ्रातिशीघ्र होना आवश्यक है इस के लिए राज्य सरकार ने कुछ पद स्वीकृत अवश्य किए है जो विज्ञापित हुऐ है, आवेदन पत्रों की जाँच की जा चुकी है परन्तु चुनावों के कारण और कुछ राज्य सरकार द्वारा चयन समिति में नामित सदस्यों के अभाव में संभव नहीं हो पाया। अतः सारी स्थिति नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत किए जाने में बहुत समय लग सकता है इस को मध्य नजर रखते हुए कोई स्टेपगेप व्यवस्था जो नियमों, प्रावधानों के अन्तर्गत हो किया जाना उचित है।

जैसा कि मद विवरण में दिया गया है कि कुलपति जी अपने आप को नैतिक दृष्टि से नियुक्तियाँ करने में सबल नहीं पाते है इस कारण सोचा गया कि कुछ प्रतिनियुक्तियों या कुछ अस्थायी नियुक्तियाँ कर दी जाए। कुलपति जी ने ये भी बताया कि विशेषज्ञों की समिति गठित कर दी गई है कुछ आवेदन पत्र आए है और उनकी जाँच हो गई है, कुछ व्यक्ति जो प्रतिनियुक्ति या अस्थायी लगाऐ जा सकते है इस समिति की सिफारिशों के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करना उचित है।

सारी स्थिति का जायजा लेकर एक लम्बी चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कुलपति महोदय को अधिकृत किया है वे स्क्रीनिंग

लगातार--6

कमेटी द्वारा योग्य पाए जाने वाले अभ्यार्थियों में से प्रतिनियुक्ति या अस्थायी आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही करे जो पद निम्नलिखित हैं:-

1. विडियो प्रोडयूसर (स्टूडियो) -1 पद
2. एडीटर (स्टूडियो) -1 पद
3. तकनीकी सहायक (स्टूडियो) -2 पद
4. सहायक कैमरामेन -1 पद

और जिन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषाऐ प्रस्तुत है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ पद पूर्व में ही स्वीकृत हैं उनमें से एक पद पर शैक्षणिक आधार पर जो इन्जिनियर इन्चार्ज या सह आचार्य का है, नियुक्ती भी स्टूडियों को चालू करने के लिए अति आवश्यक हे अतः इस पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषाओ के आधार पर नियुक्त करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है। ये पद इस प्रकार है:-

1. इन्जिनियर इन्चार्ज / सह आचार्य- मॉस कम्यूनिकेशन
2. प्रोडयूसर स्टूडियो
3. प्रोग्राम ऑफीसर

(स) (i) श्री एम.सी. शर्मा, कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत स्वेच्छिक सेवानिवृति प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं उन्हें इस हेतु 3 माह के नोटिस अवधि में छूट का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(स)(ii) कुलसचिव पद पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अनुमोदनार्थ।

स(i) श्री एम.सी. शर्मा वर्तमान कुलसचिव ने स्वेच्छिक सेवानिवृति के मामले में ये निर्णय लिया गया कि इन का अनुरोध स्वीकार कर लिया जावे और इन्हें स्वेच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाए एवं इस हेतु 03 माह के नोटिस में छूट का भी अनुमोदन किया जाता है।

स(ii) कुलसचिव पद पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कुलपति जी ने सारी स्थिति प्रबन्ध मण्डल के समुख रखी। कुलपति जी ने कुछ नाम प्रबन्ध मण्डल

लगातार----7

के सम्मुख रखे। सारी स्थिति पर पूर्ण विचार करने के बाद प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से रिक्त पद पर तदर्थ व्यवस्था हेतु कुलपति महोदय को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पूर्णतया अधिकृत किया और ये भी आदेश दिया कि वैकल्पिक व्यवस्था के साथ-साथ स्थायी नियुक्ति की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जावें।

(द) विश्वविद्यालय के लेखों की आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति का प्रकरण एवं इस बारे में महामहिम कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु।

प्रबन्ध मण्डल ने कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त पत्र के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा महामहिम महोदय को लिखे पत्र का अनुमोदन किया और जो पूर्व में प्रबन्ध मण्डल ने पत्रावली देकर निर्णय लिए थे उसका पुनर्विलोकन भी किया। इसके आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिए:-

(i) प्रबन्ध मण्डल ने अपने द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखना उचित समझा और आदेश दिया कि विश्वविद्यालय उस के उपर कार्यवाही करें।

(ii) कुलपति जी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखे गए पत्र व्यवहार का भी प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया।

(iii) प्रबन्ध मण्डल ने यह भी आदेश दिया कि जैसा कुलपति महोदय ने लिखा है वित्तअधिकारी शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर तथ्यात्मक टिप्पण कुलाधिपति सचिवालय को प्रस्तुत कर दे, इस बारे में टिप्पण भेजा जावें।

य (i) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश का कार्य निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें के स्थान पर निदेशक संकाय विभाग की सहभागिता से कराये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ।

य (ii) बी.एड. पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता का प्रकरण एवं उसमें अब तक की प्रगति अवलोकनार्थ

लगातार---8

य (i) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में के प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न पाठ्यक्रक में प्रवेश का समस्त कार्य का उत्तरदायित्व, निदेशक, संकाय को सौंपा जाये तथा बी.टेक. -स्नातक तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रवेश का कार्यभार, निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा किया जावें। इस हेतु कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 348 एवं 349 दिनांक 19-12-98 का अनुमोदन किया गया।

य(ii) बी.एड. पाठ्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के प्रकरण में की गई कार्यवाही का सदस्यों ने अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

कार्यसूची के बिन्दुओ पर चर्चा उपरान्त कुलपति महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य - प्रो. जनार्दन भा, सम कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली जो कि I.G.N.O.U. द्वारा प्रबन्ध मण्डल में नामित है का विश्वविद्यालय में कार्यकाल दिनांक 31-12-1998 को समाप्त हो रहा है और वे अपने पद से कार्य मुक्त हो रहे है तदनुसार उनकी प्रबन्ध मण्डल में सदस्यता भी स्वत: ही समाप्त हो जावेगी एवं यह बैठक उनकी अन्तिम बैठक है। कुलपति जी ने सदस्यों को यह भी बतलाया कि प्रो. भा. का कोटा खुला विश्वविद्यालय को लगभग 4 वर्षो से बहुत ही सक्रिय एवं महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रबन्ध मण्डल में सदस्य के रूप में नामित होने से पूर्व में भी प्रो. भा इस विश्वविद्यालय में कुछ एक समितियों में सदस्य के रूप में सम्मिलित होते रहे है। प्रो. भा का मुख्यरूप से तकनीकी विशेषज्ञ के नाते कोटा खुला विश्वविद्यालय के स्टूडियों निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के Computerrisation में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है तथा पाठ्यसामग्री मुद्रण में भी इनका सहयोग मिलता रहा है। अत: इनके उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान विश्वविद्यालय को बहुत लम्बे समय तक स्मरण रहेगा।

अत: कुलपति महोदय ने प्रो. जनार्दन भा को उनके सहयोग एवं योगदान के उपलक्ष में विश्वविद्यालय की ओर से एक स्मृति

लगातार---9

चिन्ह भेंट करने का प्रस्ताव किया जिसका प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने सहर्ष स्वागत किया एवं तदुपरान्त कुलपति महोदय ने प्रो. जनार्दन झा को विश्वविद्यालय की ओर से एक स्मृति चिन्ह की भेंट प्रदान की जिसका सदस्यों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया । प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने प्रो. झा की दीर्घ आयु एवं निरन्तर स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

अन्त में आसन को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

Draft Minutes submitted for perusal and approval please.

Hon'ble V.C.

Approved.

1/1/99.

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 48 वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 8.5.99 दोपहर 12.30 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कॉमर्स कॉलेज कैम्पस्, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।

★★★★★

कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली समिति में प्रबन्ध मण्डल की ओर से सदस्य मनोनीत करने का मामला अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं आदेशार्थ ।

★★★★★

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 48 वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 16.4.99 को दोपहर 12.30 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कॉमर्स कॉलेज परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर आयोजित हुई थी जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई थी । अतः उक्त स्थगित बैठक आज दिनांक 8.5.99 को दोपहर 12.30 बजे पुनः आयोजित की गई । निम्नांकित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :–

1. **डॉ. आर.वी. व्यास** — **अध्यक्ष**
   कुलपति (कार्यवाहक)
   को.खु.वि.वि., कोटा

2. **प्रो. वी.एस. प्रसाद** — **सदस्य**
   सम कुलपति,
   इ.गा.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली

3. **डॉ. जी.डी. शर्मा** — **सदस्य**
   सचिव, वि.वि. अनुदान आयोग
   नई दिल्ली

4. **डॉ. एन.आर. भसीन** — **सदस्य**
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर

5. **डॉ. मनजीत सिंह** — **सदस्य**
उप सचिव वित्त,
प्रतिनिधि डॉ. आदर्श किशोर सक्सेना
प्र.शा.स. वित्त, राज. सरकार

6. **प्रो. वी.पी. दीक्षित** — **सदस्य**
2/5, मालवीय नगर, जयपुर

7. **प्रो. एल.एन. गुप्ता** — **सदस्य**
आचार्य, अर्थशास्त्र
को.खु.वि.वि., कोटा

8. **डॉ. आर.सी. मीणा** — **सदस्य**
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र
को.खु.वि.वि., जोधपुर

9. **श्री एस.के. श्रीवास्तव** — **सचिव**
कुल सचिव,
को.खु.वि.वि., कोटा

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और विशेषतः प्रबन्ध मण्डल के नवीन सदस्य डॉ. एन.आर. भसीन का सभी सदस्यों से परिचय करवाया एवं उनका स्वागत किया ।

प्रबंध मण्डल की आपातकालीन बैठक का संदर्भ स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि पूर्व में कुलपति पद के चयन हेतु गठित चयन समिति को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर देने के कारण आज प्रबन्ध मंडल की आपातकालीन बैठक आमंत्रित करनी आवश्यक हो गई थी । बैठक में उपसचिव महामहिम राज्यपाल महोदय का पत्र प्रस्तुत किया गया । पूर्व में यह बैठक दिनांक 16.4.99 को आयोजित की गई थी, परन्तु कोरम के अभाव में स्थगित करनी पड़ी थी । अतः उक्त स्थगित बैठक आज पुनः आयोजित की जा रही है ।

उ[redacted] नामों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया । प्रो. एल.एन. गुप्ता के अतिरिक्त [redacted] सदस्यों की [redacted] राय से प्रो. एच. पी. दीक्षित को कुलपति चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल की ओर से सदस्य मनोनीत किया गया । प्रो. दीक्षित एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् है तथा वर्तमान में भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल में कुलपति के पद पर आसीन है ।

प्रो. एल.एन. गुप्ता की राय अन्य सदस्यों से भिन्न थी । उन्होंने प्रो. एस.एन. सिन्हा का नाम मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा ।

अन्त में यह निर्णय लिया गया कि कुलपति चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल की ओर से प्रो. एच.पी. दीक्षित का नाम सदस्य के रूप में महामहिम कुलाधिपति महोदय को शीघ्र भेजा जावें ।

कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया गया एवं आसन को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(प्रो. वी. एस. प्रसाद) (डॉ. जी.डी. शर्मा) (डॉ. एन. आर भसीन)

(डॉ. मनजीत सिंह) (प्रो. वी.पी. दीक्षित)

(प्रो. एल.एन. गुप्ता) (डॉ. आर. सी. मीना)

(एस.के. श्रीवास्तव) (डॉ. आर. वी. व्यास)

प्रबन्ध मण्डल की 49वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 19-6-99 को शनिवार समय अपरान्ह 12.30 बजे जयपुर स्थित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गयी थी। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:-

	डॉ. आर. बी. व्यास	अध्यक्ष
1/	प्रो. जी.डी. शर्मा	सदस्य
2/	प्रो. बी.पी. दीक्षित	सदस्य
3/	प्रो. बी.एस. प्रसाद	सदस्य
4/	प्रो. एल.एन. गुप्ता	सदस्य
5/	डॉ. आर.सी. मीणा	सदस्य
6/	डॉ. मनजीत सिंह (उप सचिव वित्त)	प्रतिनिधि वित्त सचिव
7/	श्री हेमन्त शेष (उप सचिव उच्च शिक्षा)	प्रतिनिधि शिक्षा सचिव
8/	श्री पी.एन. शर्मा (वित्त अधिकारी को.खु.वि.)	विशेष आमंत्रित अतिथि
9/	श्री एस.के. श्रीवास्तव कुलसचिव (को.खु.वि.)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने सभी आगन्तुक सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। विश्वविद्यालय को निरन्तर सहयोग प्रदान करने के लिये सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष ने बताया कि इसी माह में विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं विद्या परिषद की बैठकें आयोजित की गयी थीं। वित्त समिति की 22वीं बैठक 10-6-99 को हुई थी तथा विद्यापरिषद की 20वीं बैठक 12-6-99 को हुई थी। इन दोनो समितियों के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया है। इसकी तैयारी में थोडा विलम्ब होने के कारण ऐजेन्डा भेजने में थोडा विलम्ब हुआ है। अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये सदस्यों से क्षमा याचना की और आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी प्रपत्र समय पर प्रेषित करने का समुचित प्रयास किया जायेगा।

विश्वविद्यालय की स्थिति का बयान करते हुये अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के परिसर के विकास हेतु 50 लाख रुपये देने का प्रस्ताव किया है। इस पर विश्वविद्यालय अपने प्रस्तावों को निश्चित कर भवन समिति से अनुमोदन करवाकर शीघ्र ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। अन्य तथ्यों का बयान करते हुये यह उल्लेखित किया कि विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर के तीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये थे किन्तु दुर्भाग्यवश द्वितीय वर्ष का पूरा सत्र समाप्त हो चुका है और कुछ भी पाठ्य सामग्री अब तक तैयार नहीं हुयी है अतः विश्वविद्यालय एक वर्ष विलम्ब के कारण पिछड़ रहा है। छात्र भी धीरे धीरे इस कारण उग्र रुप अपना रहे हैं।

अधिकारी स्तर पर विश्वविद्यालय दयनीय स्थिति में है क्योंकि अनेक उच्च पद रिक्त पड़े हैं। उसमें कुछ एक तो तकनीकी रुप में विशेषज्ञों के पद हैं। उन्हें भरे बिना विश्वविद्यालय का कार्य सुचारु रुप से नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस पर विचार करने के लिये ऐजेन्डा में अलग से एक बिन्दु प्रस्तावित किया गया है।

इन स्वागत शब्दों के साथ कार्य-सूची बिन्दुवार विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

49/1 प्रबन्ध मण्डल की 46 वीं बैठक दिनांक 2.11.98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही विवरण की पुष्टि की क्योंकि इसके बारे में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुयी हैं।

-xxx-

49/2 प्रबन्ध मण्डल की 46 वीं बैठक दिनांक 2.11.98 के कार्यवाही विवरण में लिए गये निर्णयों पर क्रियान्विति विवरण अवलोकनार्थ।

-xxx-

क्रियान्विति विवरण को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया किन्तु एक सदस्य ने बिन्दु 46/17 के बारे में स्पष्टीकरण देते हुये यह बताया गया कि श्री जे.एम. भटनागर सेवानिवृत हो चुके हैं तथा सेवा नियम एवं प्रशासकीय नियमावली विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इसका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

-xxx-

49/3 प्रबन्ध मण्डल की 47 वीं आपातकालीन बैठक दिनांक 23.12.98 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

---x---

आपातकालीन बैठक की कार्यवाही की पुष्टि बैठक के तुरन्त बाद 23 दिसम्बर को कर दी गयी थी अतः इसे नोट कर लिया गया।

-xxx-

49/4 प्रबन्ध मण्डल की 48 वीं आपातकालीन बैठकें दिनांक 16.4.99 एवं 8.5.99 के कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयों की पुष्टि सभी सदस्यों ने तत्काल दिनांक 16-4-99 एवं 8-5-99 को कर दी थी अतः इसे भी प्रबन्ध मण्डल ने नोट कर लिया।

-xxx-

49/5 वित्त समिति की 22 वीं बैठक दिनांक 10.6.99 के कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

वित्त समिति की 22वीं बैठक जो दिनांक 10-6-99 को हुयी थी का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया। प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही विवरण का अवलोकन करते हुये निम्नांकित निर्णय/संशोधन के साथ वित्त समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

<u>आईटम संख्या 22/3</u>

बजट सारांश में दूरस्थ शिक्षा परिषद से वर्ष 1999-2000 में प्राप्त होने वाली राशि को ही अनुमानित आय में सम्मिलित किया जावे और गत वर्षों की बचत को अलग से प्रदर्शित किया जावे जिससे स्पष्ट स्थिति परिलक्षित हो। बजट प्रस्ताव अनुमोदित किया।

आईटम संख्या 22/4

वित्त समिति के आइटम संख्या 22/4 पर विचार करते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित वेतनमान के आदेशों के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार के आदेश संख्या F.3(8)Edu.4/98 Jaipur dated 12-5-99 के अन्तर्गत उल्लेखित सभी शर्तों का पालन किये जाने की शर्तों के साथ प्रस्तावित संशोधित वेतनमान को लागू किये जावें।

राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त आदेश में निदेशकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों के लिये नये वेतनमान का उल्लेख नहीं था। वित्त समिति ने इस पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि निदेशकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों को भी संशोधित वेतनमान उनके पदों की वेतन संखला के अनुरूप प्रदान कर दिया जाय। प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति की इस सिफारिश को भी स्वीकृती प्रदान कर दी।

आईटम संख्या 22/6

वित्त समिति की सिफारिश पर प्रबन्ध मण्डल ने अपने निर्णय संख्या 46/14 पर पुनः विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्रों को जिन्हें विश्वविद्यालय ने प्रवेश नहीं दिया हो को शुल्क की राशि लौटा दी जावे। परन्तु जिन छात्रों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई हो और बाद में किसी कारणवश छात्र प्रवेश नहीं लेता है को शुल्क की राशि नहीं लौटाई जायेगी। किन्तु जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले छात्रों के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा 46 वीं बैठक में लिया गया निर्णय यथावत रहेगा।

आईटम संख्या22/7 एवं 22/8

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति के बिन्दु संख्या 22/7,22/8 के सन्दर्भ में वित्त समिति की सिफारिश पर निर्णय को स्थगित रखा। प्रबन्ध मण्डल ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया कि जब तब NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से कोई भी निर्णय अन्तिम रूप से प्राप्त नहीं हो जाता तब तक छात्रों को फीस नहीं लौटाई जायेगी।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी बैठक में विश्वविद्यालय B.Ed. एवं B.Tech. पाठ्यक्रमों के विषय में एक सम्पूर्ण विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। तब तक छात्रों से फीस लौटाने सम्बन्धी निर्णय स्थगित रहेंगे।

आईटम संख्या 22/10

वित्त समिति के बिन्दु संख्या 22/10 के सन्दर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि Printer को नियमानुसार भुगतान कर दिया जाय। जब तक B.Tech. पाठ्यक्रम निरस्त किये जाने का निर्णय नहीं होता तब तक मुद्रित कराये गये पाठ्यक्रम की जांच किये जाने के प्रस्ताव रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जावे कि जब तक सक्षम स्वीकृति, जहां अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लेनी आवश्यक हो, के पश्चात ही नये पाठ्यक्रम का मुद्रण करवाया जावे।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-6-99 के शेष प्रस्तावों के समस्त बिन्दुओं पर वित्त समिति के निर्णयों का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया।

-xxx-

4.6 विश्वविद्यालय शिक्षकों को संशोधित वेतनमान दिये जाने के राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अवलोकनार्थ एवं विश्वविद्यालय से आदेश की अनुपालना की स्वीकृति हेतु आदेशार्थ।

---x---

विश्वविद्यालय शिक्षकों को संशोधित वेतनमान दिये जाने के राज्य सरकार के आदेश के सन्दर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय किये:-

(a) वित्त समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार के आदेश में उल्लेखित समस्त शर्तों को स्वीकार करते हुये नवीन वेतनमान लागू करने को सहमति प्रदान की। सरकार के आदेश निर्देश संख्या 10 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के अधिनियम /एक्ट/ Statute में परिवर्तन करने हेतु

निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया :-

1- कुलसचिव
2- वित्त अधिकारी
3- विधि वेत्ता(Lawyer)
4- विश्वविद्यालय का एक शिक्षक

कुलसचिव समिति के अध्यक्ष होंगे।

(b) निर्देश संख्या 5.3 (Merit Scheme) के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव एवं प्रबन्ध मण्डल के सदस्य डॉ. जी.डी. शर्मा ने बताया कि आयोग इसके बारे में शीघ्र ही एक scheme तैयार कर रहा है जो सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जायेगी। कोटा खुला विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर उसके बारे में उचित समय पर निर्णय करेंगे।

-xxx-

49/7 विद्या परिषद की 20 वीं बैठक दिनांक 12.6.99 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

-xxx-

12-6-99 को हुयी विद्यापरिषद के निर्णयों का प्रबन्ध मण्डल ने अवलोकन कर सभी बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया। किन्तु प्रबन्ध मण्डल ने पुनः कहा कि B.Ed. एवं B.Tech. के प्रवेश शुल्क की राशि प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के बिना नहीं लौटायी जायेगी और आगामी बैठक में विश्वविद्यालय इस सन्दर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

-xxx-

49/8 विश्वविद्यालय में वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण एवं इनको भरने के क्रम में की गई कार्यवाही अवलोकनार्थ एवं आगामी प्रक्रिया बाबत आदेशार्थ।

---x---

विश्वविद्यालय में वर्तमान रिक्त पदों का विवरण एवं इनको भरने के क्रम में की गयी कार्यवाही:-

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को बताया कि विश्वविद्यालय में अनेकों पद रिक्त पड़े हैं तथा उच्च अधिकारियों की कमी के कारण कार्यों को अपेक्षित गति दे पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। माननीय कुलाधिपति के आदेश से रिक्त पदों को भरने का कार्य रुका हुआ है । महामहिम कुलाधिपति ने कुछ छूट देकर कुछ पदों के प्रतिनियुक्ति पर भर्ती के लिये छूट दी थी। इस सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही में कोई उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ वित्त विभाग ने अनेक पदों को freeze कर दिया है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि freeze पदों को De-freeze कराने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को तुरन्त लिखे। वित्त सचिव के प्रतिनिधी ने यह आश्वासन दिया कि वे इसे De-freeze करवाने में पूरी सहायता करेंगे। शिक्षा सचिव के प्रतिनिधी ने यह सूचना दी कि उनका विभाग शीघ्र ही महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय से भी सम्पर्क कर अन्य पदों के भरने के क्रम में निर्णय करवा कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।

-xxx-

49/9 अधिकारियों की पूर्व में नियुक्ति अवधियों बढ़ाये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

॥अ॥ प्रो. पी.के. साहू आचार्य शिक्षा का निदेशक, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद पर

॥ब॥ श्री जे.एम. भटनागर, सेवानिवृत आई.ए.एस. का विशेषाधिकारी पद पर

॥स॥ श्रीमति शील भाटिया का सहायक कुलसचिव के पद पर

॥द॥ श्री जी.एस. गुप्ता का उप कुलसचिव के पद पर

---x---

पूर्व कार्यरत अधिकारियों की नियुक्तियों की अवधि बढ़ाये जाने का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया।

-xxx-

49/10 मैं. जोगमाया सिक्यूरिटि सर्विसेज, कोटा को राज. व सरकार की अधिसूचनानुसार बढ़ी हुई दर से भुगतान की माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृतिनुसार जारी कार्यालय आदेश सं. 692 दिनांक 11.11.98 अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

M/s Jog Maya Security Services की कुलपति के आदेश संख्या 692 दिनांक 11- 11 - 98 के अनुसार बढ़ी हुई [illegible] भुगतान को प्रबन्ध मण्डल ने स्वीकृती प्रदान कर दी। इसी के साथ मै. जोगमाया सिक्यूरीटी सर्विसेज की कार्यावधि दिनांक 31.3.99 एवं [illegible] तक बढ़ाये जाने के आदेशों को भी अनुमोदित किया।

-xxx-

49/11 परीक्षा विभाग में विषय समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालय अतिथि मानते हुए दैनिक भत्ता देने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी कार्यालय आदेश 18450-54 दिनांक 20.11.98 अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

कुलपति द्वारा जारी आदेश संख्या 18450-54 दिनांक 20-11-98 का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन कर दिया।

-xxx-

49/12 विश्वविद्यालय अधिकारियों को उनके आवास से लाने व ले जाने हेतु वाहन सुविधा की दर बढ़ाने हेतु वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसरण में कुलपति महोदय की स्वीकृतिनुसार जारी कार्यालय आदेश 1916-23 दिनांक 21.11.98 अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

विश्वविद्यालय अधिकारियों को लाने व ले जाने की बढ़ी हुयी दर के लिये राज्य सरकार के आदेश की कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा पालना को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया।

-xxx-

49/13 निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर के अधीन परीक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय अजमेर पर आयोजित परीक्षाओं में विश्वविद्यालय की निर्धारित दर से अधिक भुगतान किये जाने की माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गई स्वीकृति अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

कुलपति द्वारा अजमेर क्षेत्रीय केन्द्र के अधीनस्थ परीक्षा केन्द्र को निर्धारित दर से अधिक भुगतान किये जाने को प्रबन्ध मण्डल ने स्वीकृती प्रदान कर दी परन्तु यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्ण नियंत्रण रखा जावे कि भविष्य में इस प्रकार का अधिक भुगतान न हो।

-xxx-

49/14 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा को परिसर के भवन में अतिरिक्त स्थान दिये जाने हेतु अनुमति दिये जाने का मामला अवलोकना एवं सूचनार्थ।

---x---

विश्वविद्यालय परिसर में O.B.C. Bank की पूर्ण शाखा की स्थापना का प्रबन्ध मण्डल ने स्वागत किया तथा कुलपति द्वारा बैंक को अतिरिक्त स्थान दिये जाने के निर्णय की सराहना की एवं निर्णय को अनुमोदित किया।

-xxx-

49/15 डॉ. आर.एल. शर्मा, उप कुलसचिव को 43 वी प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.2.98 के निर्णय सं. 43/23 के क्रम में की जा रही जांच समाप्त करने एवं उनके विरुद्ध कोई शास्ती नहीं लगाये जाने का कुलपति महोदय के आदेशानुसार आदेश सं. F2/KOU/Estt/NT/6(5)/99/ 1770 दिनांक 11.2.99 अवलोकन एवं सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---x---

डॉ. आर.एल. शर्मा के सन्दर्भ में कुलपति के निर्णय No.F.2/KOU/Estt/NT/6(5)/99/1770 दिनांक 11-2-99 को अनुमोदित कर दिया।

-xxx-

49/16 प्रो. बी.एस. शर्मा, पूर्व कुलपति को रु. 3,33,095/- का भविष्यनिधि खाते से अन्तिम भुगतान किये जाने का माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी आदेश सं. KOU/A&f/PF Final Payment/99/6026 दिनांक 5.2.99 अवलोकन एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

---x---

प्रो. बी.एस. शर्मा पूर्व कुलपति को भविष्य निधि खाते से अन्तिम भुगतान के रूप में 3,33,095.00 रुपये वित्त विभाग द्वारा दे दिये गये हैं। प्रबन्ध मण्डल ने भुगतान के निर्णय का अनुमोदन कर दिया।

-xxx-

49/17 प्रबन्ध मण्डल की 47 वीं बैठक दिनांक 23.12.98 के निर्णय अनुसार श्री एम.सी. शर्मा द्वारा प्रस्तुत कुलसचिव पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निवेदन का अनुमोदन के फलस्वरूप कुलसचिव के पद पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के पत्र सं. F-25(4) RB/99/14 दिनांक 1.2.99 की अनुपालना में श्री एस.के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. को कार्यालय आदेश सं. F-1/ KOU/UCS/99/2128-39 दिनांक 4.2.99 तुरन्त प्रभाव से छः माह के लिए कुलसचिव पद पर नियुक्ति दिये जाने का मामला अवलोकन एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

---x---

पूर्व कुलसचिव श्री एम.सी. शर्मा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुये पद को पूर्व कुलपति प्रो. बी.एस. शर्मा ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या F-25-(4)RB/99/14 दिनांक 1.2.99 की अनुपालना में श्री एस.के. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आर.ए.एस. को 4.2.99 से 6 माह के लिये कुलसचिव पद पर नियुक्ति प्रदान की थी। प्रबन्ध मण्डल ने इस नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया।

-xxx-

टेबल एजेण्डा

इस बिन्दु के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये :-

49/18 राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में श्री पी.एन. शर्मा, वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थिति सूचनार्थ।

---x---

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर श्री पी.एन. शर्मा को कोटा खुला विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। श्री पी.एन. शर्मा ने विश्वविद्यालय में दिनांक 9-4-99 को उपस्थित दी है। प्रबन्ध मण्डल ने नियुक्ति का अनुमोदन किया।

-xxx-

49/19 प्रो. बी.एल. माथुर, निदेशक विज्ञान एवं तकनीकी के विश्वविद्यालय सेवा छोडकर जाने के फलस्वरूप उन्हें एक माह के नोटिस अवधि के वेतन जमा कराये जाने के मामले में छूट दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---x---

प्रो. बी.एल. माथुर ने निदेशक विज्ञान एवं तकनीकी विभाग को [illegible] पुनः अपने पैतृक विभाग में बिना एक माह का नोटिस दिये जाने के [illegible] उनका मासिक वेतन अब तक नहीं दिया गया है। प्रो. माथुर ने [illegible] नोटिस अवधि में छूट दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। [illegible] समस्त प्रकरण पर विचार करके प्रो. बी.एल. माथुर के [illegible] माह की नोटिस अवधि में छूट देना स्वीकार कर लिया।

-xxx-

49/20 डा. अनिल शुक्ला, सहायक आचार्य, शिक्षा को दिनांक 6.4.99 से दो वर्ष का ग्रहणाधिकार (Liean) स्वीकृति का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

डॉ. अनिल शुक्ला,सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग का चयन लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में सहायक आचार्य के पद पर हुआ । तत्पश्चात उन्होंने 2 वर्ष का लियन(Lien) मांगकर लखनऊ विश्वविद्यालय में join करने के लिये आवेदन किया था। उनके आवेदन पर नियमानुसार विचार कर उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार lien प्रदान कर दिया गया है। प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

49/21 विश्वविद्यालय परिसर में एक राजकीय होम्योपैथी डिस्पेन्सरी खोलने एवं उसके लिए भवन दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---x---

विश्वविद्यालय परिसर में होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने के प्रस्ताव को पुनर्विचार करने के लिये वापस ले लिया गया ।

आसन को धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 50 वीं ः आपात कालीनः बैठक
दिनांक 24.2.2000 दोपहर 12 बजे
क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जयपुर

कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल की 50 वीं ः आपात कालीनः बैठक दिनांक 24.2.2000 को दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जयपुर पर आयोजित हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया –

1.	प्रो. जी.एस.एल. देवडा कुलपति, को.खु.वि.वि., कोटा	अध्यक्ष
2.	डा. एन.आर. भसीन प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	प्रो.विनयशील गौतम आचार्य, आई आई टी नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रो. वी.पी. दीक्षित 2/5 मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य
5.	प्रो. पी.के. साहू आचार्य, शिक्षा को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य

6.	डा. आर.सी. मीणा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य
7.	श्री पी.एन. शर्मा वित्त अधिकारी को.खु.वि.वि., कोटा	विशेष आमंत्रित
8.	श्री एन.एल. चाण्डक कुलसचिव को.खु.वि.वि., कोटा	सचिव, प्रबन्ध मण्डल

निम्नांकित सदस्यों का बैठक में भाग लिया जाना सम्भव नहीं हो सका :-

1.	प्रमुख शासन सचिव वित्त् विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	प्रो. वी.एस. प्रसाद सम कुलपति, इ.गा.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली	सदस्य
3.	डा. आर. वी. व्यास निदेशक, को. खु.वि.वि., कोटा	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और नवनियुक्त सदस्य प्रो. विनयशील गौतम एवं प्रो. पी.के. साहू का सभी सदस्यों से परिचय कराया एवं अवगत कराया कि प्रो. गौतम एवं प्रो. साहू के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुभव का लाभ इस विश्वविद्यालय को

प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय ने कुलसचिव के दायित्व का निर्वाह करने वाले श्री एन.एल. चाण्डक का भी सभी सदस्यों से परिचय कराया। नवनियुक्त कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल का प्रो. साहू द्वारा परिचय करवाया गया तथा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय का हर्ष के साथ स्वागत किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य डॉ. जी.डी. शर्मा एवं प्रो. एल.एन. गुप्ता द्वारा सदस्य के रूप में किये गये सहयोग एवं सेवाओं की सराहना की एवं उनके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव से प्राप्त लाभ के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही डॉ. आर.वी. व्यास जिन्होंने प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष (5 फरवरी 99 से 24 नवम्बर 99) का दायित्व संभाल रखा था के कार्यों की सराहना की। अध्यक्ष महोदय ने बहुत कम समय के नोटिस पर आपातकालीन बैठक हेतु अपना अमूल्य समय निकाल कर भाग लेने के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय की समस्याओं को राज्य सरकार के स्तर पर त्वरित गति से सुलझाने में डा. एन.आर. भसीन, प्रमुख शासन सचिव के प्रयासों के लिए उन्हें सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद दिया।

इस के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्य-सूची में वर्णित बिन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला। विस्तृत विवेचन एवं प्रबन्ध मण्डल का बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है :-

कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 50/1

राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. (MOU) पर विचार हेतु।

--- x ---

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि नये बदलते हुए परिदृश्य में राज्य सरकार ने अपने उपलब्ध संसाधनों को सीमित करते हुए विश्वविद्यालयों पर एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर कर लागू किये जाने हेतु भेजा है। इस प्रपत्र के बारे में प्रो. गौतम ने जानना चाहा कि यह तो एक अण्डरटेकिंग

नहीं होकर निर्देशात्मक प्रपत्र है। इस पर प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का सदुपयोग ठीक तरह से नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी है परन्तु कोटा खुला विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नही है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में समरूपता रखने के लिए MOU पर हस्ताक्षर आवश्यक हो गया है।

विचार विमर्श में यह तय हुआ कि एम.ओ.यू. में वर्णित 18 में से 15 शर्तें बिना विशेष उलझनों के मानी जा सकती हैं। केवल 3 शर्तों के बारे में इस विश्वविद्यालय की ओर से कुछ सुझाव हैं जिन पर प्रबन्ध मण्डल ने भी एक मत से विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय लिया जो निम्नलिखित है :-

1. <u>चिकित्सा पुनर्भरण ॥बिन्दु संख्या 3॥</u>

इसे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रखा जा सकता है। परन्तु साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह बिन्दु राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के अनुरूप ही हों।

2. <u>भ्रमण अनुदान एवं ओवर टाईम ॥बिन्दु संख्या 4॥</u>

माननीय कुलाधिपति के निर्देशानुसार ॥संदर्भः बिन्दु संख्या-9 बैठक दिनांक 10.1.99 ॥ कोटा खुला विश्वविद्यालय में ओवर टाईम बन्द कर दिया गया है लेकिन कोटा खुला विश्वविद्यालय की प्रकृति अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है तथा यहाँ पर मुक्त शिक्षा के लिए कार्य का भार अन्य परम्परागत शिक्षा पद्धति पर आधारित विश्वविद्यालयों से भिन्न है। उदाहरणार्थ - पाठ्य सामग्री का लेखन, प्रकाशन व वितरण किया जाता है तथा आन्तरिक मूल्यांकन की सशक्त प्रणाली है। यहाँ परीक्षाएँ साल में दो बार आयोजित की जाती हैं। इन आवश्यकताओं को समझते हुए विश्वविद्यालय में साल में एक माह का Incentive देने के लिए प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन के लिए भेजा जावें।

यह भी सुझाव दिया गया कि अगर Incentive अन्य विश्वविद्यालयों में लागू किया जाता है तो इस विश्वविद्यालय में तो इसे प्राथमिकता पर लागू करना चाहिये।

3. विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के कार्यभार एवं स्व-मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में ः बिन्दु संख्या 14ः

इस बिन्दु पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय हुआ कि दूरस्थ शिक्षा पर आधारित विश्वविद्यालयों एवं पारम्परिक विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में काफी अन्तर होता है अतः इन पर यू.जी.सी. के सुझाव लागू करना उचित नहीं है अतः खुला विश्वविद्यालय के बारे में शिक्षकों के कार्यभार व दायित्वों के बारे में दूरस्थ शिक्षा परिषद के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ही अंकन एम.ओ.यू. में होना चाहिए। ऐसा ही सभी सदस्यों ने माना।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष व प्रो. गौतम की राय थी कि एम.ओ.यू. वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ का ही आंकलन करता है इसमें विश्वविद्यालय के भविष्य के विकास कार्यक्रमों को लेकर कोई संकेत नहीं है जबकि ऐसा होना किसी संस्था के हित में आवश्यक है।

प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा महोदय ने अवगत कराया कि इस एम.ओ.यू. के उपरान्त भी यदि किसी बिन्दु के कारण विश्वविद्यालय का विकास अवरूद्ध हो तो उसे राज्य सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए।

अतः निर्णय लिया गया कि फिलहाल एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर कर दिये जावें।

– xxx –

कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 50/2

विश्वविद्यालय के विविध शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए कन्सल्टेन्ट्स ॥परामर्श दाताओं॥ की अल्प अवधि के लिए नियुक्ति ॥बी.एड., एम.एड. एवं अन्य पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में।

--- x ---

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि कार्यसूची में वर्णित विविध शैक्षिक गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने पर प्रबन्ध मण्डल ने पूर्व ॥संदर्भ - बिन्दु संख्या 6 एवं 7 प्रबन्ध मण्डल की दूसरी बैठक दिनांक 9.1.88॥ में अनुमति दे रखी है परन्तु उसे काफी समय हो चुका है अतः वर्तमान परिस्थितियों के परिदृश्य में विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप परामर्शदाता नियुक्त किये जाने अति आवश्यक है। प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकार की नियुक्तियों में सेवानिवृत व्यक्तियों को लगाया जा सकता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति अवधि 6 माह रखा जाना काफी कम है अतः इसे अधिक समय के लिए रखने एवं उन्हें निशुल्क आवास सुविधा का प्रावधान भी किया जावें।

- xxx -

कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 50/3

विश्वविद्यालय की वित्त समिति में दो सदस्यों के नामांकन हेतु।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति में दो सदस्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत नामांकित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

- xxx -

कार्यसूची के उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी प्रबन्ध मण्डल का निम्नानुसार मत था।

1. विश्वविद्यालय के भविष्य के क्रिया-कलापों के बारे में एक वार्षिक रूपरेखा तैयार की जावें।
2. विश्वविद्यालय के अपने संसाधन बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए और राज्य सरकार द्वारा इस बारे में विश्वविद्यालय को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
3. एम.ओ.यू. में यह भी अंकन होना चाहिए कि किन शैक्षणिक कार्य कलापों को लेकर यह एम.ओ.यू. कराया जा रहा है इस से शिक्षा का विकास होना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय के नेट-वर्किंग एवं सेटेलाईट हेतु भी राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए।
5. 1995-96 बी.एड. बैच की मान्यता के लिये उच्च न्यायालय में अपील की जायें।

अन्त में आसन को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

सचिव,
प्रबन्ध मण्डल एवं
कुलसचिव

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 51 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 51 वीं बैठक दिनांक 26.5.2000 शुक्रवार को प्रातः 11.30 बजे जयपुर स्थित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गयी थी। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे –

1.	प्रो. जी.एस.एल. देवडा कुलपति, को.खु.वि.वि., कोटा	अध्यक्ष
2.	डा. एन.आर. भसीन प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	प्रो. वी.एस. प्रसाद सम कुलपति इ.गाँ.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रो. वी.पी. दीक्षित 2/5 मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य
5.	प्रो. पी.के. साहू आचार्य, शिक्षा को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य
6.	डा. आर.वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं कोटा खुला वि.वि., कोटा	सदस्य
7.	डा. आर.सी. मीणा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य

8.	श्री पी.एन. शर्मा वित्त अधिकारी को.खु.वि.वि., कोटा	विशेष आमंत्रित
9.	श्री एन.एल. चाण्डक कुलसचिव को.खु.वि.वि., कोटा	सचिव, प्रबन्ध मण्डल

निम्नांकित सदस्यों का बैठक में भाग लिया जाना सम्भव नहीं हो सका :-

1.	प्रमुख शासन सचिव वित्त् विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	प्रो. वी.एस. गौतम आई.आई.टी. नई दिल्ली	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय प्रो. जी.एस.एल. देवडा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय में हुए विकास की ओर सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को और सुचारु एवं सुदृढ बनाया है तथा उसके प्रचार- प्रसार के लिए गाँव् एवं कस्बे के स्तर तक पहुँच करायी है। बी.ए.पी. एवं बी.सी. पी. पाठ्यक्रम का प्रवेश वर्ष में दो बार करने का प्रबन्ध किया है। विश्वविद्यालय में 'स्ट्राइड' STRIDE की स्थापना की गई है तथा उसके तत्वाधान में शिक्षकों को शैक्ष-प्रशिक्षण तथा लेखा कर्मियों के प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ‡IGNOU ‡ के सहयोग से "इण्टर एक्टिव रेडियो काउन्सलिंग" प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही उस चर्चा में छात्रों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। विश्वविद्यालय में विगत दिनों में राजस्थान स्वर्ण जयन्ती राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन सम्पन्न् हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी बतलाया कि विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण व उत्तरदायी पदों पर स्थायी नियुक्तियाँ नहीं होने के कारण बडी कठिनाई हो रही है। यद्यपि जिन लोगों को उन दायित्वों को संभालने के लिये कहा गया है वे सफलता व उत्साह से कार्य कर रहे हैं। परन्तु पदों के अनुरुप वेतन सम्बन्धी सुविधाएँ न मिलना एक अन्य प्रकार की निराशा उत्पन्न करता है। उच्च शिक्षा सचिव डा. भसीन ने यह बतलाया कि सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिये कुछ निश्चित कदम उठाये हैं जिसकी शीघ्र ही सूचना भिजवायी जायेगी। प्रो. प्रसाद ने पिछले कुछ महिनों में विश्वविद्यालय में हो रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों, नये प्रयासों एवं दूरस्थ शिक्षा को दृढ करने में विश्वविद्यालय के योगदान पर अपनी ओर से हर्ष व्यक्त किया व विश्वविद्यालय प्रशासन को बधायी दी। साथ ही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने कुछ सकारात्मक सुझाव भी दिये।

प्रो. वी.एस. प्रसाद ने कहा कि अगर राज्य सरकार, कोटा खुला विश्वविद्यालय एवं IGNOU मिलकर एक दिन का सेमीनार दूरस्थ शिक्षा परिषद के सहयोग से करे तो यह दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक सकरात्मक योगदान होगा। इससे दूरस्थ शिक्षा को लेकर विभिन्न तरह भ्रांतियों को विराम मिलेगा एवं मुक्त शिक्षा का ज्ञान लोगों में जायेगा। इस सुझाव को राज्य सरकार के प्रतिनिधि डा. एन.आर. भसीन ने उचित बताया।

इस के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्य सूची में वर्णित बिन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला। विस्तृत विवेचन एवं प्रबंध मण्डल का बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है :-

51/1 *अ* प्रबन्ध मण्डल की 49 वीं बैठक दिनांक 19.6.99 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

ब प्रबन्ध मण्डल की 50 वीं *आपातकालीन* बैठक दिनांक 24.2.2000 का कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने 49 वीं बैठक एवं 50 वीं आपात बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की क्योंकि इसके बारे में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई थी।

—MMM—

51/2 (अ) प्रबन्ध मण्डल की 49 वीं बैठक दिनांक 19.6.99 के कार्यवाही विवरण में लिए गये निर्णयों पर क्रियान्विति विवरण अवलोकनार्थ।

(ब) प्रबन्ध मण्डल की 50 वीं आपात बैठक दिनांक 24.2.2000 के कार्यवाही विवरण में लिए गये निर्णयों पर क्रियान्वित विवरण अवलोकनार्थ -

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने क्रिन्यान्विति विवरण का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/3 विद्या परिषद की 21 वीं. बैठक दिनांक 19.4.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

---x---

विद्या परिषद की 21 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया।

कुछ सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्थान पर बी.ए. /बी.काम. का अपना पाठ्यक्रम चलाने के निर्णय पर जानकारी के लिये प्रश्न किये। अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि क्षेत्रीय विशेषताओं तथा राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रमों के आधार पर गुणवत्ता के साथ यह पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा। राजस्थान सरकार की भी यही इच्छा है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों के बी.ए. तक के पाठ्यक्रमों में समानता का तत्व विद्यमान रहे। अध्यक्ष ने सदस्यों को इस पाठ्यक्रम की गुणवत्ता तथा समय पर तैयार करने की योजना के प्रति आश्वस्त किया और जानकारी दी कि यू.जी.सी. व दूरस्थ शिक्षा परिषद के मापदण्डों का प्रक्रिया के समूचे क्रम में पूरा पालन किया जायेगा।

एम.ए. के नये पाठ्यक्रमों के बारे में यह धारण व्यक्त की गयी कि विद्या परिषद द्वारा सुझाये गये (20 वीं बैठक 6/ii, Para I) मापदण्डों के आधार पर ही इन्हें लागू किया जायेगा।

-xxx-

51/4 वित्त समिति की 23 वीं बैठक दिनांक 16.5.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

वित्त समिति की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रो. प्रसाद का सुझाव था कि दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का अलग से एक आय-व्यय का स्टेटमेन्ट तैयार किया जावें जिससे की पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो। डा. भसीन का मत था कि जो बजट घाटा दिखाया गया है उसको पूरा करने के लिए उसी के सामने आय के विकल्प दिखाये जावें। सदस्यों की धारणा थी कि विश्वविद्यालय अपने स्त्रोतों को बढाकर अपनी आर्थिक स्थिति दृढ करें। अन्त में, बजट प्रस्ताव एवं वित्त समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

-xxx-

51/5 मुद्रण सलाहकार समिति की 11 वीं बैठक दिनांक 16.3.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति की 11 वीं बैठक का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/6 सामान्य भविष्य निधि/योजना समिति की सिफारिशें अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

सामान्य भविष्य निधि योजना विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने यह व्यवस्था दी कि इसमें अन्य आवश्यक बिन्दुओं का समावेश करने के लिए सम्बंधित समिति की दूसरी बैठक कराई जावें जिसमें प्रबन्ध मण्डल के 2 सदस्य भी नामांकित हो तथा उसकी सिफारिशें इस सम्बन्ध में अन्तिम समझी जावें। इसमें डा. भसीन का मत था कि भविष्य निधि प्रदाय का विनिमययोग ऐसा किया जावें जिससे की ब्याज 12 % एवं इससे अधिक हो।

-xxx-

51/7 भवन निर्माण समिति / उप भवन निर्माण समिति को प्रस्तावित वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति अधिकार प्रत्योजन करने का मामला निर्णयार्थ।

---x---

भवन निर्माण समिति / उप भवन निर्माण समिति को प्रस्तावित वित्तीय तकनीकी स्वीकृति अधिकार का मामला प्रबन्ध मण्डल में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय में अभी फिलहाल कोई वरिष्ठ तकनिकी अधिकारी नहीं है तथा केवल कनिष्ठ अभियन्ता है जिसको कि राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विल एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिये गये। चूंकि विश्वविद्यालय में बहुत से मरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाने है उसके लिए आवश्यक हो गया है कि एक उप भवन निर्माण समिति का गठन किया जावें तथा उसे अधीक्षण अभियन्ता के समकक्ष अधिकार एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जावें। प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं कुलपति को इस गठन का अधिकार दिया।

-xxx-

51/8 भवन निर्माण समिति की दिनांक 22.01.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने भवन निर्माण समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया। सदस्यों ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि अब विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।

-xxx-

51/9 विदेश भ्रमण अनुदान समिति (Foreign Travel Grant Committee) की अभिशंषाऐं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने विदेश भ्रमण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विदेश भ्रमण अनुदान समिति की अभिशंसाओं का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/10 पेंशन नियमों में संशोधन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

राज्य सरकार के पेंशन नियमों में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.10.96 को किये गये संशोधन के अनुरुप ही विश्वविद्यालय के पेंशन नियमों को वित्त समिति की 23 वीं बैठक में अनुमोदन के पश्चात संशोधन का मामला प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/11 विश्वविद्यालय के कार्य को व्यवस्थित एवं सुचारु रुप से चलाने हेतु माननीय कुलपति द्वारा जो विभिन्न आदेश एवं निर्देश प्रदान किये गये उनकी अनुपालना में पारित कार्यालय आदेश अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो विभिन्न विश्वविद्यालय के कार्यो को व्यवस्थित एवं सुचारु रुप से चलाने के निम्न आदेश समय समय पर जारी किये उनका अनुमोदन किया।

(अ) श्री नवीन तिवारी, कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन निर्धारण राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अनुसूची नियम 13 के अनुसार।

(ब) श्री जी.एस. गुप्ता का उप कुलसचिव के पद पर पूर्व की स्टाप गेप व्यवस्था के तहत नियुक्ति अवधि बढ़ाने सम्बन्धि आदेश क्रमांक 2105 दिनांक 2.6.99, कार्यालय आदेश 2529 दिनांक 8.10.99 एवं 2706 दिनांक 27.12.99

(स) श्रीमती शील भाटिया का सहायक कुलसचिव के पद पर पूर्व की स्टाप गेप व्यवस्था के तहत नियुक्ति अवधि बढ़ाने सम्बन्धि कार्यालय आदेश सं. 2429 दिनांक 23.8.99 एवं 2499 दिनांक 27.9.99 एवं 2752 दिनांक 20.1.2000।

(द) श्री एस.के. श्रीवास्तव की कुलसचिव पद पर नियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप कुलसचिव पद का कार्यभार वरिष्ठतम उप कुलसचिव श्री एन.एल. चाण्डक, उप कुलसचिव (स्थापना) को आदेश क्रमांक 2757 दिनांक 4.2.2000।

(य) प्रवेश कार्य हेतु स्वतन्त्र प्रवेश विभाग की स्थापना एवं आहरण व वितरण की सुविधा प्रभारी प्रवेश विभाग को दिये जाने हेतु जारी कार्यालय आदेश सं. 2675 दिनांक 18.12.99।

(र) प्रबन्ध मण्डल की पूर्व 50 वीं बैठक दिनांक 24.2.2000 के निर्णयानुसार माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत दो नामांकित सदस्य श्री सत्य नारायण सिंह (सेवा निवृत आई.ए.एस.) एवं प्रो. पी.के. साहू सदस्य प्रबन्ध मण्डल का वित्त समिति में मनोनयन आदेश क्रमांक 652 दिनांक 3.3.2000।

(ल) परीक्षा विभाग के आदेश सं. 10458 दिनांक 17.7.99 परीक्षा केन्द्र पर तीन पारियों में परीक्षा होने पर देय दरें पूर्व आदेश 27.5.99 के क्रम में। बाह्य उड़न दस्ते के सदस्यों को उप अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक परीक्षा आदि को भुगतान के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 11796-17805 दिनांक 27.9.99।

(ब) वित्तिय वर्ष 2000-2001 के लिए वर्ष 1999-2000 के वास्तविक व्ययों का चौथाई अनुमानित व्यय माननीय कुलपति महोदय द्वारा कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम 1987 की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुमति प्रदान की आदेश क्रमांक KOU/A&F/NP/2000-2001/1-115 दिनांक 1.4.2000 ।

-xxx-

51/12 विश्वविद्यालय में आयोजना मण्डल में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य मनोनीत करने का मामला विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

--- x ---

विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेट्यूट 9(1)(b) में वर्णित प्रावधान के अनुसार आयोजना मण्डल में एक सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा दो वर्ष हेतु मनोनीत किये जाने के विषय पर प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

-xxx-

51/13 विधि प्रकोष्ठ के कनिष्ठ लिपिक को विश्वविद्यालय की ओर से न्यायालय एवं उपभोक्ता मंचों के समक्ष पेश किये जाने वाले जवाब परिवाद / शपथ पत्र एवं लिखित बहस आदि से सम्बन्धित टंकण कार्यों को कार्यालय समय से पूर्व एवं बाद में करने के एवज में प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का मामला विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल में कनिष्ठ लिपिक विधि प्रकोष्ठ को मानदेय देने का मामला U.C. Coordination Committee में रखने का निर्णय लिया ।

-xxx-

51/14 दूरस्थ शिक्षा पद्धति के मापदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय में Staff Training & Research Institute of Distance Education (STRIDE) की स्वतंत्र इकाई की स्थापना से सम्बन्धित मामला सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने STRIDE की कोटा खुला विश्वविद्यालय में स्थापना की कार्यवाही का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/15 निदेशक क्षेत्रीय सेवाओं एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को अन्य शैक्षणिक वर्ग में गिने जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

--- x ---

कोटा खुला विश्वविद्यालय में एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित व्यवस्था की भांति निदेशक क्षेत्रीय सेवाओं एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को अन्य शैक्षणिक वर्ग में गिने जाने के मामले पर प्रबन्ध मण्डल में विचार किया गया।

सदस्यों का मत था कि कोटा खुला विश्वविद्यालय के एक्ट में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। अतः निदेशक क्षेत्रीय सेवाओं एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को दी गयी परिभाषा की अधिनियम की धारा चेप्टर 1, अनुच्छेद 2-ब के अन्तर्गत 'एम्पलोयी' की प्रस्तुत परिभाषा एवं उसकी श्रेणियों में ही समझा जायें।

-xxx-

51/16 राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसार विशेष जाँच प्रतिवेदन वर्ष 1991 से 93, 1993 से 95 एवं 1995-96 की पालना हेतु प्रबन्ध मण्डल निर्णयों की पुनः समीक्षा हेतु विचारार्थ।

---x---

कोटा खुला विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 1991 से 93, 1993 से 95 एवं 1995-96 की विशेष जांच अंकेक्षण की गई थी। जाँच प्रतिवेदन का प्रतिउत्तर कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति एवं प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार को तदउपरान्त प्रेषित कर दिया गया था। इन प्रतिवेदनों से राज्य सरकार सन्तुष्ट नहीं है तथा इन अंकेक्षण रिपोर्ट पर अनुपालना चाहती है।

विषयान्तर्गत प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन राजस्थान विधान सभा के आश्वासन संख्या 63/94 में दिया था।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग पत्र क्रमांक 4.2.(12)/शिक्षा-5/98 दिनांक 23.3.2000 आयोजना भिन्न ग्रान्ट की चतुर्थ किश्त की प्रशासनिक स्वीकृति में यह आक्षेप था कि विश्वविद्यालय को अन्तिम किश्त विशेष जाँच प्रतिवेदन वर्ष 1991-93 एवं 1993-95 एवं 1.8.95 से 31.12.96 तक की अवधि के प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना भिजवाने पर ही आगामी किश्त स्वीकृत किया जाना सम्भव होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार को यह सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट वित्त समिति एवं प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई थी। अब अगर विश्वविद्यालय में इस संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देशानसार कार्यवाही की जाती है तो वैद्यानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः राज्य सरकार के बार-बार पत्रों के संदर्भ में यह उचित समझा गया कि आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस प्रकरण को राज्य सरकार की अभियुक्तियों के सहित पुनः समीक्षा हेतु रखा जायें।

इस आश्वासन के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अन्तिम किस्त अनुदान आयोजना ‡भिन्न‡ जारी की गई। अतः विश्वविद्यालय की तरफ से दिये गये आश्वासन के अनुरुप विशेष जांच प्रतिवेदन का मामला पुनः समीक्षा हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा गया है।

इन मुद्दों पर गहन विचार विमर्श के पश्चात सभी सदस्यों का मत था कि इस प्रकरण को पुनः खोला जावें तथा विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता लायी जाये और राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावें।

अतः प्रबन्ध मण्डल ने उक्त जांच प्रतिवेदनों पर निर्देशानुसार कार्यवाही करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/17‡अ‡ दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अध्यापकों के कार्यभार एवं दायित्वों के लिए प्राप्त निर्देश को अवलोकनार्थ एवं लागू करने बाबत।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कार्यरत अध्यापको के कार्यभार एवं दायित्वों को कोटा खुला विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों पर उसी अनुरुप लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।

-xxx-

‡ब‡ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति एवं अर्हताओं के लिए प्राप्त निर्देशों को अवलोकनार्थ एवं लागू करने बाबत।

---x---

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने मार्च 2000 में अध्यापकों की नियुक्ति अर्हताओं एवं केरियर एडवांसमेन्ट हेतु रेग्यूलेशन 2000 पारित किया था। प्रबन्ध मण्डल द्वारा रेग्यूलेशन का अध्ययन किया गया। डा. भसीन ने यह जानकारी दी कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपने विशिष्ट निर्देश प्रेषित कर रही है। अतः सदस्यों की यह राय बनी कि उसके पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जाये।

-xxx-

51/18 बी.एड./एम.एड. कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने कोटा खुला विश्वविद्यालय के बी.एड. एम.एड. पाठ्यक्रमों को चलाने के सम्बन्ध में आवश्यक मान्यता के सम्बन्ध में कोटा खुला विश्वविद्यालय राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. के साथ किये गये प्रयासों की जानकारी ली और यह मत व्यक्त किया कि समस्या को शीघ्र सुलझाया जायें।

-xxx-

51/19 माननीय कुलपति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त 'टरमिनल बेनेफिट' (Terminal Benefits) के सम्बन्ध में निर्देशों को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।

--- x ---

प्रबन्ध मण्डल ने राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 1.12.99 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उनके कार्यकाल में देय परिलाभ एवं टर्मीनल बेनेफिट के बरे में दिशा निर्देशों का अवलोकन किया। यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को U.C. Coordination Committee में रखने के पश्चात फिर उसके आदेश के अनुरुप इसे लागू किया जाये।

-xxx-

51/20 विशिष्ठ शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा पारित बी.एफ.सी. 2000-2001 ¥आयोजन भिन्न¥ में पारित निर्णयों की क्रियान्विति बाबत [illegible] पत्र क्रमांक प.2¥13¥/शिक्षा-5/93 दिनांक 11.5.2000 अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

--- x ---

राज्य सरकार ने कोटा खुला विश्वविद्यालय की से प्राप्त बी.एफ.सी. 2000-2001 ¥आयोजना भिन्न¥ के निर्णयों के अर्न्तगत निम्नलिखित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की।

I. निम्न वाहन समर्पित घोषित किये जाते है :-

(1) RJ 20 C - 0016

(2) RPM - 2754

(3) RPF - 2576

II. निम्न पदों को समाप्त किया जाता है -

(1) सहायक कुलसचिव (योजना) - एक पद

(2) लेखाकार (गैर योजना) - एक पद

उक्त जारी किये गये प्रशासनिक आदेश का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

-xxx-

51/21 छात्र सहायता प्रकोष्ठ का गठन एवं इसे एक स्वतंत्र इकाई बनाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा गठित छात्र सहायता प्रकोष्ठ को प्रबन्ध मण्डल ने स्वतन्त्र इकाई बनाने का अनुमोदन किया।

-xxx-

Table Agenda :-

51/22 (i) विधि सलाहकार एवं स्थायी अधिवक्ता (मुख्यालय कोटा) के प्रावधान को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

---x---

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अभी फिलहाल एक स्थायी अधिवक्ता को 2500/- रुपये प्रतिमाह पर रिटेनरशिप दिये जाने का प्रावधान है। उसी अनुसार विश्वविद्यालय प्रतिमाह 2500/- का भुगतान करता आ रहा है। विश्वविद्यालय में इस प्रयोजन हेतु एक विधि सहायक एवं एडवोकेटस का पैनल भी है जिनसे की विश्वविद्यालय विधिक राय ले सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिमाह 2500/- रुपये के भुगतान की बचत कर सकता है।

अतः प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में स्थायी अधिवक्ता के रूप में विधि सलाहकार श्री सन्तोष सक्सेना का रिटेनरशिप के आधार पर वर्तमान प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

-xxx-

51/22 (ii) महंगाई भत्ता का नगद भुगतान करने की अनुमति बाबत्।

---x---

सूचना के अभाव में यह निर्णय अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया।

-xxx-

51/22 (iii) कोटा खुला विश्वविद्यालय में स्थित ओडियो विडियो केन्द्र पर EMPC एवं IGNOU के सहयोग से कर्मचारियों को प्रशिक्षण बाबत्।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने EMPC, IGNOU के सहयोग से कोटा खुला विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को इप्लिकेशन प्रशिक्षण एवं आगे के प्रशिक्षण कार्यवाहियों का अवलोकन किया व विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार के किये गये प्रयासों पर हर्ष व्यक्त किया।

-xxx-

51/22 (iv) विश्वविद्यालय भवनों के निर्माण के विरुद्ध आर.एस.बी.सी.सी. द्वा
बताई गई बकाया राशि के भुगतान के बाबत मामला एवं इस बारे
आर.एस.बी.सी.सी. से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ :

---x---

कोटा खुला विश्वविद्यालय के निर्माण के विरुद्ध बकाया राशि के सम्ब
में विश्वविद्यालय एवं आर.एस.बी.सी.सी. के मध्य बकाया राशि को निपटाने
लिए आर.एस.बी.सी.सी. का पत्र क्रमांक A-6/(278)/11/ 2358 दिना
12.5.2000 के अनुसार आर.एस.बी.सी.सी. की ओर दो व्यक्तियों के नाम
सुझाये गये है। इसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा आर.एस.बी.सी.सी. के प्रतिनिधि के
रूप में श्री पी.के. लोहारिया के नाम पर सहमति दी गई। प्रबन्ध मण्डल
विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए माननीय कुलपति महोदय
अधिकृत किया।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 52 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 52 वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी 2001 मंगलवार को प्रात 11.30 बजे जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे -

1. प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा - अध्यक्ष
   कुलपति, को.खु.वि.वि, कोटा

2. प्रो. वी.एस. प्रसाद - सदस्य
   कुलपति (कार्यवाहक)
   इ.गॉ.रा.मु.वि.वि.
   नई दिल्ली

P.A. to Registrar
Kota Open University
KOTA

3. श्री एस.एन. थानवी - सदस्य
   शासन सचिव, उच्च शिक्षा
   राजस्थान सरकार, जयपुर

4. प्रो. वी.एस. गौतम - सदस्य
   आचार्य, प्रबन्ध
   आई.आई.टी.
   नई दिल्ली

5. डा. ए.पी. सिंह - सदस्य
   प्रिन्सिपल,
   उदय प्रताप इण्टर कॉलेज, बनारस

6. प्रो. एम.डी. अग्रवाल - सदस्य
   आचार्य, वाणिज्य
   को.खु.वि.वि, कोटा

7. श्री एच.के. मीना - विशेष आमंत्रित
   वित्त अधिकारी,
   को.खु.वि.वि, कोटा

8. श्री एन.एल. चाण्डक - सचिव
कुलसचिव
को.खु.वि.वि, कोटा

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लिया जाना सम्भव नहीं हो सका :-

1. प्रमुख शासन सचिव - सदस्य
वित्त विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

2. डा. आर.वी. व्यास - सदस्य
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं
को.खु.वि.वि., कोटा

3. डा. एस.एन. अम्बेडकर - सदस्य
निदेशक,
क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि., बीकानेर

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आने का स्वागत किया एवं नव आगन्तुक सदस्य श्री. एस.एन. थानवी, डा. ए.पी. सिंह, प्रो. एम.डी. अग्रवाल एवं वित्त अधिकारी श्री एच.के. मीना (विशेष आमन्त्रित) का परिचय करवाया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के निवर्तमान सदस्यों सर्वश्री प्रो. पी.के. साहू, श्री वी.पी. दीक्षित एवं डा. एन.आर. भसीन द्वारा प्रबन्ध मण्डल को प्रदान की गई उनकी सेवाओं के प्रति अपना एवं प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष महोदय ने विश्वविघालय में चल रही विश्वविघालय की गतिविधियों एवं उनमें हो रही प्रगति की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया तथा सदस्यों को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविघालय को जो निर्देश दिये हैं तथा अपने निर्णयों द्वारा अनेक कार्यो के लिये अधिकृत किया है, उनमें वांछनीय प्रगति हो रही है। विघार्थियों की प्रवेश संख्या पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक हो गयी है। बी.ए.पी./बी.सी.पी. व अन्य पाठ्यक्रमों को ग्रामीण व कस्बा क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये जो विशेष प्रयास किये थे उनमें भी संतोषजनक सफलता मिल रही है। प्रवेश प्रक्रिया को वर्ष में दो बार करने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों से लगभग 4000 से अधिक विघार्थियों ने प्रवेश लिया है। विश्वविघालय के नये पाठ्यक्रमों को लेकर भी विघार्थियों में उत्साह है। बी.एड. पाठ्यक्रम प्रकरण जिसके कारण विश्वविघालय की छवि को पिछले वर्षो में धक्का लगा था अब प्रवेश प्रक्रिया को पुनः चालू करके गति दे दी गयी है जिससे समाज व शिक्षा जगत में अच्छा प्रभाव पड़ा है। माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में राज्य के कुलपतियों का जो सम्मेलन

हुआ था उसमें लिये गये निर्णयों के अनुसार विश्वविघालय ने भी अपना शैक्षणिक कलेण्डर बना लिया है और उसी के अनुरूप विश्वविघालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ संचालित हो रही हैं। पिछले वर्ष (2000 ई.) विश्वविघालय इसी भावना में कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में दो बार परीक्षाऐं करवाने में सफल रहा व साथ ही 1999 ई. की एक बची परीक्षा भी आयोजित करायी। विश्वविघालय ने समय पर परीक्षापरिणाम निकालकर विघार्थियों का समय बरबाद न करते हुए उन्हें ठीक अवधि में अगले सत्र में उन्नत कर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानकारी दी कि विश्वविघालय ने पिछले वर्ष के प्रस्तावित वित्तीय घाटे को भी पूरा कर लिया व अपनी आय के स्त्रोतों को 88 लाख से उठाकर 134 लाख के लक्ष्य की ओर बढ़ा दिया। विश्वविघालय में स्ट्राइड की स्थापना के पश्चात लगभग सात प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करा लिये हैं व मार्च के अन्त तक इस क्रम में दो-तीन ऐसे कार्यक्रम और जोड़े जा सकेंगे। विश्वविघालय का इण्टर-एक्टिव-रेडियो-काउसलिंग का कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है और विश्वविघालय ने इस अवधि में प्रश्न-उत्तर देने की एक समानान्तर प्रक्रिया भी विश्वविघालय में चालू करदी है। अध्यक्ष महोदय ने इसके अतिरिक्त कुलाधिपति कार्यालय एवं राजस्थान सरकार के स्तर पर राज्य में महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश की भॉति सभी विश्वविघालयों के लिये समान अधिनियम की जो प्रक्रिया चल रही है और जिसके लिये गठित समिति में कुलपति, कोटा खुला विश्वविघालय को जो सदस्य बनाया गया है, इसके विवरण की जानकारी दी व विशेष रूप से यह बतलाया कि इस समान अधिनियिम में दूरस्थ शिक्षा एवं कोटा खुला विश्वविघालय के लिये विशेष प्रावधान व अध्याय रख दिये हैं एवं साथ में समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अनुशंषा की है कि राज्य में स्वयंपाठी विघार्थियों को खुला विश्वविघालय में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अर्न्तगत अध्ययन की व्यवस्था जुटायी जाये।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि विश्वविघालय में काफी समय से आयोजना मण्डल का कार्य जो ठप्प हो रहा था उसको क्रियाशील बनाकर कई नये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम को चालू करने के बारे में निर्णय लिये हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि विश्वविघालय अपनी वित्त समिति की बैठक अपने अधिनियम के अनुसर वर्ष में तीन बार आयोजित करवाने की कार्यवाही सम्पन्न कर रहा है। अध्यक्ष महोदय ने विश्वविघालय द्वारा अभी हाल ही में खोले गये दो नये अध्ययन केन्द्रों, निवाई एवं सूरतगढ़ तथा विशेषकर सूरतगढ़ में सैनिकों के लिऐ ही खोले गये सेटेलाइट केन्द्र की सूचना से सदस्यों को अवगत करवाया।

सूरतगढ़ केन्द्र का 25 नवम्बर 2000 को उद्घाटन महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने किया व अध्यक्षता पश्चिमी सीमा के कोर कमाण्डर ले.ज. श्री जी.के. दुग्गल ने की। महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति महोदय ने इससे पूर्व 5 नवम्बर, 2000 को नवनिर्मित अतिथि गृह का भी लोकार्पण किया जिसकी अध्यक्षता श्री शान्ति धारीवाल, नगरीय एव आवासीय मंत्री, राजस्थान सरकार ने की।

P.A. to Vice Chancellor
Kota Open University
KOTA

इसी क्रम में प्रो. वी.एस. गौतम का मत था कि प्रवन्ध मण्डल के ऐजेण्डा का विभाजन प्रशासनिक निर्णय, नीतिगत निर्णय एवं सूचनार्थ विन्दु जैसे तीन खण्डों में किया जाये। डा. ए.पी. सिंह का मत था कि आगे से ऐजेण्डा सदस्यों को समयानुरूप प्रवन्ध मण्डल की वैठक से पहले भेजा जाये, जिससे कि सदस्य उसका अध्ययन कर अपना मत वैठक के समय व्यक्त कर सकें। इन दोनों प्रस्तावों पर वाकी सदस्यों ने भी सहमति प्रदान की व इसे अच्छा कदम वताया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची में वर्णित विन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला। विस्तृत विवेचन एवं प्रवन्ध मण्डल का विन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है -

विन्दु संख्या 52/01

प्रवन्ध मण्डल की 51 वीं वैठक दिनांक 26.05.2000 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने 51 वीं वैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

P.A. to Director
Kota Open University
KOTA

-***-

52/02

प्रवन्ध मण्डल की 51 वीं वैठक में लिए गये निर्णयों पर पालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने क्रियान्विति विवरण का अनुमोदन किया।

-***-

52 / 03

विद्या परिषद की 22 वीं बैठक दिनांक 27.11.2000 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विद्या परिषद की 22 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

52 / 04

वित्त समिति की 24 वीं बैठक दिनांक 27.12.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति की 24 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

A/F.

-***-

52 / 05

आयोजना मंडल की 6 ठी बैठक दिनांक 23.12.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

Dr. M.K. Gaur

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने आयोजना मण्डल की 6 ठी बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

P.I.
Kota

52/06

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.11.2000 का कार्यवाही एवं प्रगति विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(अ) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.11.2000 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

(ब) राजस्थान आवासन मण्डल का पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु प्राप्त सहमति पत्र अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाने हेतु समिति की अभिशंषाओं का अवलोकन एवं अनुमोदन किया। इस सम्बन्ध में प्रो. वी.एस. प्रसाद ने यह जानकारी चाही कि दूरस्थ शिक्षा परिषद से पुस्तकालय भवन निर्माण के लिये जो अनुदान राशि प्रदान की गयी है, उसका उपयोग कहाँ तक हुआ। अध्यक्ष महोदय ने यह बतलाया कि अब तक राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम के साथ बकाया राशि को लेकर विवाद को लेकर इस दिशा में प्रगति नहीं हो पायी थी। अब राजस्थान आवासन मण्डल को यह दायित्व सौंपने के कारण शीघ्र प्रगति की संभावना है। इस प्रकरण का उल्लेख इसी आइटम के (अ) भाग में है।

P.A. to V.C.
Kota Open University
KOTA

-***-

52/07

मुद्रण सलाहकार समिति की 12 वीं बैठक दिनांक 29.07.2000 एवं 6.8.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति की 12 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

52/08

महालेखाकार द्वारा वर्ष 1988 से मार्च 1999 तक की ऑडिट रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने महालेखाकर द्वारा वर्ष 1988 से मार्च 1999 तक की ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं इसे अपनी पिछली बैठक के निर्णय के अनुरूप बतलाकर सराहना की। अध्यक्ष महोदय ने यह जानकारी दी कि रिपोर्ट मिलने के पश्चात उसमें जो आपत्तियॉ उठायी गयी है उसके समुचित उत्तर दिये जा रहे हैं।

-***-

52/09

विदेश भ्रमण समिति की अभिशंषाऐं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विदेश भ्रमण समिति की अभिशंषाओं का अनुमोदन किया।

-***-

52/10

वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल सदस्यों में से एक सदस्य का मनोनयन करने बाबत निर्णय।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल सदस्यों में से एक सदस्य का मनोनयन करने का अधिकार माननीय कुलपति महोदय को दिया।

-***-

52 / 11

राजस्थान सरकार द्वारा वनाये गये नियम वावत राजस्थान निः शक्त व्यक्तियों को नियोजन नियम 2000 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने राजस्थान सरकार द्वारा वनाये गये नियम वावत राजस्थान निः शक्त व्यक्तियों को नियोजन नियम 2000 का अनुमोदन किया।

-***-

52 / 12

विश्वविघालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित विश्वविघालय में एस.सी./ एस.टी. प्रकोष्ठ के गठन के सम्वन्ध में की गई कार्यवाही अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने विश्वविघालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित विश्वविघालय में एस.सी./ एस.टी. प्रकोष्ठ के गठन के सम्वन्ध में अव तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया। प्रो. वी.एस. गौतम का मत था कि इस सम्वन्ध में अगर दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा कोई नियम-कानून वनाया गया हो तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाये। क्योंकि विश्वविघालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। अतः यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्वन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाये।

-***-

52/13

मुद्रण सलाहकार समिति के पुनर्गठन का प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति के पुनर्गठन के प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रबन्ध मण्डल के पहले के निर्णय में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी निदेशक को इस समिति का अध्यक्ष तथा निदेशक, पाठ्य सामग्री को इसका सदस्य सचिव रखा जाये। इस समिति के अन्य सदस्य होंगे, कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं कोई एक तकनीकी सदस्य। निदेशक एवं तकनीकी सदस्य का मनोनयन माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया जायेगा। यह समिति दो वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करेगी।

-***-

52/14

चेरीटेबल ट्रस्टों द्वारा संचालित अस्पतालों के बिलों का पुर्नभरण बावत गठित समिति की अभिशंषाऐं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने गठित समिति की अभिशंषाओं का अनुमोदन किया।

-***-

52/15

अधिवक्ताओं के पैनल में नये नाम जोड़ने का निर्णय सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने अधिवक्ताओं के पैनल में नये नाम जोड़ने का अनुमोदन किया।

-***-

52/16

राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम एवं विश्वविघालय के मध्य निर्माण के विरूद्ध बकाया राशि के विवाद का निपटान हेतु विश्वविघालय की ओर से प्रो. ए.वी. रामानुजम को प्रतिनिधि नियुक्त करने के आदेश एवं भत्ते एवं देय परिलाभ तथा अब तक हुई कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम एवं विश्वविघालय के मध्य निर्माण के विरूद्ध बकाया राशि के विवाद को निपटाने हेतु विश्वविघालय की ओर से प्रो. ए.वी. रामानुजम को प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुमोदन किया। प्रवन्ध मण्डल ने विश्वविघालय में निर्माण कार्यों की देखरेख हेतु प्रो. रामानुजम को कोटा आने पर इनटाइटलमेण्ट (entitlment) के अनुसार यात्रा/दैनिक भत्ता तथा देखरेख कार्य करने पर रू. 500/- प्रतिदिन वैठक भत्ता देने का भी निर्णय लिया।

-***-

52/17

विधि शाखा द्वारा न्यायालयों / उपभोक्ता मंचों के समक्ष पेश किये जाने वाले जवाब परिवाद / शपथ पत्रों एवं लिखित बहस आदि के टंकण कार्य को कार्यालय समय से पूर्व एवं बाद में करने के एवज में कनिष्ठ लिपिक को 100/- रू. प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल में उक्त विन्दु को सूचना के अभाव में स्थगित किया।

-***-

52/18

विश्वविघालय में विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा चल रहे रिक्त पदों पर कार्य निर्वहन करने की व्यवस्था विचारार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविघालय में विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा चल रहे रिक्त पदों पर कार्य निर्वहन करने की व्यवस्था हेतु प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति महोदय को एक प्रशासनिक समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया। यह समिति इस प्रकार के प्रत्येक मामलें में अलग से जांच करेगी तथा संभावित प्रशासनिक व वित्तीय दायित्वों पर अनुशंषा करेगी। तत्पश्चात अपनी रिर्पोट व अनुशंषाऐं प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

-***-

52/19

बी.एड. पाठ्यक्रम में अब तक हुई प्रगति विवरण का अवलोकन।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने अब तक बी.एड. पाठ्यकम में हुई प्रगति विवरण पर सन्तोष व्यक्त किया ।

-***-

52/20

विश्वविघालय में सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु मै. रणबंका पूर्व सैनिक बहुउद्धेशीय सहकारी समिति को दिये गये कार्य हेतु आदेश अवलोकार्न एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिये गये आदेश का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

Kota

52/21

जून 1997 से मार्च 2000 तक परीक्षित विद्यार्थियों के लिए उपाधियॉ धारण करने हेतु विद्या परिषद द्वारा सम्पन्न दीक्षा कार्यक्रम एवं इन उपाधियों पर तिथि अंकन के अनुमोदन बाबत।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने जून 1997 से मार्च 2000 तक परीक्षित विद्यार्थियों के लिए उपाधियॉ धारण करने हेतु विद्या परिषद द्वारा सम्पन्न दीक्षा कार्यक्रम एवं इन उपाधियों पर तिथि अंकन का अनुमोदन किया। सदस्यो का यह भी मत था कि विश्वविद्यालय उपाधियों का वितरण करने हेतु दीक्षान्त समारोह का भी आयोजन करें। इसमें माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की कार्यवाही आरम्भ करने जा रहा है।

-***-

52/22

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की योजनाऐं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय द्वारा योजना मंडल के द्वारा पारित नये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों तथा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम को अनुमोदित किया। उल्लेखनीय है कि ये सभी योजनाऐं व विस्तार सेवाऐं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पहले से ही चल रही हैं तथा कोटा खुला विश्वविद्यालय उन्हें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लागू करना चाहता है। ये कार्यक्रम आयोजना मण्डल अपनी 6ठी बैठक में पहले ही स्वीकृत कर चुका है।

-***-

52 / 23

प्रवन्ध मण्डल के द्वारा अधिकृत करने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविघालय के 5 कर्मचारियों को दी गई शास्ति का पुनरावलोकन करने हेतु समिति गठन का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने विश्वविघालय द्वारा 5 कर्मचारियेां को दी गई शास्ती का पुनरावलोकन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति का गठन करने हेतु अधिकृत किया।

-***-

52 / 24

विश्वविघालय का कार्य व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो विभिन्न आदेश एवं निर्देश प्रदान किये गये उनकी अनुपालना में पारित आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1. डा. अनाम जैतली, सह आचार्य, राजनीति शास्त्र को निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त सम्पादित करने का आदेश, क्रमांक, 2651, दिनांक 9.12.99

2. डा. याकूव अली, सहायक आचार्य, इतिहास को निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त सम्पादित करने के आदेश, क्रमांक, 3180, दिनांक 1.8.2000

3. डा. एल.आर. गुर्जर, सहायक आचार्य, राजनीति शास्त्र को निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त सम्पादित करने के आदेश, क्रमांक, स्पे. 01, दिनांक 16.2.2000

4. श्री राकेश शर्मा, सह आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान को निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकि का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त सम्पादित करने के आदेश, क्रमांक, 3322, दिनांक 21.9.2000

5. डा. अनाम जैतली, सह आचार्य, राजनीति शास्त्र को परीक्षा नियन्त्रक का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त सम्पादित करने का आदेश, क्रमांक, 3051, दिनांक 20.6.2000

6. वी.एड. सत्र 1997-98, 1998-99 के पंजीकृत छात्रों की फीस लौटाने वावत आदेश, क्रमांक, 2573 - 83, दिनांक 20.12.2000

P.A. ... Kota ...

7. मै0 वद्री विशाल माहेश्वरी एण्ड कम्पनी, कोटा को वर्ष 1998-99 के लेखों की अंकेक्षण हेतु वैधानिक अंकेक्षक नियुक्ति का आदेश कमांक 2301-2322 दिनांक 11/1/2001 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किये गये उपर्युक्त सभी आदेशों का अनुमोदन किया।

-***-

52/25

वी.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव सूचनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने वी.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित करने के प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा यह निर्णय लिया कि वी.एड. पाठ्यक्रम में भी राज्य सरकार के निर्णयानुसार महिलाओं को वी.एड. पाठ्यक्रम में आरक्षण दिया जाये।

-***-

52/26

राजस्थान के दूसरे विश्वविघालयों से कोटा खुला विश्वविघालय में चयन प्रक्रिया से आये हुए प्राध्यापकों (व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर) की पूर्व विश्वविघालय में की गई सेवाओं को लियन टर्मिनेशन के उपरान्त पेन्शन तथा ग्रेच्युटी लाभ देने के प्रस्ताव विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

---*---

कोटा खुला विश्वविघालय में चयन प्रक्रिया से आये प्राध्यापकों की पूर्व विश्वविघालय में की गई सेवाओं को लियन टर्मिनेशन के उपरान्त पेन्शन तथा ग्रेच्युटी लाभ देने का अनुमोदन किया एवं स्पष्ट किया कि यह नियमन विश्वविघालय के नियमानुसार किया जाये।

-***-

52/27

कर्मचारी कल्याण कोष समिति की दिनांक 23.6.2000 को हुई वैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष समिति की वैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

-***-

52/28

विश्वविघालय अतिथि गृह स्टियरिंग समिति की वैठक दिनांक 17.11.2000 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल द्वारा विश्वविघालय अतिथि गृह स्टियरिंग समिति की वैठक की कार्यवाही की अनुमोदन किया गया।

-***-

52/29

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिकों के पद पर पदोन्नति के 15 प्रतिशत कोटे को राज्य सरकार द्वारा जारी तिथि से ही लागू माने जाने का मामला अनुमोदनार्थ।

---*---

वैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिकों के पद पर पदोन्नति के 15 प्रतिशत कोटे को राज्य सरकार द्वारा जारी तिथि से ही लागू माने जाने का मामले पर प्रवन्ध मण्डल में पहले लिये गये निर्णय तथा नये प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में पहले वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से जॉच की जाये एवं इससे पड़ने वाले प्रभाव इंगित कर मामला पुनः प्रवन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

वैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापित कने के पश्चात् समाप्त हुई।

कुलसचिव एवं
सचिव

परिशिष्ट-1

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 53 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 53 वीं बैठक दिनांक 16 मई 2001 बुधवार को प्रातः 11.00 बजे जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे -

1. प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा - अध्यक्ष
   कुलपति, को.खु.वि.वि, कोटा

2. श्री एस.एन. थानवी - सदस्य
   शासन सचिव, उच्च शिक्षा
   राजस्थान सरकार, जयपुर

3. प्रो. वी.आर. जगन्नाथन - सदस्य
   निदेशक, स्कूल आफ ह्यूमेनीटीज्
   इन्दिरा गांधी रा.मु.वि.वि.
   नई दिल्ली

4. प्रो. वी.एस. गौतम - सदस्य
   आचार्य, प्रबन्ध
   आई.आई.टी.
   नई दिल्ली

5. प्रो. एम.डी. अग्रवाल - सदस्य
   आचार्य, वाणिज्य
   को.खु.वि.वि, कोटा

6. डा. एस.एन. अम्बेडकर - सदस्य
   निदेशक
   क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि.
   बीकानेर

7. श्री एच.के. मीना — विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी,
को.खु.वि.वि, कोटा

8. श्री एन.एल. चाण्डक — सचिव
कुलसचिव
को.खु.वि.वि, कोटा

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लिया जाना सम्भव नहीं हो सका :-

1. प्रमुख शासन सचिव
वित्त विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

2. डा. ए.पी. सिंह
प्रिन्सिपल,
उदय प्रताप इण्टर कॉलेज, वनारस

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आने का स्वागत किया एवं नव आगन्तुक सदस्य प्रो. वी.आर. जगन्नाथन का परिचय करवाया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के निवर्तमान सदस्य प्रो. वी.एस. प्रसाद द्वारा प्रबन्ध मण्डल को प्रदान की गई उनकी सेवाओं के प्रति अपना एवं प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया। कुलपति महोदय ने यह जानकारी दी कि पिछले प्रबन्ध मण्डल में ऐजेण्डा आईटमस् को व्यवस्थित करने को जो निर्णय दिया था, उसी के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय में चल रही विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उनमें हो रही प्रगति की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया तथा सदस्यों को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय को जो समय समय पर निर्देश दिये हैं तथा अपने निर्णयों द्वारा अनेक कार्यो के लिये अधिकृत किया है, उनमें वांछनीय प्रगति हो रही है।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय ने अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया है जो कि शुल्क में मुख्यतः वृद्धि न करके बल्कि विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी करके बढ़ाया है। विश्वविद्यालय ने वित्तीय वं 2000-01 में 230.38 लाख की स्वयं की आय की है। इसी संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय की इन्टराएक्टिव रेडियो काउन्सलिंग की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के प्रति सदस्यों का ध्यान आकर्षित

किया और हाल ही में विश्वविघालय द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से आरम्भ की गई काउन्सलिंग सेवाओं के तथ्यों से भी सदस्यों को अवगत कराया।

इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय ने वताया कि विश्वविघालय ने अपने पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है। अध्यक्ष महोदय ने वताया कि पुस्तकालय भवन निर्माण के लिये दूरस्थ शिक्षा परिषद को अनुदान राशि प्रदान करने के लिये धन्यवाद अर्पित किया। सदस्य, श्री एस.एन. थानवी, शिक्षा सचिव का मत था कि विश्वविघालय अपने निर्माण कार्यो के लिये किसी इंज़ीनियर को राजस्थान सरकार से प्रति नियुक्ति पर ले सकता है। कुलपति महोदय ने अन्य सभी सदस्यों की राय जानने के बाद यह आश्वासन दिया कि आगे के कार्यो के लिये इस पर विचार किया जा सकता है व राजस्थान सरकार को इस सम्वन्ध में एक निवेदन भी भेजा जायेगा। अभी तक के निर्माण कार्यो का प्रारम्भ एवं अनुमोदन समय समय पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों के अनुरूप ही किया गया है। पुस्तकालय भवन के निर्माण की एक चरण की पूर्ति पश्चात ही इस विषय पर विचार किया जा सकता है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची में वर्णित विन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला। विस्तृत विवेचन एवं प्रबन्ध मण्डल का विन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है-

विंन्दु संख्या 53/01

प्रबन्ध मंडल की 52वीं बैठक दिनांक 16/1/2001 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने 52 वीं वैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

-***-

बिन्दु संख्या 53/02

प्रबन्ध मंडल की 52वीं बैठक दिनांक 16/1/2001 के कार्यवाही विवरण में से पालनार्थ विन्दुओं पर अनुपालना विवरण अवलोकनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने क्रियान्वति विवरण पर सन्तोष व्यक्त किया तथा अनुमोदित किया। प्रबन्ध मण्डल के विन्दु संख्या 52/12 (एस.सी.एस.टी. सेल के गठन)पर क्रियान्वति रिपोर्ट पर चर्चा के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विश्वविघालय ने समस्त कार्यवाही यू.जी.सी. व राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश पर ही की है।

-***-

बिन्दु संख्या 53/03

वित्त समिति की दिनांक 24/3/2001 को सम्पन्न 25वीं बैठक एवं पारित बजट (2001-2002) का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति की दिनांक 24.3.2001 को सम्पन्न हुई कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया तथा विश्वविघालय द्वारा प्रस्तुत वजट (2001-2002) को पारित किया। विस्तृत चर्चा के समय सदस्यों ने निम्न सुझाव दिये जिन्हें स्वीकार कर लिया गया -

1. विश्वविघालय द्वारा दर्शायी गई वैलेन्स शीट में जनरल फण्ड का उपयोग एवं विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है इसको और आगे से समुचित निर्णय लेकर स्पप्ट किया जाना आवश्यक है।

2. विश्वविघालय द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयोजनार्थ दिये गये अग्रिमों की वसूली अविलम्ब की जावें तथा जहां पर वसूली के नियम नहीं है विश्वविघालय अपने नियम वनाकर दिये गये अग्रिमों को वसूलने की कार्यवाही करें।

3. विश्वविघालय अपनी प्राप्तियां एवं व्यय का आकलन की प्रक्रिया प्रारम्भ करके फीस निर्धारित करें तथा भविष्य में वजट वनाते समय प्रति छात्र आय व्यय का आंकलन करें।

4. वजट में आय एवं पूर्ति का सामंजस्य वनाये रखें तथा अनावश्क रूप से डेफेसिट का वजट में उल्लेख न करके उसको पूरा करने के लिये उपाय दर्शायें।

-***-

विन्दु संख्या 53/04

विघा परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 9/5/2001 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने विघा परिषद की दिनांक 9.5.2001 को सम्पन्न हुई 23 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया। चर्चा के दौहरान विघा परिषद के कार्यवाही विन्दु संख्या 23/12 (ब) के सन्दर्भ में सदस्यों का मत था कि विश्वविघालय आडियों कैसेटों का सम्पादन करवाते समय शैक्षणिक एवं विपर्णन विन्दुओं का ध्यान रखे तथा दरें निर्धारित करते समय इन्दिरा गांधी रा. मुक्त विश्वविघालय एवं यू.जी.सी. आदि संस्थाओं से सम्पर्क कर किया जावें। विश्वविघालय आगामी प्रवन्ध मण्डल की वैठक तक कुछ जरूरी आडियो कैसेट्स तैयार कर सकता है। साथ ही दरों के स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगामी वैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

-***-

नोट - तत्पश्चात वैठक में यह निर्णय लिया गया कि समयाभाव के कारण सभी प्रस्तावित विन्दुओं पर विचार करना कठिन है अतः कुछ अति आवश्यक व महत्वपूर्ण विन्दुओं पर ही विचार किया जाये और वचे हुए विन्दुओं को आगामी वैठक में प्रस्तुत किया जाये। फलस्वरूप विन्दु संख्या 53 / 05. 06. 07. 08. 10. 11. 12. 14. 15 अर्थात कुल 9 विन्दुओं पर वैठक में विचार नहीं किया जा सका। शेष अतिआवश्यक जिन विन्दुओं पर विचार किया गया वे निम्नानुसार है -

विन्दु संख्या 53/09

विश्वविद्यालय के कार्य को व्यवस्थित एवं सुचारू चलाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न आदेश / निर्देश प्रदान किये गये। उनकी अनुपालना में पारित कार्यालय आदेश अनुमोदनार्थ।

(अ) वजट पारित होने के अभाव में माननीय कुलपति महोदय द्वारा धारा 8(4) के तहत तीन माहे के व्ययों की अनुमति दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ

(ब) निदेशक, योजना एवं विकास के पद की कार्य व्यवस्था वावत आदेश एवं उन्हें आयोजना मण्डल का सदस्य मनोनीत करने हेतु जारी आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित निम्न आदेशों का अनुमोदन किया -

(अ) वजट पारित होने के अभाव में माननीय कुलपति महोदय द्वारा धारा 8(4) के तहत तीन माह के व्ययों की अनुमति।

(ब) निदेशक, योजना एवं विकास के पद की कार्य व्यवस्था हेतु जारी किया आदेश एवं योजना मण्डल में सदस्य के रूप में डा. एम. के. गठोलिया का मनोनयन।

-***-

विन्दु संख्या 53/13

विश्वविद्यालय में स्थापित स्टूडियों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु उपयोग के लिए अन्य संस्थाओं को अनुवन्ध पर देने वावत मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में स्थापित स्टूडियों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु उपयोग के लिये अन्य संस्थाओं को अनुबन्ध पर देने के विश्वविद्यालय के प्रस्ताव

का सिद्धान्त अनुमोदन किया तथा माननीय कुलपति महोदय को अनुबन्ध शर्तो को निश्चित करने के लिये अधिकृत किया।

-***-

टेबल ऐजेण्डा

बिन्दु संख्या 53/16.1

डिग्री स्तर के पाठयकमों मे एल.एल.बी. सहित अन्तिम वर्ष में प्रवेश के पूर्व पिछली कक्षाओं के सभी बकाया प्रश्न पत्र पास करना अनिवार्य करने बावत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने इस विषय पर गहन चर्चा की तथा इस सम्बन्ध में विधा परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया एवं यह मत व्यक्त किया कि विश्वविधालय राज्य सरकार को त्रिश्वविधालय की शैली एवं दूरस्थ शिक्षा के नियम से अवगत करावें।

-***-

बिन्दु संख्या 53/16.2

कोटा खुला विश्वविधालय में 11 जनवरी 1996 के बाद परीक्षित विधार्थियों की उपाधियों पर उपाधि जारी करने की तिथि परीक्षा देने की तिथि से चार माह पूर्व की अंकित हो जाने पर विश्वविधालय द्वारा इस दौरान जारी की गई समस्त उपाधियों की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल में इस विषय पर विचार विमर्श करने के उपरान्त सभी सदस्यों की राय थी कि यह एक विशेष प्रकरण है तथा इसका गहन अध्ययन एवं विश्लेषण जरूरी है अतः इस मामले को निर्धारित करके जिम्मेदारी तय करने एवं निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति एवं सचिव, उच्च शिक्षा की समिति का गठन किया जावें तथा उनकी रिपोर्ट को प्रवन्ध मण्डल की भावी वैठक में निर्णय हेतु रखा जावें।

-***-

विन्दु संख्या 53/16.3

विश्वविघालय के पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग के पुस्तकों के स्टोर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा छापा डाले जाने का मामला सूचनार्थ!

---*---

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने विश्वविघालय के पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग के पुस्तकों के स्टोर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 28 मार्च 2001 को छापा डाले जाने की कार्यवाही को बहुत गम्भीरता से लिया तथा शिक्षा सचिव महोदय ने निम्नलिखित जानकारी दी जिससे सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की :

1. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो दस्तावेज पेश किये गये है "फर्द " है जिस पर टिप्पणी करना अनावश्यक होगा।

2.(अ) विश्वविघालय जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में कुलपति व कुलसचिव को इस तरह की कार्यवाही के लिये भरोसे में लेना आवश्यक है।

(ब) अगर इस तरह के मामले की भविष्य में ओर कोई छानबीन करनी हो तो लिखित में कुलपति महोदय से अनुमति ली जावें।

(स) विश्वविघालय से यह अपेक्षा है कि इस तरह की कार्यवाही की आवश्यकता होने परं वह सम्बन्धित विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने यह जानकारी दी कि भविष्य में इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही होगी उसका विवरण प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जायेगा।

-***-

बिन्दू संख्या 53/16.4

प्रवन्ध मण्डल में विश्वविघालय के एक्ट के स्टेच्यूट 7(1) के अनुसार विश्वविघालय के निदेशक का मनोनयन का मामला अवलोकनार्थ एव आदेशार्थ ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल के सदस्यों ने यह सुझाया कि विश्वविघालय में प्रवन्ध मण्डल के वारे में गठित एक्ट - स्टेच्यूट है और उसी के अनुरुप कुलपति महोदय किसी भी निदेशक को प्रवन्ध मण्डल में सदस्य के रुप में मनोनित कर सकते है।

-***-

बिन्दु संख्या 53/16.5

श्री राकेश जैन वी.एड. छात्र द्वारा दायर वाद के वारे में प्रेषित किये गये दस्तावेजों का मामला एवं अंकतालिकाएं निरस्त करने का मामला अवलोकनार्थ।

---*---

प्रवन्ध मण्डल के सदस्यों ने यह जानकारी लेने के पश्चात कि मामला उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लम्वित है इस कारण वी.एड. परीक्षा जुलाई 1993 प्रकरण में नामित 24 छात्रों के सन्दर्भ में निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

-***-

वैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात समाप्त हुई।

कुलसचिव एवं
सचिव

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 54 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 54 वीं बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2001 गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे ई.एम.पी.सी. बिल्डिंग, विश्वविद्यालय परिसर, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा पर आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे -

1.	प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा कुलपति, को.खु.वि.वि, कोटा	- अध्यक्ष
2.	श्री एस.एन. थानवी शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर	- सदस्य
3.	प्रो. वी.आर. जगन्नाथन निदेशक, स्कूल आफ ह्यूमेनीटीज इन्दिरा गांधी रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली	- सदस्य
4.	प्रो. एल.एन. गुप्ता 80/8 पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर	- सदस्य
5.	प्रो. एम.डी. अग्रवाल आचार्य, वाणिज्य को.खु.वि.वि, कोटा	- सदस्य
6.	डा. एस.एन. अम्बेडकर निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि. बीकानेर	- सदस्य
7.	श्री एच.के. मीना वित्त अधिकारी, को.खु.वि.वि, कोटा	- विशेष आमंत्रित

P... Kota Open University KOT...

8. श्री एन.एल. चाण्डक - सचिव
कुलसचिव
को.खु.वि.वि, कोटा

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लिया जाना सम्भव नहीं हो सका :-

1. प्रमुख शासन सचिव
वित्त विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

2. डा. ए.पी. सिंह
प्रिन्सिपल,
उदय प्रताप इण्टर कॉलेज, बनारस

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आने का स्वागत किया एवं निवृतमान सदस्य प्रो. वी.एस. गौतम की प्रबन्ध मण्डल को दी गई सेवाओं एवं योगदान को याद किया और प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया तथा नव आगन्तुक सदस्य प्रो. एल.एन. गुप्ता का परिचय करवाया।

अध्यक्ष महोदय ने विश्वविघालय में चल रही विश्वविघालय की गतिविधियों एवं उनमें हो रही प्रगति की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविघालय ने वर्तमान में उन परम्परागत सामाजिक परम्पराओं को अपनाया है जिससे दूरस्थ शिक्षा की पहुँच ग्रामीण व कस्बे स्तर तक पहुँच सकें। आपने इसी संदर्भ में कोटा दशहरा मेला तथा पुष्कर मेले मे लगायी गई स्टाल एवं प्रदर्शनी का विवरण दिया जिसमें विश्वविघालयों के प्रयत्नों को बहुत सहराया गया है तथा आम नागरिकों के बीच विश्वविघालय के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ है। विश्वविघालय की इस प्रदर्शनी को कोटा दशहरा मेला में स्पेशल अवार्ड भी प्रदान किया गया है। विश्वविधालय 'कुलपति समन्वय' समिति के निर्णयों के अनुसार अपने समस्त कार्यक्रम एकेडेमिक कलेण्डर की अनुपालना में सम्पादित कर रहा है तथा फरवरी माह में द्वितीय दीक्षान्त समारोह आयोजित करने जा रहा है।

कुलपति ने शिक्षा सचिव श्री एस.एन. थानवी को विश्वविघालय की अनेक समस्याओं को सुलझाने एवं उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने में जो सहयोग दिया है उसके प्रति स्वयं का एवं प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया। तथा यह भी अनुरोध किया कि वे प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की भावनाऐं सरकार एवं माननीय कुलाधिपति तक पहुँचा दें। इसी चर्चा में

प्रो. जगन्नाथन ने बताया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर आया है तथा इसकी गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची में वर्णित बिन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला। विस्तृत विवेचन एवं प्रबन्ध मण्डल का बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है -

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/1: -</u>

दिनांक 16/5/2001 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मंडल की 53वी बैठक का कार्यवाही विवरण् पुष्टि हेतु।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने 53 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या <u>54/2: -</u>

दिनांक 16/5/2001 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मंडल की 53वी बैठक में लिए गये निर्णयों पर अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने 53 वीं बैठक की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर सन्तोष व्यक्त किया।

-***-

P.A.
Kota

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/3</u>

विद्या परिषद की 24वी बैठक दि: <u>28/7/2001</u> एवं 25वी बैठक दि: 12/12/2001 के कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विद्या परिषद की 24 वी बैठक दिनांक 28.7.2001 एवं 12.12.2001 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्याः 54/4

F.O

वित्त समिति की 26वी बैठक दिनांक 27.11.2001 का कार्यवाही विवरण् अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति की 26 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्याः 54/5

F.O

मै. बद्री विशाल एवं कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वर्ष 2000-2001 के आडिट किये जाने हेतु लगाए जाने के आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने मैं. बद्री विशाल एवं कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वर्ष 2000-2001 के आडिट दिये गये आदेश का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्याः 54/06

GAD

कुलपति निवास पर वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में पुलिस गार्ड लगाये गये मामले में भुगतान हेतु जारी की गई कार्योत्तर स्वीकृति अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बिन्दु का अवलोकन एवं अनुमोदन किया। इसके साथ यह निर्देश दिया कि भुगतान चालान द्वारा करवाया जाये तथा आगे से पुलिस विभाग को अनुरोध किया जाये कि विश्वविद्यालय भी राज्य सरकार की सहायता से चलाया जाता है इस कारण आगे ऐसी स्थिति आने पर कोई वित्तीय मांग न करें।

-***-

कार्यसूची विन्दु संख्या: 54/7

कोटा खुला विश्वविधालय में पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण शाखा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(i) मुद्रण सलाहकार समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि के मनोनयन के बाबत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि के मनोनयन के बाबत प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(ii) मुद्रण सलाहकार समिति में कुलपति महोदय द्वारा अपने प्रतिनिधि को सदस्य रूप में मनोनीत करने का आदेश सूचनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल उक्त बिन्दु का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(iii) मुद्रण सलाहकार समिति की 13वी बैठक दिनांक: 6/5/2001 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति की 13 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(iv) विधार्थियों को पाठ्यसामग्री प्रवर्तित यू.पी.सी. डाक प्रेषण के स्थान पर वैकल्पिक प्रेषण प्रणाली से भेजने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त विन्दु का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्याः 54/8

कोटा खुला विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(i) पुस्तकालय समिति की दिनांक 21/3/2001 एवं दिनांक 25.09.2001 को सम्पन्न 11वी एवं 12वी बैठक के कार्यवाही विवरण् अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने पुस्तकालय समिति की दिनांक 21.2.2001 एवं 25.9.2001 को सम्पन्न 11 वीं एवं 12 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(ii) पुस्तकालय भवन उप समिति की बैठक दिनांक 27/2/2001 का कार्यवाही विवरण् अवलोकनार्थ एवं भवन निर्माण् की प्रगति का विवरण् अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने पुस्तकालय भवन उप समिति की दिनांक 27.2.2001 को सम्पन्न बैठक के कार्यवाही विवरण एवं भवन निर्माण की प्रगति के विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(iii) पुस्तकालय समिति को वि.वि. का स्टेच्यूटरी समिति माने जाने हेतु वि.वि.अधिनियम में संशोधन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में पुस्तकालय समिति को स्टेच्यूटरी समिति के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा सचिव श्री एस.एन. थानवी ने बताया कि इसका प्रावधान विश्वविद्यालयों के लिये प्रस्तावित कॉमन एक्ट में वर्णित है, जिसकी शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जानी है। अतः इस दिशा में अलग प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्याः 54/9

बी.एड. का शुल्क लौटाने बाबत् प्रबन्ध मंडल की 52वी बैठक के निर्णय सं: 52/24 (6) में आंशिक संशोधन के कुलपति महोदय के आदेश अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त आंशिक संशोधन के आदेश का अनुमोदन किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/10

सेटेलाइट अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के मापदण्ड बाबत् जारी किया गया आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविघालय द्वारा जारी किये गये उपरोक्त आदेश का अनुमोदन किया गया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/11

विश्वविघालय में शोध नियमों को व्यवस्थित एवं कारगर बनाने के लिये रिसर्च डिग्री कमेटी का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

विश्वविघालय में शोध नियमों को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिये रिसर्च डिग्री कमेटी का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न संशोधन के पश्चात अनुमोदित किया -

2.4 Any one who is employed in an organization and is desirous of pursuing a research degree programme may be permitted to register as part-time student. The student shall work on his/her research projects at his/her own place of employment, provided that he/she shall work at the headquarter for a minimum period of thirty days during the total period of the programme for the purose of research which will be certified by the supervisor.

3.5.4 Directors, Regional Director and Dy. Directors working in the different units (other than Academic Wing) of Kota Open University will also be treated as guide as per the norms already existing in the University and on recommendation by the Research Board. The Director's, Regional Director's and Dy. Director's eligibility for guiding Ph.D. work will be considered only in the case of subject area of the person concerned.

आगे से निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक के शोध पर्यवेक्षक बनने के अन्य सम्बन्धित मामलों के लिये कमेटी बनाकर उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी। कमेटी बनाने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। सदस्यों ने शोध नियम बनाने के लिये प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा समिति के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद प्रस्तुत किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/12

विश्वविद्यालय के संकाय को स्कूल ऑफ स्टडीज के गठन बाबत की गई कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त की गई कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या :- 54/13

निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को सी.ए.एस. दिये जाने के लिए विधा परिषद् की 24वी बैठक में अनुमोदित विशेषज्ञों का पैनल अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल के बारे में शिक्षा सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने निदेशकों को Career Advancement Scheme का लाभ दिये जाने के बारे में अभी फेसला नहीं किया है। लेकिन विशेषज्ञों का यह पैनल उनकी पदोन्नती के लिये प्रयोग में लिया जा सकेगा।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्याः 54/14

कोटा खुला विश्वविद्यालय में स्थापना शाखा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

(i) श्री राकेश शर्मा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान को वार्षिक वेतनवृद्धियों स्वीकृत करने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी. से योग्यता सम्बन्धी सम्बन्धित पत्र को प्राप्त करके प्रो. वी.आर. जगन्नाथन कमेटी से राय लेकर मामले को पुनः प्रस्तुत किया जाये।

-***-

(ii) श्री बाल मुकुन्द नागर, पूर्व च.श्रे.कर्मचारी का पूर्व में स्वीकृत त्यागपत्र निरस्त कर पुनः सेवा में लिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नियमान्तर्गत विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र देने तथा इन दो वर्षों की अवधि में अन्य लाभ पद पर सेवा करने के पश्चात विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः सेवा में लिया जाना सम्भव नहीं है।

-***-

(iii) विश्वविद्यालय कर्मचारी स्व. श्री सत्यनारायण सुमन, वाहन चालक एवं श्री प्रहलाद चन्द, च.श्रे कर्मचारी की पत्नियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त अनुकम्पना नियुक्ति आदेशों का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(iv) शिक्षकों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों की पूर्व में अन्य संस्थानों में की गई सेवाओं को पेंशन प्रयोजनार्थ जोड़े जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

detail

---*---

शिक्षकों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों की पूर्व में भारत सरकार/ राजस्थान सरकार एवं अन्य प्रदेशों की सरकार व इनकी स्वायतशाषी संस्थानों में की गई सेवाओं को विश्वविधालय की सेवा में पेंशन प्रयोजनार्थ जोड़े जाने हेतु प्रकरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(v) चयन समिति द्वारा चयनित परामर्शदाताओं की नियुक्तियों के आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

1. बी.एड. 2. हिन्दी 3. राजस्थानी

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने बी.एड. एवं हिन्दी चयन समितियों द्वारा चयनित परामर्शदाताओं की नियुक्तियों के आदेश का अवलोकन एवं अनुमोदन किया एवं राजस्थानी में राजस्थान सरकार के पत्र के सदर्भ में किये गये चयन की प्रक्रिया व चयनित अभ्यार्थी का अनुमोदन किया।

-***-

(vi) दूरस्थ शिक्षा सहायकों की नियुक्ति के पूर्व अनुमोदित प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बिन्दु का अवलोकन एवं अनुमोदन किया।

-***-

(vii) आशुलिपिकों के वेतनमान में संशोधन के क्रम में।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविधालय में पहले से कार्यरत अभ्यार्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर इनका वेतनमान 5500/- पर किया जाने का निर्णय लिया गया।

-***-

टेबल ऐजेण्डा

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/15

द्वितीय दीक्षान्त समारोह आयोजित करने, मानद उपाधि दिये जाने एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

Secy + CE

प्रबन्ध मण्डल ने द्वितीय दीक्षान्त समारोह आयोजित करने, मानद उपाधि दिये जाने एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के मामले का अवलोकन एवं अनुमोदन किया। मानद उपाधि के मामले में प्रचलित प्रावधान की अनुपालना में कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि वे महामहिम कुलाधिपति महोदय से इस सम्बन्ध में चर्चा करके व निर्णय लेकर सम्मान हेतु दीक्षान्त समारोह की कार्यवाही करें।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/16

शिक्षकों को केरियर एडवान्समेन्ट योजना के तहत लाभ प्रदान करने के क्रम में सम्पन्न चयन समितियों की अभिशंषाऐं एवं इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसर मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

ESH

प्रबन्ध मण्डल की 54 वीं बैठक के टेबल ऐजेण्डा के कार्य सूची बिन्दु संख्या 54/16 पर शिक्षकों को केरियर ऐडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ देने हेतु चयन समितियों की अभिशंषाओं का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

(अ) आचार्य (प्रोफेसर) संवर्ग के पदों के लिए :

निम्नानुसार सह आचार्यों को केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अर्न्तगत आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु चयन

समितियों ने उपयुक्त पाया। इन अभिशंषाओं की प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुष्टि की गयी।

विषय	क्रम सं.	नाम
अर्थशास्त्र	1.	डा. एम.के. घडोलिया
पत्रकारिता	1.	डा. रमेश जैन
राजनीतिक विज्ञान	1.	डा. अनाम जैटली

(ब) निम्नलिखित वरिष्ठ वेतनमान धारक सहायक आचार्यों को CAS के अर्न्तगत चयन समितियों द्वारा सह-आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु प्रबन्ध मण्डल ने इस शर्त के साथ पुष्ठि की कि ये सभी चयनित अभ्यार्थी 30 जून, 2003 तक अपने शेष रिफेशर कोर्स पूरा कर लेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होने पर उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

विषय	क्रम सं.	नाम
शिक्षा	1.	डा. दागिना चौधरी
पुस्तकालय विज्ञान	1.	डा. एच.बी. नन्दवाना
पुस्तकालय विज्ञान	2.	डा. दिनेश गुप्ता
इतिहास	1.	डा. कमलेश शर्मा
इतिहास	2.	डा. याकूब अली
राजनीति विज्ञान	1.	डा. एल.आर. गुर्जर
राजनीति विज्ञान	2.	डा. कर्ण सिंह
राजनीति विज्ञान	3.	डा. अशोक शर्मा

(स) <u>सहायक आचार्य सामान्य वेतनमान धारकों को वरिष्ठ वेतनमान देने के लिए :</u>

निम्नलिखित सहायक आचार्य (सामान्य वेतनमान धारक) को चयन समिति ने वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने हेतु अभिशंषाऐं की हैं जिसका प्रबन्ध मण्डल ने पुष्ठि की।

विषय	क्रम सं.	नाम
प्रबन्ध	1.	डा. आर.के. जैन

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/17

क्षेत्रिय निदेशकों/निदेशकों के लिये केरियर एडवान्समेंट का लाभ देने हेतु चयन प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस विषय पर काफी विचार विमर्श किया गया। शिक्षकों की भांति ही क्षेत्रीय निदेशकों को भी केरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ दिय जाना चाहिये। इस प्रकरण पर शिक्षा सचिव ने बताया कि राज्य सरकार यू.जी.सी. से इस प्रकरण को अतिशीघ्र निष्पादित करने के प्रयास कर रही है तत्पश्चात इस पर निर्णय होने की संभावना है।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/18

विश्वविघालय के क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्र राजस्थान से बाहर खोलने का मामला विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल में इस विषय की महत्ता पर चर्चा की व स्वीकार किया कि विश्वविधालय के अध्ययन केन्द्र प्रदेश से बाहर भी खोले जाने चाहिये। विशेषकर सेना के अधिकारियों एवं जवानों को अपनी सेवा प्रवृति व नियमों के कारण बाहर जाना पड़ता है और उन्हें अपनी नियुक्ति के स्थल अथवा आसपास के स्थल पर परीक्षा आदि की सुविधा देनी आवश्यक है। साथ ही राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के पाठ्यक्रम की मांग प्रवासी राजस्थानियों में बहुत है। उन्हें भी उनके प्रदेश में सुविधा देनी वांछनीय है।

अतः इन सब के लिये यह आवश्यक है कि कोटा खुला विश्वविघालय अपनी अध्ययन सुविधा राजस्थान से बाहर अध्ययन केन्द्र खोल कर आरम्भ करवा दें। इन मांगों को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव स्वीकार करके राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जावें जिससे यह सुविधा प्राप्त की जा सकें और आवश्यक हो तो एक्ट में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की जा सकें।

-***-

कार्यसूची बिन्दु संख्या 54/19

प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय 38/17 के अनुसार कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी तक के समस्त पद विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में से ही चयन प्रक्रिया द्वारा भरें जाने बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---*---

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। वर्तमान में विश्वविद्यालय में सभी पद MOU लागू होने से पद भरने हेतु राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। अतः पदों को भरने हेतु उनका औचित्य तथा कार्यभार बनाकर शिक्षा विभाग को पदों को भरने की स्वीकृति हेतु भेजा जावें।

-***-

कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

P.A. to Registrar
Kota Open University

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मंडल की 55वीं बैठक का

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मंडल की 55वीं बैठक दिनांक 18 मई, 2002 शनिवार को प्रातः 11.00 बजे ई.एम.पी.सी. भवन, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा में आयोजित की गई । इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :–

1.	प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा कुलपति, को.खु.वि.वि., कोटा	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. वी.आर. जगन्नाथन निदेशक, स्कूल ऑफ ह्यूमेनीटीज़ इन्दिरा गांधी रा. मु. वि. वि. नई दिल्ली	–	सदस्य
3.	प्रो. एल.एन. गुप्ता 80/8 , पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर	–	सदस्य
4.	प्रो. एम.डी. अग्रवाल आचार्य, वाणिज्य को.खु.वि.वि., कोटा	–	सदस्य
5.	डा. एस.एन. अम्बेडकर निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., बीकानेर	–	सदस्य
6.	श्री एच.के. मीना वित्त अधिकारी को.खु.वि.वि., कोटा	–	विशेष आमंत्रित
7.	श्री एन.एल. चाण्डक कुलसचिव को.खु.वि.वि., कोटा	–	सचिव

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लिया जाना सम्भव नहीं हो सका :–

1. श्री विनोद जुत्शी
शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर

2. प्रमुख शासन सचिव
वित्त विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

3. डा. ए.पी. सिंह
प्रिन्सिपल
उदय प्रताप इण्टर कॉलेज, बनारस

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मंडल ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का बैठक में आने का स्वागत किया एवं उन्हें पिछली बैठक के बाद विश्वविद्यालय में हुई उल्लेखनीय गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया । यद्यपि नये शिक्षा सचिव इस बैठक में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके, परन्तु उनके सदस्य बनने पर हर्ष व्यक्त किया एवं आशा की कि उनके अनुभव एवं योगदान से प्रबन्ध मंडल व विश्वविद्यालय को लाभ पहुंचेगा । कुलपति महोदय ने यह भी कहा कि मार्च में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटने के कारण बजट पास करवाने के लिये प्रबन्ध मंडल की बैठक मार्च अंत तक नहीं बुलाई जा सकी । सदस्यों की सुविधा देखते हुए यह बैठक आज के दिन अर्थात 18 मई को आयोजित की गई है ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यसूची विवरण अपने आप में काफी विस्तृत है और विश्वविद्यालय के अंदर घटित घटनाओं की पूर्ण जानकारी देने में सक्षम है । इस कारण वे विस्तार से न बताकर संक्षेप में ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं । इनमें द्वितीय दीक्षांत समारोह एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मिलकर दूरस्थ शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमीनार को आयोजित करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसके साथ ही इन्हीं दिनों में (8–9 मार्च) देश के खुले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित होना अपने आप में एक प्रमुख घटना है । इन घटनाओं से विश्वविद्यालय के सम्मान में वृद्धि हुई, समाज में इसके प्रति विश्वास जाग्रत हुआ तथा साथ ही दूरस्थ शिक्षा के राजस्थान प्रदेश में विस्तार होने की संभावनाएं विकसित हुईं । कुलपति महोदय ने इन अवसरों पर सम्माननीय न्यायमूर्ति श्रीयुत् अंशुमानसिंहजी, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति एवं दूरस्थ शिक्षा के अध्यक्ष प्रो. एच.पी. दीक्षित के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया कि वे समय निकालकर इन अवसरों पर पधारे । इसी प्रकार की आदर भावना उन्होंने देश व प्रदेश के खुले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के आने के बारे में व्यक्त की ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय की संतोषप्रद वित्तीय व्यवस्था के बारे में जानकारी दी और बतलाया कि किस प्रकार प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ने एवं कुशल प्रबन्धन से विश्वविद्यालय बनने के बाद पहली बार स्वयं के संसाधनों से सर्वाधिक आय (रू. 313.22 लाख) हुई। उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्र ही पुस्तकालय भवन, पाठ्यसामग्री उत्पाद एवं वितरण भवन तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन भवनों का निर्माण पूरा होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप

विश्वविद्यालय के अब तक के आयोजित भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हो जायेंगे । आपने कहा कि संकाय के चारों स्कूलों की स्थापना हो चुकी है । नये शोध नियम लागू कर दिये गये हैं एवं नये पाठ्यक्रम भी इस वर्ष से प्रारंभ किये जा रहे हैं । विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा परिषद से पुराने अनुदान को, जो खर्च नहीं हुआ, को पुनः उपयोग में लाने तथा साथ ही रू. 1 करोड़ 25 लाख का नया अनुदान प्राप्त होने की बात भी उन्होंने बतलाई और इसके लिये दूरस्थ शिक्षा परिषद को धन्यवाद दिया । आपने कहा कि नये अनुदान से विश्वविद्यालय का स्टूडियो सक्रिय होगा एवं 16 जिलों में डाउनलिंक सुविधा से वास्तविक कक्षा को स्थापित करने का स्वप्न पूरा होगा । संभवतः इसी वर्ष जयपुर एफ.एम. रेडियो चेनल भी प्रारंभ हो जायेगा ।

तत्पश्चात् आपने कार्यसूची में वर्णित बिन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला । प्रबन्ध मंडल का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार है –

बिन्दु संख्या : 55/01

दिनांक 20/12/2001 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मंडल की 54वीं बैठक का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु ।

****

प्रबन्ध मंडल ने 54वीं बैठक दिनांक 20/12/2001 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की ।

~~~~~~~

55/02

दिनांक 20/12/2001 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मंडल की 54वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने कियान्विति विवरण का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

55 / 03

कोट्टा खुला विश्वंविद्यालय में वित्त विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

(i) वित्त समिति की 27वीं बैठक दिनांक 20.4.2002 का कार्यवाही विवरण तथा वर्ष 2002–03 हेतु पारित बजट एवं बैलेन्स–शीट (मार्च 2000–2001) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2002–2003 का बजट अनुमोदित एवं पारित किया गया एवं 2000–2001 की बैलेन्स–शीट का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर हुई चर्चा के समय सदस्यों ने विश्वविद्यालय की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति के लिये प्रशासन को धन्यवाद दिया । विशेष रूप से डा. अम्बेडकर द्वारा विश्वविद्यालय के स्वयम् के संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिये सराहना की गयी । प्रो. एल.एन. गुप्ता ने राज्य सरकार से पूरा अनुदान प्राप्त करने को एक उपलब्धि बतलाया। अध्यक्ष महोदय ने यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय, अंकेक्षण के सभी आक्षेपों का राजस्थान सरकार को समय पर उत्तर दे रहा है तथा साथ ही अपने स्तर पर चार्टेड एकाउंटेन्ट से अंकेक्षण भी करवा रहा है । मार्च, 2001 तक का अंकेक्षण कार्य समाप्त हो चुका है । प्रो. गुप्ता ने दूरस्थ शिक्षा परिषद की Unassigned Grant को खर्च करने की सलाह दी एवं प्रो. जगन्नाथन का भी यह विचार था कि दूरस्थ शिक्षा परिषद से मिले अनुदान को समय पर खर्च कर दिया जाये । कुलपति महोदय ने अब तक के हुए खर्चों का विवरण दिया, जिस पर सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया । सदस्यों ने बैलेन्स–शीट की 'कम्पलाइंस रिपोर्ट' का भी अवलोकन किया एवं अपनी संतुष्टि व्यक्त की ।

~~~~~~~

(ii) वर्ष 2002–03 के बजट पारित होने के अभाव में धारा 8 (4) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रथम तीन माह के व्ययों की अनुमति दिये जाने पर एतर्द जारी आदेश, कमांक 36–54, दिनांक 4.4.2002 अवलोकनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने कुलपति महोदय के वर्ष 2002–03 के प्रथम तीन माह के व्ययों के अनुमति के आदेश का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

(iii) श्री सत्यनारायण सिंह, सेवा निवृत, आई.ए.एस. को वित्त समिति में स्टेच्यूट 10(f) के तहत दो वर्ष हेतु पुनः मनोनयन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

****

प्रबन्ध मंडल ने श्री सत्यनारायण सिंह के वित्त समिति के सदस्य बनाने के आदेश कमांक, F2/KOU/Reg(FC)/2002/925 दिनांक 18.3.2002 का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

(iv) कर्मचारी कल्याण कोष से ऋण स्वीकृति के नियम सं. 9 में उप–नियम जोड़े जाने का प्रस्ताव ।

****

प्रबन्ध मंडल ने कर्मचारी कल्याण कोष समिति के ऋण सम्बन्धी नियमों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

55 / 04

कोटा खुला विश्वविद्यालय में स्थापना शाखा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं. F.3-3/2000(PS), दिनांक 21.2.2002 एवं कुलपति समन्वय समिति की बैठक 23 मार्च, 2002 के निर्णय सं. 2002 – 1.5 की अनुपालना में शिक्षकों की सी.ए.एस. योजना के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों को लागू करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत ।

****

प्रबन्ध मंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं. F.3-3/2000(PS), दिनांक 21.2.2002 एवं कुलपति समन्वय समिति की बैठक 23 मार्च, 2002 के निर्णय सं. 2002 – 1.5 की अनुपालना में सी.ए.एस. योजना के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर पदौन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों को लागू करने के प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

~~~~~~~
~~~~~~~

(ii) शिक्षा संकाय में नियुक्त परामर्शदाताओं का कार्यकाल बढ़ाये जाने के कुलपति महोदय के आदेश अनुमोदन हेतु ।

****

प्रबंध मंडल के सदस्यों ने परामर्शदाताओं के आदेश का अनुमोदन किया । सेवानिवृत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलपति महोदय ने सदस्यों को जानकारी दी कि राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये स्वीकृति पत्रों के अनुसार ही इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

~~~~~~~

(iii) श्री अरूण भार्गव की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नि को दी गई अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने उक्त आदेश क्रमांक एफ2/कोखुवि/स्था/अशै/49(20)/2002/64 दिनांक 13/3/2002 का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

(iv) विश्वविद्यालय के विविध व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 14 परामर्शदाता एवं स्टूडियो को सक्रिय बनाने के लिए केमरामेन, प्रोड्युसर, एडिटर, टेक्निशियन आदि की अल्प अवधि के लिए नियुक्ति बाबत मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

सदस्यों ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की व अनुमोदन किया । कुलपति महोदय ने जानकारी दी कि इस सम्बन्ध में सरकार को पत्र लिख दिया है ।

~~~~~~~

(v) विश्वविद्यालय में अन्य शैक्षिक संस्थाओं की भांति जांच अधिकारी नियुक्त करने बाबत मामला अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने इस बिन्दु पर 26वीं वित्त समिति के निर्णय का अवलोकन किया तथा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2/कोखुवि/स्था/अशै/2002/287 दिनांक 8.5.2002 का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

(vi) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा स्थानान्तरित/समायोजित के फलस्वरूप उक्त सेवाओं के सत्यापन बाबत प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने इस बिन्दु पर कुलसचिव, को.खु.वि.वि. को यह अधिकार दिया कि वह अपने स्तर पर एक समिति का गठन कर ~~समायोजन~~ की कार्यवाही संपादित करें ।

सत्यापन vide O.O.No. 1133 18/6/02

~~~~~~~

(vii) प्रभारी (शोध प्रकोष्ठ) के पद की कार्यव्यवस्था हेतु जारी किया गया कार्यालय आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने कार्यालय आदेश क्रमांक 288, दिनांक 8.5.2002 का अनुमोदन किया एवं प्रो. एल.एन. गुप्ता के प्रश्न के उत्तर में कुलपति महोदय ने सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि शोध प्रबंध मंडल की बैठक में प्रभारी (शोध प्रकोष्ठ) पद की अवधि भी निर्धारित कर दी जायेगी । तत्पश्चात् शोध प्रबंध मंडल की बैठक का वह कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मंडल के सम्मुख रख दिया जायेगा ।

~~~~~~~

55/05

मुद्रण सलाहकार समिति की 14वीं एवं 15वीं बैठक दिनांक 25.12.2001 एवं 12.4.2002 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने मुद्रण सलाहकार समिति 14वीं एवं 15वीं बैठक दिनांक 25.12.2001 एवं 12.4.2002 का कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया । सदस्यों की राय थी कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी से मुद्रण कार्य करवाने से पूर्व उसका हर दृष्टि से परीक्षण करना चाहिये । कुलपति महोदय ने इस हेतु सदस्यों को आश्वस्त किया ।

~~~~~~~
~~~~~~~

55/06

कोटा खुला विश्वविद्यालय में सामान्य प्रशासन शाखा (अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ) से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

(i) भवन निर्माण समिति को पुर्नगठित किये जाने के आदेश अवलोकनार्थ ।
(ii) भवन निर्माण समिति की गत दो बैठकों का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ
(iii) भवन उप निर्माण समिति में प्रो. एम.के. घडोलिया को समन्वयक नियुक्त किये जाने बाबत आदेश अवलोकनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने सामान्य प्रशासन शाखा (अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ) से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों के आदेशों एवं भवन निर्माण समिति की गत दो बैठकों (दिनांक 9.1.2002 एवं 14.5.2002) के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बतलाया कि राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम तथा राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण कार्य 30 जून, 2002 तक समाप्त कर दिया जायेगा । सदस्यों ने पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण तथा प्रवेश एवं परीक्षा भवन के बचे भाग के निर्माण के कार्य को सम्पन्न कराने के विश्वविद्यालय के प्रयत्नों की सराहना की ।

~~~~~~~

55/07

परीक्षा मण्डल की दूसरी बैठक दिनांक 17.4.2002 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने परीक्षा मण्डल की दूसरी बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया । प्रो. एम.डी. अग्रवाल का आग्रह था कि विश्वविद्यालय नये परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए और तेजी से प्रयास करे तथा उसके आर्थिक पक्षों की ओर एक बार ध्यान न दे बल्कि इसके दूरगामी प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय ले ।

~~~~~~~

55/08

जुलाई 2002 के प्रवेश आवेदन पत्र मुद्रण करवाने एवं प्रवेश से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विचार करने बाबत गठित समिति की अनुशंषायें एवं उक्त कम में की गई कार्यवाही अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

****

प्रबन्ध मंडल ने उपर्युक्त समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

55/09

नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने हेतु निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं का प्रस्ताव अवलोकन एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

****

प्रबन्ध मंडल ने क्षेत्रीय सेवाओं के उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया । कुलपति महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय जहां एक ओर ग्रामीण अंचल में नये केन्द्र खोलेगा वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिये विशेष अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करेगा । प्रो. एल.एन. गुप्ता ने धोलपुर एवं इसके आस–पास के क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्र खोले जाने का आग्रह किया । कुलपति महोदय ने सदस्यों को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा परिषद से राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बसावट की प्रकृति को देखते हुए चलित (Mobile) केन्द्रों को स्थापित करने की मांग की है । प्रो. जगन्नाथन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मिलकर दूरसंचार व रेडियो की नेटवर्किंग में जो अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, उसमें भागीदारी लेने का यत्न करे । कुलपति महोदय ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं को पत्र लिखेंगे ।

~~~~~~~

55/10

विश्वविद्यालय पर चल रहे दावों–वादों–कानूनी प्रकरणों की स्थिति विवरण अवलोकन हेतु प्रस्तुत है ।

****

प्रबन्ध मंडल ने उपर्युक्त विवरण का अवलोकन किया । सदस्यों ने प्रो. अग्रवाल के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि अधिवक्ताओं के पैनल का प्रत्येक 3 साल के बाद पुर्नमूल्यांकन

होना चाहिये । कुलपति महोदय ने यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय जिन प्रकरणों में अपनी कानूनी स्थिति नहीं बचा पाया है, उस पर जांच आरम्भ करवा दी गई है ।

~~~~~~~

55 / 11

अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों की सहमति से टेबल एजेन्डा के निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु सहमति व्यक्त की गई जिसका बिन्दुवार विवरण अग्रलिखित प्रकार से है ।

~~~~~~~

टेबल एजेन्डा : 55 / 12

सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान के कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय,कोटा के नाम पत्र कमांकः एफ 25 (8) आर.बी./2002/2359, दिनांक 10 अप्रेल,2002, जिसमें नये कुलपति की चयन प्रकिया को निर्धारित व सम्पन्न करने के लिये एक समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

'कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली समिति में प्रबन्ध मण्डल की ओर से सदस्य मनोनीत करने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।'

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम 1987 के स्टेच्यूट 1(3) के अन्तर्गत सचिव, राज्यपाल, राजस्थान के पत्र की अनुपालना में नये कुलपति के चयन हेतु पैनल तैयार करने के लिए जो चयन समिति प्रस्तावित है, उसमें प्रबन्ध मंडल की ओर से सर्वसम्मति से प्रो. एच.पी. दीक्षित, कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का नाम प्रस्तावित व अनुमोदित किया । इसके साथ ही कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया कि वे इस निर्णय व अनुमोदित नाम की सूचना सचिव, राज्यपाल, राजस्थान को उनके पत्र की भावना के अनुरूप सूचित कर दें ।

~~~~~~~
~~~~~~~

55 / 13

प्रबन्ध मंडल में विश्वविद्यालय के एक्ट के स्टेच्यूट 7(1) के अनुसार विश्वविद्यालय के निदेशक का मनोनयन का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल ने उपर्युक्त प्रस्ताव का प्रबन्ध मंडल की पूर्व बैठक के बिन्दु संख्या 53 / 16.4 के संदर्भ में अवलोकन एवं अनुमोदन किया तथा कुलपति महोदय को, एक निदेशक जो कि क्षेत्रीय केन्द्र का निदेशक न हो, को प्रबन्ध मंडल के सदस्य के मनोनयन हेतु अधिकृत किया ।

~~~~~~~

55 / 14

कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम के स्टेच्यूट 1 (11) जिसमें माननीय कुलपति महोदय के अनुपस्थित रहने / अवकाश पर रहने या अन्य परिस्थितियों में कुलपति पद के कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में उल्लेख में संशोधन बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर बड़ी गम्भीरता व गहराई से विचार–विमर्श किया गया । तत्पश्चात् यह निर्णय लिया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम (पृष्ठ सं. 6–7) के अन्तर्गत निदेशक की श्रेणी Officer / Authority में आती है । तत्पश्चात् उन्होंने अधिनियम में दिये गये विवरण के अनुसार ही, निदेशक की श्रेणी के कौन–कौन वर्ग सम्मिलित किये जा सकते हैं, इसकी समीक्षा की एवं पुनः निर्णय लिया कि अधिनियम में उल्लेखित (पृष्ठ सं. 19–20) निदेशक बनाये जाने की विभिन्न वर्गों की सूची बनाई जाये तथा उस सूची में आन्तरिक वरिष्ठता (Interseniority) का क्रम तय करने के लिये एक समिति गठित की जाये । समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे –

1. प्रो. एन.एस. रामेगौडा, कुलपति, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मनसागंगोत्री, मैसूर ।
2. प्रो. प्रो. वी.आर. जगन्नाथन, निदेशक, स्कूल ऑफ ह्यूमेनीटीज़, इन्दिरा गांधी रा. मु. वि. वि. , नई दिल्ली
3. उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश, जिनका मनोनयन कुलपति महोदय करेंगे ।
4. कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय समिति के सचिव होंगे ।

यह समिति वरिष्ठता का क्रम शीघ्रताशीघ्र तैयार करके अपना प्रतिवेदन कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी ।

~~~~~~~

55 / 15

विश्वविद्यालय के पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग के पुस्तकों के स्टोर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा छापा डाले जाने के प्रकरण में सरकार द्वारा उस पर की गयी प्रतिक्रिया तथा विश्वविद्यालय एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने इस बिन्दु के प्रस्ताव में अब तक उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये कदमों के कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया ।

~~~~~~~

55 / 16

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को चिकित्सा पुर्नभरण की सुविधा ट्रस्टों के चिकित्सालयों से प्राप्त करने हेतु गठित समिति की अनुशंषायें अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने उपर्युक्त समिति की अनुशंषाओं का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

~~~~~~~

55 / 17

वर्ष 2001–2002 की ऑडिट करने एवं बैलेन्स–शीट तैयार करने हेतु मै. बद्रीविशाल एण्ड कम्पनी को दिये गये कार्य आदेश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने मैं. बद्रीविशाल एण्ड कम्पनी को उपर्युक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 के विश्वविद्यालय के खातों का अंकेक्षण करने के आदेश का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

~~~~~~~
~~~~~~~

55/18

सहायक कुलसचिव के पद पर पदौन्नति/तदर्थ पदौन्नति हेतु कार्यरत सहायक लेखा अधिकारियों को योग्य माने जाने बाबत प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।

****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार किया तथा निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय ने तदर्थ पदौन्नति देने हेतु जिस समिति को गठित किया है उसी को यह मामला विचारार्थ दे दिया जाये । यह समिति विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है ।

~~~~~~~

बैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् सम्पन्न हुई ।

कुलसचिव एवं
सचिव
~~~~~~~

अनुभागाधिकारी (निजी प्रकोष्ठ)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मंडल की 56वीं बैठक का

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मंडल की 56वीं बैठक दिनांक 23.12.2002 सोमवार को प्रातः 11.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:–

1. प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा — अध्यक्ष
   कुलपति, वर्धमान महावीर खुला वि.वि.कोटा,

2. प्रो. वी.आर. जगन्नाथन — सदस्य
   निदेशक, स्कूल ऑफ ह्यूमेनीटीज़
   इन्दिरा गांधी रा. मु. वि. वि. नई दिल्ली

3. श्री रामसूरत — सदस्य
   शैक्षिक सलाहकार
   विनायक मिशन, रिसर्च फाउन्डेशन सेलम (तमिलनाडू)

4. विशिष्ट शासन सचिव — सदस्य
   उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार

5. प्रो. एल.एन.गुप्ता — सदस्य
   80/8,पटेल मार्ग,मानसरोवर,जयपुर।

6. प्रो. अनाम जैतली — सदस्य
   आचार्य, राजनीति शास्त्र
   वर्धमान महावीर खुला वि.वि.,कोटा

7. डा.(श्रीमती) सुषमा सिंघवी — सदस्य
   निदेशक,क्षेत्रीय केन्द्र
   वर्धमान महावीर खुला वि.वि.,जयपुर

8. श्री एच.के. मीना — विशेष आमंत्रित
   वित्त अधिकारी, वर्धमान महावीर खुला वि.वि., कोटा

9. श्री एन.एल. चाण्डक — सचिव
   कुलसचिव,वर्धमान महावीर खुला वि.वि.,कोटा

प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार,जयपुर का बैठक में भाग लेना संभव नहीं हो सका।

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मंडल ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का बैठक में आने का स्वागत किया । विशेषकर उन्होंने नये सदस्यों प्रो. रामसूरत सिंह, प्रो. अनाम जेतली एवं डा. सुषमा सिंघवी का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इनके अनुभव एवं योगदान से विश्वविद्यालय को गति देने में सहायता मिलेगी । इसके साथ ही उन्होंने निवर्तमान सदस्यों प्रो. एम.डी. अग्रवाल, डा. ए.पी. सिंह एवं डा. एस.एन. अम्बेडकर का अपने एवं प्रबन्ध मंडल की ओर से आभार व्यक्त किया । उन्होंने इन सदस्यों द्वारा दी गई उल्लेखनीय सेवाओं का स्मरण किया ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यसूची विवरण अपने आप में काफी विस्तृत है और विश्वविद्यालय की पिछली मीटिंग के पश्चात की अवधि की प्रगति जतलाने में पूर्ण सक्षम है । इस कारण वे बहुत ही संक्षेप में प्रारम्भिक जानकारी दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय के तीनों भवन, केन्द्रीय पुस्तकालय भवन, पाठ्य सामग्री उत्पाद एवं वितरण भवन एवं प्रवेश एवं मूल्यांकन भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं । आपने बतलाया कि दिनांक 31 अगस्त, 2002 को महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने इन तीनों भवनों का उद्घाटन किया । श्री शान्ति धारीवाल, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री, राजस्थान सरकार एवं श्री शैलेन्द्र जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे । कुलपति महोदय ने यह भी बतलाया कि विश्वविद्यालय में स्वयं के स्त्रोतों से आय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो रही है एवं व्यय भी पिछले माह तक 50 प्रतिशत तक ही हुआ है । इस प्रकार संस्था की वित्तीय स्थिति पूरे नियंत्रण में है ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची में वर्णित बिन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला । प्रबन्ध मंडल का बिन्दुवार विवेचन व निर्णय निम्नानुसार है :–

बिन्दु संख्या : 56/01

प्रबन्ध मंडल की 55वीं बैठक दिनांक 18.05.02 का कार्यवाही विवरण पुष्टि अनुमोदनार्थ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने 55वीं बैठक दिनांक 18.05.02 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की ।

****

बिन्दु संख्या : 56/02

प्रबन्ध मण्डल की 55वीं बैठक दिनांक 18.5.02 की अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने कियान्विति विवरण का अवलोकन किया ।

****

अनुभागाधिकारी (निजी प्रकोष्ठ)
वर्धमान [illegible]
को[illegible]

बिन्दु संख्या : 56/03

कुलपति महोदय का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक बढाये जाने बावत माननीय कुलाधिपति महोदय का पत्र प्रबन्ध मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने माननीय कुलाधिपति महोदय के पत्र का अवलोकन किया एवं कुलपति महोदय को बधायी प्रेषित की ।

****

बिन्दु संख्या : 56/04

(i) विश्वविद्यालय में गठित चार विद्यापीठों के गठन का राजपत्र में किया गया प्रकाशन सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

*****

सदस्यों ने राजपत्र में प्रकाशित सूचना का अवलोकन किया ।

****

(ii) राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का नाम कोटा खुला विश्वविद्यालय से बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किये जाने की सूचना भी राजपत्र में प्रकाशित हो गई है । सूचनार्थ प्रस्तुत है । Registered

*****

सदस्यों ने राजपत्र में प्रकाशित सूचना का अवलोकन किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56/05 A/F

वित्त समिति की 28वी बैठक दिनांक 13/12/02 का कार्यवाही विवरण् तथा वर्ष 2001–2002 की बेलेन्स शीट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने वित्त समिति की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण तथा प्रस्तुत बेलेन्स शीट (मार्च, 2001–02) का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

****

अनुभाग कोष्ठ
वर्धमान विद्यालय
कोटा

बिन्दु संख्या : 56/06 MPD

मुद्रण सलाहकार समिति की 16वीं बैठक दिनांक 24.8.02 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

*****

Hindi. प्रबन्ध मंडल ने मुद्रण सलाहकार समिति की 16वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56/07 Lib.

पुस्तकालय समिति की 13वी बैठक दिनांक 19/10/02 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने पुस्तकालय समिति की 13वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56/08

वित्त समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य प्रो. एम.डी. अग्रवाल का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के उपरान्त कुलपति महोदय द्वारा प्रोः एल.एन गुप्ता का वित्त समिति में मनोनयन का निर्णय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने प्रो. एल.एन. गुप्ता का प्रबन्ध मंडल की ओर से विश्वविद्यालय की वित्त समिति में मनोनयन के निर्णय का अनुमोदन किया ।

****

अनुभाग... (...ी प्रकोष्ठ)
वर्धमान ...
को...

बिन्दु संख्या : 56/09 PW wk

आयोजना मण्डल में डा. एस.एस. आचार्य का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त नवीन सदस्य की नियुक्ति का प्रस्ताव ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के आयोजना मंडल में नवीन सदस्य के मनोनयन के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56/10 Administration

स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पाठ्यक्रम शुल्क में छूट दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों की इस प्रस्ताव पर यह धारणा थी कि विश्वविद्यालय चूंकि टयूशन फीस नहीं वसूल करता है इस कारण राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी दे देनी चाहिए । दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कार्यकम शुल्क में छूट देना वित्तीय कारणों से कठिन है। राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में पुनः पत्र आने पर उसे प्रबन्ध मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये । Regi.

****

बिन्दु संख्या : 56/11 Research

शोध प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

(i) प्रभारी शोध प्रकोष्ठ का नाम परिवर्तन कर निदेशक शोध प्रकोष्ठ करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने शोध प्रकोष्ठ प्रभारी का पदनाम निदेशक, शोध प्रकोष्ठ अनुमोदित किया एवं शोध मंडल की बैठक दिनांक 15.6.2002 के निर्णयानुसार (2) निदेशक का कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया ।

****

(ii) राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क में दी गई छूट को विश्वविद्यालय में लागू करने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर यह जानकारी प्राप्त करे कि क्या 'शोध' को सामान्य शिक्षा में गिना जा सकता है । यह एक नीतिगत मामला है और जिसका प्रभाव सभी विश्वविद्यालयों पर पड़ना है । अतः राज्य सरकार ही इसकी समीक्षा करे तो उचित रहेगा । चूंकि विश्वविद्यालय ने अपने आदेश के द्वारा छात्राओं के हित में 1 जुलाई, 2002 को यह सुविधा प्रदान कर दी है अतः इस दिनांक से यह सुविधा बनी रहे और राज्य सरकार के पत्र आने के बाद उस पर पुनर्विचार किया जाये ।

****

(iii) शोध उपाधि के कार्य को पूर्ण करने की अवधि ढाई वर्ष के स्थान पर डेढ़ वर्ष किये जाने का प्रस्ताव तथा सेमीनारों की निर्धारित संख्या कम करने तथा इससे सम्बन्धित अन्य प्रकरणों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों का मत था कि शोध कार्य को पूर्ण करने की अवधि ढाई वर्ष के स्थान पर डेढ़ वर्ष किये जाने का प्रस्ताव शोध मंडल अथवा विद्या परिषद की तरफ से आना चाहिए था । चूंकि अब समय कम है इस कारण शोध मंडल इस प्रस्ताव को पारित करे तो कुलपति महोदय उस प्रस्ताव को कुलाधिपति महोदय के पास भेजकर उनका निर्णय प्राप्त करके प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं । लेकिन यह प्रक्रिया अपवाद स्वरूप ही रहेगी । चूंकि यह मामला यू.जी.सी. के विशेष आदेश के संदर्भ में आया है अतः यह सुविधा भी 31.12.2002 तक ही निर्णय हेतु लागू की जा सकेगी ।

सदस्यों ने यू.जी.सी. के पत्र का 31.12.2002 के संदर्भ में शोध कार्य के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमीनार की संख्या में कोई कमी नहीं की । लेकिन यह सहमति व्यक्त की कि जिन शोधार्थियों के शोध कार्य की अवधि 31.12.2002 तक पूर्ण हो जाती है तो वह अपने बचे सेमीनार उससे पूर्व दे सकते हैं । ताकि उसका लाभ उठाकर वे अपने शोध कार्य को 31.12.2002 तक जमा करा सकें । पर यह सुविधा भी विशेष संदर्भ में 31.12.2002 तक ही दी जाती है । तत्पश्चात् शोध नियमों में उल्लेखित अवधि के अनुसार ही सेमीनार की संख्या व अवधि निर्धारित रहेंगे ।

****

(IV) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरक्षित वर्गों को व्याख्याताओं की नियुक्ति में जो छूट का लाभ दिया गया है वही लाभ शोध के क्षेत्र में निर्धारित योग्यता में {उत्तीर्ण प्रतिशत} देने का मामला अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

*****

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार शोध के क्षेत्र में आरक्षित वर्ग को छूट का लाभ दिया जायेगा । Letters to Govt

****

बिन्दु संख्या : 56/12 AU UA

प्रबन्ध मंडल के पूर्व निर्णय संख्या 55/14 {निदेशकों की वरीयता} अन्तर्गत गठित समिति का प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने प्रस्ताव के अनुसार समिति में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश के स्थान पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव अनुमोदित किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह व्यवस्था भी की कि इसमें प्रो. वी.आर. जगन्नाथन के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इग्नू के प्रबन्ध मंडल का सदस्य इस समिति का सदस्य होगा । Letters

****

अनुभागाधिकारी (विधि प्रकोष्ठ)

बिन्दु संख्या : 56/13 STRIDE

स्ट्राईड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना एवं उनका संचालन हेतु मंडल का गठन किये जाने का कुलपति महोदय के आदेश अवलोकनार्थ ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने उपर्युक्त आदेश का अवलोकन किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56 / 14

स्थापना शाखा से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ :–

(i) अशैक्षणिक अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का प्रपत्र निर्धारित करने बाबत् गठित समिति की अनुषंसाऐं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं कुलसचिव को निर्देश प्रदान किये कि वे दूरस्थ शिक्षा की प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार के प्रपत्र में संशोधन करके प्रतिवेदन तैयार करें ।

****

(ii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियो की विभिन्न श्रेणियों के एकाँकी पदों (Isolated positions) को उनकी प्रकृति व स्थिति के अनुसार उनको वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने इस बिन्दु पर विचार करने के पश्चात विश्वविद्यालय प्रस्ताव में उल्लेखित विधि सहायक एवं कम्प्यूटर प्रोगामर कम ऑपरेटर के पद की अपग्रेडिंग (Upgrading) के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर कार्यवाही सम्पन्न करने का निर्णय दिया । वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं कनिष्ट अभियंता को राज्य सरकार में व्याप्त व्यवस्था तथा प्रबन्ध मंडल की 26वीं बैठक के निर्णयानुसार (26/03) चयनित वेतनमान का लाभ दें ।

****

(iii) विश्वविद्यालय में लंबित रिक्त पदों को भरने से पडने वाले वित्तीय भार को विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोंतों से निर्वाह करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

****

(iv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अन्यत्र सेवा में जाने हेतु उनका त्यागपत्र उन सेवाओं में पेंशन इत्यादि का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

****

(v) उच्च न्यायालय हेतु वि.वि. के अधिवक्ताओं के पैनल में नाम जोड़ने बाबत प्रस्ताव।

*****

प्रबन्ध मंडल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

****

(vi) प्रोफसर एल.एन. गुप्ता को अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आदेशर्थ प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने निर्णय दिया कि प्रो. एल.एन. गुप्ता के अवकाश के प्रकरण में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार समुचित कार्यवाही संभव है । अतः उसी अनुसार कार्यवाही की जाये ।

****

(vii) छात्र सहायता प्रकोष्ठ (S.A.C.) को क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा का भाग बनाये जाने का निर्णय सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने की गई कार्यवाही का अवलोकन किया ।

****

(viii) श्री राकेश शर्मा सहा. आचार्य {कम्प्यूटर} की 15/2/98 के पश्चात प्रबन्ध मंडल द्वा गठित प्रो.वी.आर. जगन्नाथन समिति के रिपोर्ट के आधार पर रूकी हुई वेतन वृद्धि जारी किये जा के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल ने आदेश का अनुमोदन किया ।

****

(ix) शारीरिक एवं नेत्रहीन शिक्षकों को नियुक्ति एवं C.A.S. योजना के तहत लाभ देने में 5% छूट {55% से 50%} दिये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने विश्वविद्यालय अ ुदान आयोग के पत्र एवं राज्य सर कार क नीति के अनुसार कार्यवाही करने के प्रस्ताव का अनुमे दन किया ।

****

(x) विश्वविद्यालय आवासीय भवनों के आवंटन बाबत् गठित समिति की दि:10/12/02 क आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने प्रस्तावित कार्यवाही का अनुमोदन किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56/15

बी.एड. परीक्षा, जुलाई–93 की अंकों की पुर्नगणना में हुई अनियमितता के श्चा सम्बन्धित 24 छात्रों के परीक्षा परिणाम निरस्त करने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने पूरे प्रकरण पर विचार किया एवं प्रो. एल.एन. गुप्ता द जां प्रतिवेदन का अवलोकन किया । उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को उल्लिखित अनियमितताओं व विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया । उसी अनुसार उच्च न्यायाल के सम्मुख मामला प्रस्तुत करने का सुझाव दिया ।

****

बिन्दु संख्या : 56/16

विभिन्न विषयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति में (i) आयु एवं (ii) योग्यता से संबंधित प्रस्तावों का अवलोकन एवं अनुमोदन ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि सेवानिवृत विषय विशेषज्ञों का चयन बिना आयु के भेदभाव के योग्यता के अनुसार जारी रखा जाये तथा जिन विषयों में सेवानिवृत व्यक्ति न मिलते हों वहां कार्य घण्टे निर्धारित करके योग्य शिक्षकों को लगाया जाये। ये नियुक्तियां अनुबंधित होगी और यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताओं के मापदण्डों पर आधारित होगी । सेवानिवृत व्यक्तियों के अलावा इस प्रकार की नियुक्तियों का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये प्रेषित कर दिया जाये । उनकी स्वीकृति के पश्चात चयन की प्रकिया प्रारम्भ की जाये ।

****

बिन्दु संख्या : 56/17

नवनिर्मित भवन एम.पी.डी. एवं पुस्तकालय भवन के लिए गोदरेज रेक्स की क्रय हेतु प्रस्ताव।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने यह निर्णय दिया कि गोदरेज के फर्नीचर को विशिष्ट श्रेणी एवं मापदण्डों के आधार पर तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दर्शाते हुए खरीदने के लिए राज्य सरकार के पास विशेष स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाये ।

****

बिन्दु संख्या : 56/18

बी.एफ.सी. बैठक दि: 15/12/2001 में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों का यह विचार था कि बी.एफ.सी. की बैठक में जिन पदों को समाप्त कर दिया गया है उन्हें अनुबंध सेवा में लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाये।

****

बिन्दु संख्या : 56 / 19

विश्वविद्यालय के पांच कर्मचारियों को दी गई शास्ति का पुनरावलोकन करने हेतु समिति गठन का मामला अवलोकनार्थ ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि वे इस प्रकरण में नयी समिति का गठन करें तथा उसकी रिपोर्ट को आगामी बैठकों में प्रस्तुत करें ।

****

बिन्दु संख्या : 56 / 20

विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों की तदर्थ वरिष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण बाबत ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों ने प्रस्तुत प्रकरण पर समिति बनाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रबन्ध मंडल के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया ।

****

बिन्दु संख्या : 56 / 21

विशिष्ठ व्यक्तियों / संस्थाओं को 'फ्रेन्डस ऑफ दि यूनिवर्सिटी' के अंलकरण से विभूषित करने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

*****

प्रबन्ध मंडल के सदस्यों की राय थी कि दूरस्थ शिक्षा के प्रचारकों को अलंकरण न देकर प्रमाण–पत्र आदि से सम्मानित करके इस योजना को लागू करें ।

****

टेबल एजेण्डा : 56/22

विश्वविद्यालय में विशेष जांच प्रतिवेदन 1995–96 के बिन्दु संख्या 16 के कम में सहायक आचार्य, प्रबन्ध पर नियम विरूद्ध माने जाने का विवरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ ।

*****

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने गहन विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय दिया कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाये । वे अपने स्तर पर कमेटी बनाकर इसके सभी पक्षों जिसमें पद की स्वीकृति, योग्यता एवं विज्ञापन के प्रकाशन से लेकर अन्त में चयन होने व सम्बन्धित आदेश जारी होने तक के सभी पक्षों की जांच करायेंगे । आवश्यक हुआ तो कानूनी राय भी प्राप्त करेंगे । सम्बन्धित एवं प्रभावित पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे । तत्पश्चात् वे प्रबन्ध मण्डल को पुनः उन सभी पक्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

****

बैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात सम्पन्न हुई ।

कुलसचिव
एवं सचिव

अनुभागाधिकारी (निजी प्रकोष्ठ)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा